खण्ड-189, अंक-3
बुधवार, 20 अग्रहायण, शक संवत् 1879
(11 दिसम्बर, 1957 ई0)

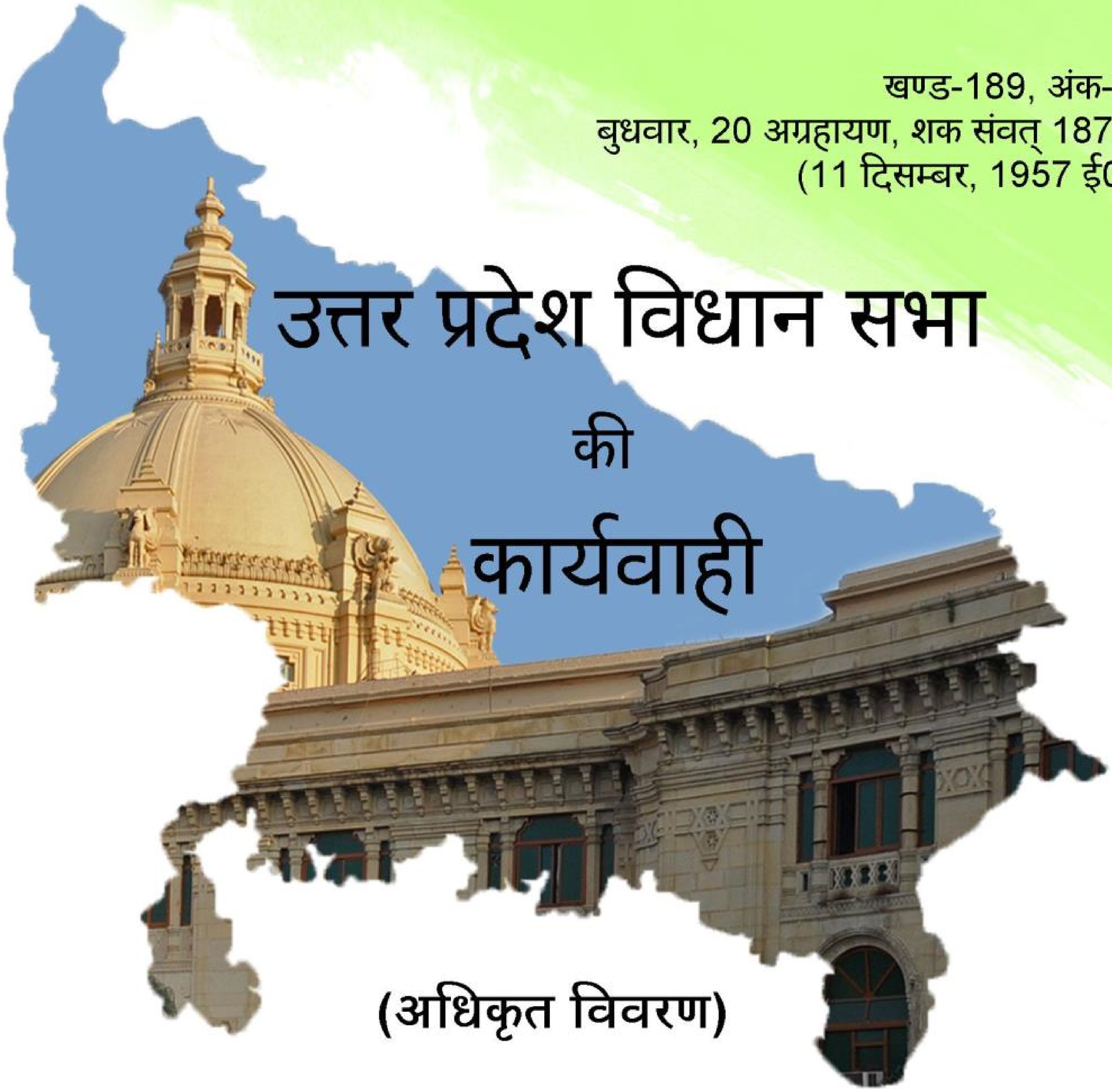

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 189 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ११ दिसम्बर, १९५७ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (३४३)

अक्षयवरसिंह, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अल्लाह बख्श, श्री शेख
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अशफाक अली खां, श्री
असगर अली खां, कुंवर
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आनन्दब्रह्मशाह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेश चन्द्र, श्री उपनाम कमले
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कैलाशप्रकाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
कृपाशंकर, श्री
खजानसिंह, चौधरी
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री

गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ, चौधरी
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जवाहरलाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम, चौधरी
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री

बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बृजवासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महीलाल, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री उपनाम लाल साहब
रघुराजसिंह, चौधरी
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन सिंह, श्री (जौनपुर)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री

रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुक्नुद्दीन खां, श्री
रूर्मासिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह, चौधरी
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगविहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भूदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति सिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्श सिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री

हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, ११ दिसम्बर, १९५७ ई०

तारांकित प्रश्न

देवरिया जिले में छात्रवृत्तियों का वितरण

*१—श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५४ से १९५७ तक देवरिया जिले के कितने छात्रों को छात्रवृत्तियां दी गयीं ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)—देवरिया जिले में १९५४ से १९५७ तक ३,१३१ छात्रों को छात्रवृत्तियां दी गयीं।

*२—श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि छात्रवृत्ति के रूप में कितनी रकम दी गयी और वह किस आधार पर तथा किस ढंग से वितरित की गयी ?

श्री कैलाशप्रकाश—छात्रवृत्ति के रूप में २,२१,५४६ रुपया दिया गया जो योग्यता और निर्धनता के आधार पर वितरित किया गया।

*३—श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त वर्षों में अलग-अलग छात्रवृत्ति के लिए प्रार्थना-पत्रों की संख्या क्या थी ?

श्री कैलाशप्रकाश—सन् १९५४-५५ में ४,५२९ प्रार्थना-पत्र, सन् १९५५-५६ में ४,७६२ प्रार्थना-पत्र और सन् १९५६-५७ में ४,४९७ प्रार्थना-पत्र।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या माननीय मन्त्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५४ से ५७ तक अलग-अलग कितनी छात्रवृत्तियां दी गयीं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

सन् १९५४-५५ में	.. ..	९६९
१९५५-५६ में	.. ..	१,०१०
और १९५६-५७ में	.. ..	१,१५२
	योग ..	३,१३१

श्री ब्रजनारायण तिवारी—१३,७८८ दरख्वास्तों में से ३,१०० के अलावा बाकी के खारिज होने का क्या आधार है ?

श्री कैलाशप्रकाश—आधार केवल धनाभाव है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—जो छात्रवृत्तियां बतलायी गयी हैं उनमें से कितनों का फैसला जिले के स्तर पर हुआ और कितनों का ऊपर से हुआ ?

श्री कैलाशप्रकाश—इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी, किन्तु ये छात्रवृत्तियां शिक्षा संहिता के अनुच्छेदों के अनुसार दी जाती हैं और कुछ का अधिकार जिला विद्यालय निरीक्षक को है, कुछ उपसंचालक को है और कुछ संचालक को है।

श्री गेंदासिंह—क्या सरकार को जिला विद्यालय निरीक्षक के फैसलों के विरुद्ध कोई शिकायतें मिली हैं ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—इधर हाल में अभी कोई शिकायत नहीं मिली है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—सब से अधिक सबसे और कम छात्रवृत्ति कितने की थी ?

श्री कैलाशप्रकाश—नोटिस की आवश्यकता है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—क्या मन्त्री जी को मालूम है कि अभी हाल में जब डिप्टी डाइरेक्टर देवरिया जिले में गये थे तो उनसे प्रत्येक संस्था ने छात्रवृत्तियों के बारे में इन्स्पेक्टर के खिलाफ शिकायत की गई थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसकी कोई सूचना मुझे नहीं मिली है, यदि माननीय सदस्य द देंगे तो जांच करा लूंगा।

टेहरी-गढ़वाल जिले में राजकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल

*४—श्री सूरतचन्द रमोला (जिला टेहरी गढ़वाल) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला टेहरी-गढ़वाल में कितने राजकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल्स हैं और उनमें कितने अध्यापकों की जगहें अब तक खाली हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जिला टेहरी-गढ़वाल में ४ राजकीय हायर सेकेन्डरी स्कूल हैं। इनमें अध्यापकों की कोई भी जगह खाली नहीं है।

राजकीय प्रशिक्षण महिला विद्यालय, इलाहाबाद की प्रवेश-पद्धति

*५—श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)—क्या शिक्षा मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि राजकीय प्रशिक्षण महिला विद्यालय, इलाहाबाद में प्रवेश की संख्या सन् १९५६-५७ में क्या थी तथा इस वर्ष क्या है ?

श्री कैलाशप्रकाश—७३, दोनों वर्ष।

*६—श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त विद्यालय में प्रवेश की पद्धति पिछले वर्ष तक क्या थी तथा इस वर्ष क्या है ?

श्री कैलाशप्रकाश—गत वर्ष, १९५६-५७ तक जिला विद्यालय निरीक्षकों की संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा नियुक्त समिति चुनाव करती थी। इस वर्ष (१९५७-५८) में विभागीय चुनाव समिति द्वारा परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर चुनाव हुए हैं।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि पिछले साल की पद्धति को बदलने की क्या वजह है ?

श्री कैलाशप्रकाश—पिछले साल की पद्धति यह थी कि जिले में प्रार्थना-पत्र आते थे, वहीं साक्षात्कार होता था, जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा, और उसके पश्चात् सूचियां आती थीं जिनको हेडक्वार्टर पर एक कमेटी बैठ कर तय करती थी। इस वर्ष इसे बदला गया है कि जितने प्रार्थना-पत्र हों वे प्रधानाचार्य के पास आवें और वह उनमें से छांट कर वहीं कुछ थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी कर लें और वहीं साक्षात्कार कर लें। इस प्रकार अच्छे स्तर के विद्यार्थी छांटे जा सकते हैं।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—जिस साल विभागीय समिति द्वारा चुनाव हुआ है, उसके कौन कौन सदस्य थे ?

श्री कैलाशप्रकाश—इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—जो परीक्षा हुई थी वह किस प्रकार की थी, कुछ विषयों में थी या किस बात की थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इन्टरव्यू होता है जिस में कुछ सवाल किये जाते हैं, उनके जवाब दिये जाते हैं और कुछ मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी हैं। एक साइकालाजिकल टेस्ट होता है।

श्री रामायणराय—प्रशिक्षण प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए क्या माननीय मन्त्री जी प्रशिक्षण की अधिक व्यवस्था करने का विचार कर रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—आवश्यकता के अनुसार प्रबन्ध होता ही रहता है।

मिर्जापुर जिले के अदलहाट थाने के अन्तर्गत अनधिकृत सीमेंट का पकड़ा जाना

*७—श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मिर्जापुर के अदलहाट थाने के अन्तर्गत वहां के थानेदार ने गत मई के महीने में ४५० बोरी सीमेंट जो अनधिकृत रूप से ले जाते हुए पकड़ी है उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसमें जांच के पश्चात् एक मामला दर्ज किया गया, जो न्यायालय में विचाराधीन है।

*८—श्री राजकुमार शर्मा (अनुपस्थित)—क्या सरकार इस पर पूर्णरूपेण प्रकाश डालेगी कि यह सीमेंट कैसी है और कहां ले जाते हुए पकड़ी गयी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं, क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

कृषि-शिक्षा पर व्यय

*९—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—क्या शिक्षा मन्त्री यह सूचित करेंगे कि प्रदेश में कितने विद्यालय हैं जहां कृषि की शिक्षा भी दी जाती है और उनमें कृषि-शिक्षा पर कितना व्यय होता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—शिक्षा विभाग के अधीन प्रदेश में २,४३० विद्यालय हैं जहां कृषि शिक्षा दी जाती है। कृषि शिक्षा पर कुल ४८,०२,४२४ रु० (अनुमानित) वार्षिक व्यय होता है।

कृषि विभाग के अधीन ३ राजकीय विद्यालय और एक राजकीय महाविद्यालय हैं, जिस पर राज्य सरकार ८,३८,६३० रु० वार्षिक व्यय करती है।

इनके अतिरिक्त अशासकीय ५ कृषि-विद्यालयों तथा ६ महाविद्यालयों को भी कृषि-शिक्षा के लिए अनुमानतः १,५३,३२२ रु० का वार्षिक अनुदान दिया जाता है।

आगरा के अग्रवाल इण्टर कालेज को सरकारी प्रबंध में लेने की प्रार्थना

*१०—श्री लक्ष्मीनारायण बंसल (जिला आगरा)—क्या सरकार आगरा के अग्रवाल इण्टर कालेज के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने का विचार कर रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी नहीं।

*११—श्री लक्ष्मीनारायण बंसल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त कालेज को सरकार क्या वार्षिक सहायता अनुदान देती है ?

श्री कैलाशप्रकाश—एक तालिका सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३१४ पर।)

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल—क्या सरकार को मालूम है कि अग्रवाल कालेज की प्रबन्ध समिति में पिछले ५, ७ वर्षों से दीवानी कचहरी में मुकदमेबाजी चल रही है, जिसके कारण कालज में अनुशासनहीनता बेहद बढ़ गयी है?

श्री कैलाशप्रकाश—इस कालेज के विषय में कुछ शिकायतें आयी थीं जिनकी जांच वहां के उपसंचालक व जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा हो रही है।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल—यह जांच कब से चल रही है?

श्री कैलाश प्रकाश—५, ६ महीने से तो मुझे जानकारी है, सम्भव है कि इससे पहले से भी चल रही हो।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल—वह जांच कब समाप्त हो जायगी?

श्री कैलाश प्रकाश—वह समाप्त हो गयी और उस पर कुछ कार्यवाही भी होती है और प्रबन्ध समिति को कुछ कहा भी गया है।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल—क्या रिपोर्ट आयी है?

श्री कैलाश प्रकाश—रिपोर्ट अभी मेरे पास नहीं आयी है।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल—क्या सरकार को मालूम है कि अदालत दीवानी ने श्री रामचन्द्र गुप्त, एम० पी० को रिसीवर नियुक्त किया था और उनके कार्यकाल में कालेज ने काफी वृद्धि की थी?

श्री कैलाश प्रकाश—मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

राजकीय माध्यमिक विद्यालय, मिर्जापुर में इण्टर क्लास में साइंस न होना

*१२—श्री रामकृष्ण जैसवार (जिला मिर्जापुर)—क्या शिक्षा मंत्री शीघ्र ही इसी वर्ष राजकीय माध्यमिक विद्यालय, मिर्जापुर (Government Inter College, Mirzapur) में इण्टरमीडियेट के प्रथम वर्ष की कक्षा में साइंस का दूसरा सेक्शन खुलवाने की व्यवस्था करेंगे?

श्री कैलाश प्रकाश—जी नहीं।

श्री रामकृष्ण जैसवार—क्या माननीय मंत्री जी आने वाले वर्ष में साइंस की क्लास खोलने पर विचार करेंगे?

श्री कैलाश प्रकाश—अभी तो ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, आवश्यकता होगी तो देखा जायगा।

जिला बोर्ड अधीनस्थ पाठशालाओं के छात्रों के लिए शारीरिक विकास का कार्य

*१३—श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)—क्या सरकार ने इस बात की जांच करा ली है कि इस समय प्रदेश में जिला बोर्डों के अधीनस्थ प्रत्येक प्रकार की पाठशालाओं के छात्रों के शारीरिक विकास की उन्नति के लिये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मैनुअल के शिक्षा नियमों की धारा ६८ के अनुसार कार्यवाही हो रही है?

श्री कैलाशप्रकाश—जिला बोर्ड नियमानुसार छात्रों के शारीरिक विकास की ओर ध्यान दे रहे हैं।

श्री मोहनलाल वर्मा—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस समय तक शारीरिक विकास के लिये क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री कैलाशप्रकाश—सब कार्यवाही जिला बोर्ड द्वारा होती है और जिला बोर्ड ही अपने-अपने स्कूलों में शारीरिक व्यायाम का खर्चा चलाते हैं। इसी क लिये जिला स्तर पर कुछ रैलियां होती हैं जिनमें विद्यार्थी भाग लेते हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि इन जिला बोर्डों के अधीनस्थ विद्यालयों में कुछ गेम्स फी भी पड़ती है ?

श्री कैलाशप्रकाश—यह जिला बोर्ड से सम्बन्धित प्रश्न है इसलिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्रीजी को पता है कि ७० फीसदी से अधिक जिला बोर्डों के पास न तो खेलने के मैदान हैं और न सामान ही हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां, यह तो मालूम है कि जो जिला बोर्ड प्राइमरी स्कूल चलाते हैं उनमें बहुत अच्छा खेलने का प्रबन्ध नहीं है, किन्तु इस प्रबन्ध के लिये जिला बोर्ड और माननीय सदस्यों के सहयोग की आवश्यकता होगी। तभी वह प्रबन्ध हो सकता है।

उन्नाव जिले में जूनियर हाई स्कूलों के प्रधानाध्यापकों की पदावनति

*१४—श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले के जिन प्रशिक्षित एवं विशेष योग्यताएं प्राप्त अध्यापकों को १९५३ एवं १९५४ में जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्त किया गया था उन्हें अब उक्त पदों से क्यों हटाया जा रहा है ?

श्री कैलाश प्रकाश—जिला परिषद् उन्नाव के अन्तर्गत कार्य करने वाले ४ प्रशिक्षित अध्यापकों को अस्थायी रूप से १९५३-५४ में इन्चार्ज प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्त किया गया था, किन्तु सेवा में उनसे ज्येष्ठ अध्यापकों के प्रत्यावेदन पर उन्हें सहायक अध्यापकों के पदों पर पुनः वापस किया गया।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला के ज्येष्ठ अध्यापकों का प्रतिवेदन कब प्राप्त हुआ था और यह प्रशिक्षित अध्यापक अपने पदों से कब हटाये गये ?

श्री कैलाशप्रकाश—दिनांक के लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या यह सही है कि जिला परिषद् के प्रस्ताव पर ही इस प्रकार के अध्यापकों को अस्थायी पदों पर नियुक्त किया गया था ?

श्री कैलाशप्रकाश—मुझे इस समय जो सूचना प्राप्त है उसके आधार पर यही कहा जा सकता है कि जिन शिक्षकों के अधिकारों का हनन हुआ था, उन्होंने प्रत्यावेदन दिया और उस प्रत्यावेदन के द्वारा ही निर्णय हुआ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिन शिक्षकों की पदोन्नति और पदावनति हुई, उसकी कार्यवाही करने में डिप्टी इंस्पेक्टर के साथ-साथ चेयरमैन की भी सहमति थी ?

श्री कैलाशप्रकाश—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

आजमगढ़ जिले में आग लगाने के मामले

*१५—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में १९५४, १९५५, १९५६ व १५ जुलाई, १९५७ तक कितनी-कितनी रिपोर्टें आतशजनी की पुलिस में की गईं और प्रति वर्ष पुलिस ने कितने-कितने केसों पर चार्जशीट लगा कर मामला अदालत में भेजा ?

*१६—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रतिवर्ष कितने मामलों में सजाएं हुईं और कितने मामलों में लोग निर्दोष छूटे ?

श्री कैलाश प्रकाश—मांगी गई सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३१५ पर।)

आजमगढ़ जिले में फौजदारी के मुकदमे

*१७—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४, १९५५, १९५६ तथा जुलाई, १९५७ तक आजमगढ़ जिले में जाब्ता फौजदारी के कितने १०७/११७ के मामले चलाये गये, कितने मामलों में जमानत मुचलका लिया गया, कितनों में फरीकेन ने सुलह की, कितने खारिज हुए, और कितने मामले विचाराधीन हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—मांगी गई सूचना संलग्न तालिका में दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३१६ पर।)

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि तीन-तीन साल के मुकदमे विचाराधीन हैं और लोग परेशान हैं, उनका जल्दी फैसला कराने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अदालतों के सामने मामले हैं। अगर कहीं विलम्ब होता है तो बार-बार कहा ही जाता है कि जल्दी फैसला हो।

श्री गेंदासिंह—प्रश्नकर्ता के कहने के मुताबिक ऐसा मालूम होता है कि जो तालिका सरकार ने दी है, उसमें आधे मामले गलत हैं। तो क्या यह सही है कि सरकार ने इस बात को कबूल किया है कि आधे मामले गलत हैं जो अब तक अदालतों में चलाये जा रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—गलत से मतलब क्या है आपका ?

श्री गेंदासिंह—गलत से मेरा मतलब है झूठा, यानी जिनके ऊपर झूठे मुकदमे चलाये जा रहे हैं ?

श्री मोतीलाल अवस्थी—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष—प्रश्नों में प्वाइंट आफ आर्डर नहीं होता है, मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री कमलापति त्रिपाठी—जो मुकदमे चलाये गये हैं, उनकी तादाद सन् १९५७ में ५७० है जिनमें मुचलके लिये गये १२७, सुलह हुई १३३ में, खारिज हुए १९३ और विचाराधीन हैं ११७। कार्यवाही तो सब पर हो ही रही है।

मुजफ्फरनगर जिले में कत्ल के मकदमे

*१८—श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित)—क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि जिला मुजफ्फरनगर में सन् १९५५ व १९५६ में अलग-अलग कितने कत्ल हुए और उन कत्लों के कारण विशेषतया क्या-क्या थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सन् १९५५ में २० तथा १९५६ में २९ कत्ल हुए। इन कत्लों के कारणों में धन लाभ, शत्रुता, घरेलू झगड़े, भूमि सम्बन्धी झगड़े आदि मुख्य हैं।

*१९—**श्री वीरेन्द्र वर्मा** (अनुपस्थित)—क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि १९५५ व १९५६ में अलग-अलग कितने-कितने कातिल पकड़े गये, कितने कत्ल के मुकदमे चले, कितनों को लोअर कोर्ट्स से सजा हुई और उनमें से हाई कोर्ट द्वारा कितने बरी कर दिये गये?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सन् १९५५ में ६० व्यक्ति पकड़े गये, १९ मुकदमे चले, २० व्यक्तियों को लोअर कोर्ट्स से सजा हुई तथा उनमें से १३ व्यक्ति हाई कोर्ट से बरी किये गये। सन् १९५६ में ९२ व्यक्ति पकड़े गये, १५ मुकदमे चले, ४२ व्यक्तियों को लोअर कोर्ट्स से सजा हुई तथा १ व्यक्ति हाई कोर्ट से बरी किया गया।

मैनपुरी जिले में कत्ल और डकैतियां

*२०—**श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में १९५५ में कितनी डकैती पड़ी हैं और १९५६ से ३१ जुलाई, १९५७ तक कितनी डकैती पड़ी हैं और १९५५ की डकैतियों में कितने कत्ल हुए हैं और १९५६ से ३१ जुलाई, १९५७ तक की डकैतियों में कितने कत्ल हुए हैं?

श्री कैलाशप्रकाश—मैनपुरी जिला में सन् १९५५ में ४७ डकैतियां तथा सन् १९५६ से ३१ जुलाई, १९५७ तक ६० डकैतियां पड़ीं। सन् १९५५ की डकैतियों में ५ कत्ल हुए तथा सन् १९५६ से ३१ जुलाई, १९५७ तक ७ कत्ल हुए।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो डकैतियां पड़ी हैं, उनमें ऐसी डकैतियां कितनी हैं जिनकी थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी गयी है, एस० पी० को दरख्वास्तव दे दी गयी है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसकी तफसील तो इस वक्त नहीं है। मान्यवर, सूचना मिलने पर मंगा ली जायगी।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि डकैतियों में जो कत्ल हुए हैं वह किस हथियार से अधिक हुये हैं?

श्री अध्यक्ष—यह तो बहुत ब्योरे का सवाल है, आपको यह पहले से भेज देना चाहिए था, वह डकैती के वक्त में हाजिर नहीं थे इसलिये यह बताना मुश्किल है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि कितनी डकैतियों की संख्या ऐसी है कि जिनमें फायरआर्म्स का इस्तेमाल किया गया है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसकी कोई सूचना इस वक्त हमारे पास नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि इन बढ़ती हुई डकैतियों और कत्लों को देखते हुए सरकार ने क्या एडीशनल प्रिकाशन्स लोगों की सेफ्टी के लिए लिये हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इधर तो डकैतियां बढ़ी नहीं हैं बल्कि कुछ कम हुई हैं, उनको रोकने की कोशिश बराबर हो रही है, दुःखद है कि इतनी भी हो रही हैं।

बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के विद्यार्थियों की फीस माफी के लिए बलिया जिला बोर्ड को सहायता

*२१—**श्री गौरीशंकर राय** (जिला बलिया)—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५ में बाढ़ से क्षतिग्रस्त क्षेत्र के विद्यार्थियों की फीस माफी के मद में जिला बोर्ड, बलिया को कितना रुपया दिया गया?

श्री कैलाशप्रकाश--जिला बोर्ड, बलिया को ४९,३२२ रु० ६ आ० ६ पा० मिला था।

*२२--श्री गौरीशंकर राय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५५ में बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों के विद्यार्थियों की बलिया जिला बोर्ड के स्कूलों में फीस क्यों नहीं माफ हुई ?

श्री कैलाशप्रकाश--प्रश्न नहीं उठता।

श्री गौरीशंकर राय--श्रीमन्, प्रश्न २२ में लिखा है कि प्रश्न नहीं उठता। तो क्या मैं जान सकता हूं कि यहां के विद्यार्थियों की फीस माफ हुई या नहीं हुई ?

श्री कैलाशप्रकाश--जब यह रुपया दिया गया जिसका जिक्र प्रश्न २१ के उत्तर में लिखा है, तो उतने दिनों की माफ हुई।

श्री अध्यक्ष--रुपया दिया तो माफी हुई, लेकिन प्रश्न स्पष्ट है कि क्या सरकार की ओर से सन् ५५ में विद्यार्थियों की फीस माफ हुई, इसमें जवाब स्पष्ट होना चाहिये।

श्री कमलापति त्रिपाठी--बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के विद्यार्थियों की फीस माफ होती है और उसके लिये हमारा जो माल विभाग है उसके द्वारा कलेक्टर को रुपया भेज दिया जाता है, और फीस का हिसाब डिप्टी इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर जब लिख कर भेजते हैं तो कलेक्टर उसी हिसाब से पैसा देते हैं। कुल ४९ हजार रुपये के करीब फीस माफी का उन्होंने दिया है, अब कितनों की माफी हुई कितनों की नहीं हुई इस सबकी तफसील इस समय हमारे पास नहीं है।

श्री गौरीशंकर राय--क्या एक आदमी की भी फीस इस रकम में से माफ हुई या नहीं हुई ?

श्री अध्यक्ष--इसका जवाब उनके पास नहीं है, उन्होंने जवाब दे दिया कि प्रश्न नहीं उठता। रुपया यहां से गया लेकिन वह यह नहीं जानते कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने माफ किया या नहीं किया, ऐसी कल्पना उनके दिमाग में नहीं आई, इसीलिये उन्होंने कहा कि प्रश्न नहीं उठता, हम ने तो रुपया दे दिया।

श्री गौरीशंकर राय--क्या माननीय मंत्री जी मेरी इस सूचना पर कि यह रुपया भूतपूर्व खाद्य मंत्री श्री चन्द्रभानु गुप्त को चीफ मिनिस्टर पर्स के रूप में दिया गया, इसकी जांच करायेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश--वह रुपया जो दिया गया था वह फीस माफी के सम्बन्ध में दिया गया था और इस सम्बन्ध में यदि उनकी कोई ऐसी सूचना है तो उसकी जांच कराई जायगी।

सुल्तानपुर जिले में प्रारम्भिक पाठशाला भवनों का निर्माण

*२३--श्री काशीप्रसाद पांडेय (जिला सुल्तानपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सुल्तानपुर जिले में १९४८ से १९५६ तक कितने प्रारम्भिक पाठशाला भवन तहसीलवार निर्माण किये गये ?

श्री कैलाशप्रकाश--१९४८ से १९५६ तक जिला सुल्तानपुर के तहसीलवार निर्मित पाठशाला भवन निम्नलिखित हैं :--

तहसील	भवन
कादीपुर	३२
सुल्तानपुर	४२
मुसाफिरखाना	१८
अमेठी	१६
योग ..	१०८

श्री काशीप्रसाद पांडेय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन पाठशालाओं के भवन-निर्माण में कितना रुपया लगा है ?

श्री कैलाशप्रकाश---इसके लिए नोटिस की आवश्यकता होगी।

रुदौली, जिला बाराबंकी में मलकनियां स्थित मन्दिर के मेले में दफा १४४ का गलत निफाज

*२४---श्री मुकुटविहारीलाल अग्रवाल (जिला बाराबंकी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले के रुदौली कस्बे में मलकनियां स्थित मन्दिर के जीर्णोद्धार के समय जो मेला मई, १९५७ ई० में लगा था उसमें स्थानीय इन्चार्ज थाना भलेसर ने दफा १४४ की गलत घोषणा कराई ? इस सम्बन्ध में क्या कोई इन्क्वायरी हुई ? यदि हां, तो क्या दोषी अधिकारी को कोई दण्ड दिया गया ?

श्री कैलाशप्रकाश---जी हां। संबंधित सब-इन्स्पेक्टर की आचरण पुस्तिका में एक प्रतिकूल प्रविष्टि कर दी गई है।

श्री मुकुटविहारीलाल अग्रवाल---क्या सरकार ने यह मालूम किया कि उक्त अधिकारी ने ऐसी गलत घोषणा क्यों करायी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---उसे भ्रान्ति हो गयी इस वास्ते कि गत वर्ष भी मेले में ऐसी घोषणा वहां १४४ की की गयी थी और इस बार भी की गयी। मेले के अवसर पर उसने कह दिया कि यहां पांच आदमी से अधिक न एकत्र हों, क्योंकि साधारणतया १४४ जैसे लगती है उसमें उसको कुछ भ्रान्ति हो गयी कि शायद यहां ऐसा भी आदेश हो कि पांच आदमियों से अधिक एक स्थान पर न एकत्र हों। बाद में वह चीज हटा भी दी गयी। उससे गलती हो गयी और उसे उतना दंड भी दिया गया।

श्री मुकुटविहारीलाल अग्रवाल---क्या सरकार को पता है कि उसी समय होने वाले एक दूसरे मेले से सम्बन्धित होने के कारण उक्त अधिकारी ने ऐसा किया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी नहीं। वहां १४४ पहले से मजिस्ट्रेट ने लगा रखी थी। मेले तो दो हो रहे थे। थोड़ी दूर पर दूसरा मेला हो रहा था। यह हनुमान जी वाला भी हो रहा था। इस स्थान में १४४ पहले से लगी हुई थी। लेकिन उसकी घोषणा करने में यह भी जोड़ दिया कि यहां पांच आदमी से अधिक अगर इकट्ठा होंगे तो उनके भी चालान किये जायेंगे। १४४ लगी थी। उसमें केवल इतना था कि हथियार वगैरह लेकर न आयें। इस तरह से शान्ति बनी रहे।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस समय यह मेला हो रहा था तो पड़ोस में कोई और भी मेला हो रहा था, उसमें भी १४४ लगी थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां, एक मुस्लिम मेला भी हो रहा था, जौहर बीबी का, जो हर साल होता है और जो यहीं से थोड़ी दूर पर है।

श्री अध्यक्ष---दूसरा सवाल था कि उसमें भी १४४ लगी थी ? उसका जवाब नहीं मिला।

श्री कमलापति त्रिपाठी---मेरा खयाल है कि वहां भी १४४ लगी थी, लेकिन इसकी जांच करके मैं पूरी रिपोर्ट दे सकूंगा।

श्री शिवप्रसाद नागर---अभी माननीय मंत्री जी के उत्तर से यह मालूम हुआ कि शायद एक ही मेले में १४४ लगी थी, जो पड़ोस में मेला हो रहा था उसमें नहीं लगी थी।

श्री अध्यक्ष--यह वह नहीं कहते हैं। वह कहते हैं कि शायद लगी थी।

श्री शिवप्रसाद नागर--इसका मतलब सदन की दृष्टि में यही है कि एक ही मेले में शायद १४४ लगी थी, तो वह बताने की कृपा करेंगे कि जिस मेले में १४४ लगायी गयी थी वह प्रेजुडिस मांइडेड लगायी गयी थी ?

श्री अध्यक्ष--यह प्रश्न उठता नहीं जब उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा।

श्री मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल--क्या सरकार को पता है कि उक्त अधिकारी की, थाना भलेसर से ट्रांसफर होने के बाद तरक्की की गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इसकी सूचना नहीं है मेरे पास। मैं इसकी और जांच करा लूंगा। लेकिन उसे तो ऐडवर्स एंट्री दी गयी है।

गोंडा जिले में छः मास के ऊपर के हवालाती

*२५--श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)--क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जेल में कितने ऐसे हवालाती हैं जो छः महीने से अधिक से मुकदमा फैसल न होने के कारण बन्द हैं ?

समाज सुरक्षा राज्य मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)--ऐसे हवालाती बन्दियों की संख्या ३१-१०-१९५७ को ८१ थी।

श्री बलदेवसिंह--क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करने की कृपा करेगी कि इन हवालाती कैदियों के मुकदमे जल्दी फैसल हो जायं ?

श्री मुजफ्फर हसन--ऐसी कोशिश तो बराबर की जाती है।

श्री बलदेवसिंह--क्या यह सही है कि ८१ कैदी जो बन्द हैं ये करीब डेढ़ साल से जेल में पड़े हैं और उनके मुकदमे फैसल नहीं हुए ?

श्री मुजफ्फर हसन--मुख्तलिफ मियाद के लोग हैं। हो सकता है कि कोई डेढ़ साल का भी हो।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--क्या सरकार को पता है कि इसमें कुछ ऐसे भी बन्दी हैं कि जिस दफा में उनके ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा है उसमें जितनी सजा दी जा सकती है उससे ज्यादा वे हवालाती के रूप में काट चुके ?

श्री मुजफ्फर हसन--मैं इस बारे में कोई निश्चित बात तो नहीं कह सकता।

श्री राजनारायण--क्या सरकार बतायेगी कि जो बन्दी ६ महीने से अधिक समय से बन्दी हैं हवालाती के रूप में वे मुकदमे के सिलसिले में कभी पेश भी हुए अदालत के सामने ?

श्री अध्यक्ष--८१ बन्दी हैं सब को अलग-अलग कैसे बतायें।

श्री बलदेवसिंह--क्या सरकार को इस चीज की जानकारी है कि गोंडा जिला जेल में ऐसे भी कैदी हैं जो दफा ३२३ के जुर्म में ३ महीने से बन्द हैं और जमानत जमा नहीं हो सकी इसलिये कि पुलिस ने रिपोर्ट कर दी कि कार्यवाही शिनाख्त की जरूरत है ?

श्री अध्यक्ष--जो जवाब दे दिया उसके बाद यह प्रश्न उठता नहीं, उनको इंक्वायरी करनी पड़ेगी।

राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों के वेतन में कथित कटौती

*२६—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि सरकारी कालिजों के राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण प्राप्त बहुत से अध्यापकों के वेतन में कोई कटौती शिक्षा विभाग ने की है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं। राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय से दीक्षित अध्यापकों के वेतन में कोई आम कटौती नहीं की जा रही है।

*२७—श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)—क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि कटौती से कितने अध्यापक सम्बन्धित हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह प्रश्न नहीं उठता।

*२८—श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि जिन २ अध्यापकों के वेतन में कमी की गई उनसे कटौती वसूल भी की जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह प्रश्न नहीं उठता।

रायबरेली जिले की नुमायश में चन्दा तथा व्यय

*२९—श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत वर्ष में जिला रायबरेली की नुमाइश में कितना चन्दा एकत्र किया गया था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—गत वर्ष जिला रायबरेली में आयोजित विकास प्रदर्शनी में पन्द्रह हजार नौ सौ चौंतिस रुपया ७४ नये पैसे चन्दे से एकत्र हुए थे।

*३०—श्री गुप्तारसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त नुमायश में किस मद में कितना खर्च हुआ और कुल खर्च कितना हुआ और शेष क्या रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उपर्युक्त नुमायश में मदवार व्यय विवरण संलग्न सूची के अनुसार हुआ और कुल व्यय पच्चीस हजार छः सौ चौंसठ रुपये दस नये पैसे हुए तथा शेष एक हजार दो सौ पचपन रुपया २६ नये पैसे रहे।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३१७ पर।)

*३१-३२—श्री रामसुन्दर पांडेय—[१९ दिसम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न ८०-८१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

इलाहाबाद महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय में एल० टी० तथा शारीरिक प्रशिक्षण कोर्स के लिए चुनाव

*३३—श्री डूंगरसिंह (जिला हमीरपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय में एल० टी० के चुनाव में इस वर्ष कुल कितने आशार्थी चुने गये और उनमें से कितने इलाहाबाद जिले के थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कुल ५७ छात्रायें चुनी गईं, उनमें से ३१ इलाहाबाद जिले की थीं।

*३४—श्री डूंगरसिंह (अनुपस्थित)—इस चुनाव बोर्ड में कितने और कौन-कौन सदस्य थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--निम्नलिखित तीन सदस्य थे--

(१) उपशिक्षा संचालक (महिला) प्रधान कार्यालय।
(२) प्रधानाचार्या, राजकीय महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद।
(३) साइकोलोजिस्ट, मनोवैज्ञानिक केन्द्र, इलाहाबाद।

*३५--श्री डूंगरसिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय में शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण कोर्स के लिये कितनी ग्रेजुएट्स और कितनी अन्डर ग्रेजुएट्स आशार्थियों की जगहें थीं और प्रत्येक कक्षा में वास्तव में कितने-कितने आशार्थी चुने गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--ग्रेजुएट तथा अन्डर ग्रेजुएट के लिए अलग-अलग सुरक्षित स्थान नहीं रखा गया है। कुल जगहें २५ हैं। ३ ग्रेजुएट एवं २२ अन्डर ग्रेजुएट ली गयीं।

मुजफ्फरनगर जिले की शिक्षा संस्थाएं

*३६--श्री वीरेन्द्र वर्मा (अनुपस्थित)--क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि मुजफ्फरनगर जिले में कितने सरकारी, जिला बोर्ड व पब्लिक के प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल तथा हायर सेकेंडरी स्कूल हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सूचना एकत्रित की जा रही है।

*३७--श्री वीरेन्द्र वर्मा (अनुपस्थित)--गत तीन वर्षों में अर्थात् १९५४-५५, १९५५-५६, १९५६-५७ में अलग-अलग उक्त प्रकार की संस्थाओं की अलग-अलग क्या संख्या थी और विद्यार्थियों की भी अलग-अलग क्या संख्या थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सूचना एकत्रित की जा रही है।

मुजफ्फरनगर जिले की शिक्षा संस्थाओं में कन्याओं की संख्या

*३८--श्री वीरेन्द्र वर्मा (अनुपस्थित)--क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि मुजफ्फरनगर जिले में कन्याओं की संख्या प्राइमरी, जूनियर तथा हायर सेकेंडरी स्कूलों में अलग-अलग गत तीनों वर्षों में क्या रही ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मुजफ्फरनगर जिले के प्राइमरी, जूनियर तथा हायर सेकेंडरी स्कूलों में सन् १९५४-५५, १९५५-५६, तथा १९५६-५७ में कन्याओं की संख्या निम्नलिखित थी :

		१९५४-५५	१९५५-५६	१९५६-५७
प्राइमरी स्कूल ..	..	६,८१८	७,२४०	७,८३४
जूनियर हाई स्कूल	..	७२६	८६२	१,५१९
हायर सेकेंडरी स्कूल	..	१,९०८	२,१८६	२,३९०

बुद्ध जयन्ती के अवसर पर कुशीनगर में व्यय

*३९--श्री ब्रजनारायण तिवारी--क्या सरकार बतायेगी कि बुद्ध जयन्ती के अवसर पर अब तक कुशीनगर में कितने रुपये खर्च हुये हैं और किस-किस मद में अलग-अलग कितना-कितना खर्च हुआ है ?

गृह मंत्री के सभा सचिव (श्री इस्तफा हुसैन)---अब तक कुल ४,२०,१७६ रु० का व्यय निम्नांकित मदों पर हुआ है---

	रु०
१---बिजली की व्यवस्था	५३,६००
२---चिकित्सा व्यवस्था	७,५७०
३---स्वच्छता (सैनीटेशन)	१९,१२२
४---सुरक्षा (Security) व्यवस्था	७,८२९
५---१०० विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण ..	१,९०,६०२
६---अस्थायी गृहों (हटमेण्ट्स) का निर्माण	७१,३२०
७---अस्थायी बस स्टेशन	३४,०९९
८---मार्गों के किनारे पेड़ पौधों का लगाना	११,३७८
९---मेला और प्रदर्शनी	४,७३७
१०---विशेष प्रचार	१,०००
११---प्रकाशन (कागज के मूल्य सहित)	१८,९१९
योग ..	४,२०,१७६

कुशीनगर में पानी आदि की व्यवस्था करने पर जो व्यय हुआ है उसकी सूचना अभी उपलब्ध नहीं हो सकी है।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---जहां सुरक्षा का सवाल है उसमें मन्दिर की सुरक्षा है या नहीं?

श्री कमलापति त्रिपाठी---सभी चीजों की सुरक्षा है।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि बुद्ध भगवान् के मन्दिर में अक्सर चोरी हुआ करती है और उसके लिये कोई निश्चित सुरक्षा की व्यवस्था सरकार ने नहीं की है?

श्री अध्यक्ष---यह तो आप खुद अपनी जानकारी बतला रहे हैं। आप सवाल कीजिये।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो सुरक्षा की व्यवस्था है वह समुचित नहीं है और मन्दिर में कपड़े वगैरह जो होते हैं उनकी चोरियां हुआ करती हैं और सरकार की तरफ से कोई उचित कार्यवाही भी नहीं की जा रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी---ऐसी कोई खास सूचना तो मिली नहीं कि कुशीनगर के लोग भगवान् बुद्ध के मन्दिर में रोज चोरियां किया करते हैं। ऐसा कोई संकेत आयेगा और शिकायत मालूम होगी तो उसकी व्यवस्था की जायगी।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को यह पता है कि कुशीनगर के लोग चोरी नहीं किया करते हैं, कुछ बाहर के लोग जाकर चोरी करते हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां, ऐसा भी हो सकता है।

श्री अध्यक्ष---बनारस दूर नहीं है।

श्री राजनारायण---मंत्रियों के लिये दूर नहीं है।

श्री गेंदासिंह---क्या गृह मंत्री को इस बात की जानकारी है कि अक्सर जो लोग बाहर से आते हैं व बनारस होते हुए ही आते हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, सारनाथ एक बहुत बड़ा तीर्थ है जहां भगवान् ने धर्म चक्र प्रवर्तन किया था और वहां से होते हुए अक्सर लोग कुशीनगर जाते हैं।

श्री गेंदासिंह—क्या यह सही है कि जो खर्चा अभी बतलाया गया है शुरू-शुरू में इस खर्च का ज्यादा अन्दाज किया गया था और वह खर्चा पूरा नहीं हो पाया है, इसलिये यात्रियों को असुविधा होती है और बदनामी भी होती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसी कोई शिकायत हो तो उसकी सूचना मिलनी चाहिये। यह जो खर्चा हुआ है बुद्ध जयन्ती के अवसर पर उसमें कुछ खर्चा यू० पी० सरकार ने और कुछ भारत सरकार ने भी किया है। कुछ खर्चा रेलवे लाइन बनाने पर खर्च करने जा रहे हैं। उसकी कोई सूचना नहीं है, लेकिन जितना यू० पी० सरकार ने किया है वह सूचना दी है। कोई कष्ट हो तो उसकी सूचना मिलनी चाहिये।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि कुशीनगर में बुद्ध जयन्ती के अवसर पर जो व्यय हुआ है उसमें कितना स्थायी निर्माण के लिये है और कितना सजावट के लिये ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने हर चीज का ब्योरा दे दिया है। आप उसमें अस्थायी और स्थायी की खुद जांच कर लें। लिहाजा इसके उत्तर देने की आवश्यकता नहीं मालूम होती।

विदेशियों की मूर्तियां हटाने पर सजाएं

*४०—श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बतायेगी कि विदेशी व्यक्तियों की मूर्तियों के हटाने के सिलसिले में अब तक कितने आदमियों को पकड़ा गया और कितनों को सजाएं हुईं ?

श्री कैलाश प्रकाश—विदेशी व्यक्तियों की मूर्तियों को हटाने के सिलसिले में ६९ आदमियों को पकड़ा गया और ६४ आदमियों को सजाएं हुईं।

श्री गनेशीलाल चौधरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन ६४ आदमियों को जिनको सजाएं हुई हैं वे किस दफा में और कितनी सजाएं हुई हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—आगरे में दो व्यक्तियों को ६ मास की सजा दफा १४७ आई० पी० सी०.....

श्री अध्यक्ष—क्या हरएक के लिये आप बतला रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यही पूछा है।

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा, इसमें तो बहुत समय लग जायगा।

श्री राजनारायण—दो तीन ही केस होंगे।

श्री अध्यक्ष—६४ आदमियों को सजाएं हुई हैं।

श्री राजनारायण—४६ आदमियों का जत्था तो मेरे ही साथ था। एक को जो सजा हो जायगी वही सबकी हो जायगी।

श्री अध्यक्ष—थोकबन्द सजाएं हैं तो बतलाई जा सकती हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैं बतला ही दूं। आगरे में दो व्यक्तियों को ६ महीने की सजा १४७ आई० पी० सी० के मातहत हुई। १ माह की सजा दफा ४२६, ५११ आई० पी० सी० के मातहत हुई।

कानपुर तथा इलाहाबाद में क्रमशः १३ और ३ व्यक्तियों को दफा १८८ आई० पी० सी० के अन्तर्गत सजा हुई। वाराणसी के श्री भरत सिंह को ३ माह के कठिन कारावास तथा सौ रुपया जुर्माना दफा १४३ आई० पी० सी० के अन्तर्गत तथा एक साल का कठिन कारावास और दो सौ रुपया जुर्माना दफा ४२७ आई० पी० सी० के अन्तर्गत हुआ। श्री राजनारायण सिंह तथा ४४ अन्य व्यक्तियों को तीन माह का कठिन कारावास तथा सौ रुपया जुर्माना तथा १४३ आई० पी० सी०, तथा एक साल का कठिन कारावास और २०० रुपया जुर्माना दफा ४२७ / १४९ आई० पी० सी० के अन्तर्गत हुआ।

श्री गनेशीलाल चौधरी---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब सरकार का यह निश्चित मत था कि विदेशी मूर्तियां हटायी जायंगी तो फिर इतने आदमियों को क्यों सजाएं दी गयीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मूर्तियों को हटाने का निश्चय था १५ अगस्त तक और मूर्तियों को तोड़ने का निश्चय नहीं और कानून के विरुद्ध कार्यवाही करने का निश्चय नहीं था।

श्री गेंदासिंह---क्या गृह मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि राजनारायण सिंह जी को मैजिस्ट्रेट ने भारी-भरकम सजा दी थी और जज ने बाद में कम कर दी और वह अन्य लोग छोड़ दिये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---बड़ी प्रसन्नता की बात है।

श्री गेंदासिंह---जिस मैजिस्ट्रेट ने ऐसी सजा दी है, जिसकी बहुत ही आलोचना जज ने की है, उस मैजिस्ट्रेट के काम पर सरकार विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष---यानी उन्होंने स्ट्रिक्चर्स पास किये हैं ?

श्री गेंदासिंह---जी हां और उसके विवेक पर भी हमला किया है जज ने।

श्री कमलापति त्रिपाठी---यदि कोई स्ट्रिक्चर होता है किसी अधिकारी के सम्बन्ध में तो उस पर जो कार्यवाही साधारण तौर से होती है वह की जाती है।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने कहा कि "प्रसन्नता की बात है", तो चाहे प्रसन्नता की बात हो या दुःख की बात हो, गेंदासिंह जी का स्पष्ट सवाल था कि क्या गृह मंत्री जी को मालूम है ? मैं उनसे सवाल कर रहा हूं कि क्या सरकार को मालूम है कि सेशन जज ने १९ महीने की सजा को हटा करके ३ महीने की सजा कर दी ?

श्री अध्यक्ष---ठीक है, उसका जवाब मिल चुका है कि "प्रसन्नता की बात है", मतलब यह कि सही बात है। अब आपकी समझ में न आवे तो दूसरी बात है।

श्री राजनारायण---क्या माननीय गृह मंत्री को पता है कि सेशन जज ने अपने आदेश म यह भी कहा कि जिन लोगों से जुर्माने लिए गये हैं वे फौरन वापस किये जायं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---ऐसे फैसले की सूचना कोई आयेगी तो अदालत के आदेशानुसार कार्यवाही की जायगी।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि ये मूर्तियां ६४ आदमियों की गिरफ्तारी पर हटायी गयीं या कोई पूर्व निश्चित योजना थी ? और यदि पूर्व निश्चित योजना थी तो फिर इन गिरफ्तारियों की क्या वजह थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि मूर्तियों को हटाने की योजना १५ अगस्त की थी, लेकिन यह योजना मूर्तियों को तोड़ने की नहीं थी। वह तो कानून भंग करने के सिलसिले में जो कार्यवाही की गयी, उसके सम्बन्ध में गिरफ्तारियां हुईं।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिन लोगों को सजाएं हुईं मूर्तियों को तोड़ने या हटाने के सिलसिले में उनमें से कितने आदमी अब भी जेलों में बन्द हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मेरा खयाल है कि कोई जेल में बन्द नहीं है ।

श्री राजनारायण--क्या सरकार बतायेगी कि सरकार ने कब फैसला किया कि १५ अगस्त तक वे मूर्तियां हटा दी जायंगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--बहुत पहले से इस पर विचार हो रहा था ।

श्री राजनारायण--क्या सरकार कृपा कर के बतलायेगी कि निश्चित रूप से किस तारीख को सरकार ने निश्चय किया कि १५ अगस्त तक मूर्तियां हटा दी जायंगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--तारीख और तिथि की सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है, सूचना मिलने पर बतला सकता हूं ।

श्री राजनारायण--क्या गृह मंत्री को यह मालूम है कि १० मई का आन्दोलन होने के बाद जून के महीने में नैनीताल से मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की कि १५ अगस्त को मूर्तियां हटायी जायंगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मैंने निवेदन किया मान्यवर, कि मेरे पास कोई तारीख वगैरह की सूचना नहीं है ।

विदेशियों की मूर्तियों की रक्षा पर व्यय

*४१--श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष १० मई से लेकर १० जुलाई तक सरकार का कुल कितना रुपया विदेशियों की मूर्तियों की रक्षा में खर्च हुआ ?

श्री कैलाशप्रकाश--विदेशियों की मूर्तियों की रक्षा में कुछ भी व्यय नहीं हुआ ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि विदेशियों की मूर्तियां जहां पर थीं वहां पर सरकार ने जो शामियाने वगैरह लगा करके पुलिस रखी, उसमें कोई खर्चा नहीं हुआ ?

श्री कैलाशप्रकाश--कुछ स्थानों पर मूर्तियों की रक्षा के लिये पुलिस नियुक्त की गयी, लेकिन वह पुलिस रिजर्व पुलिस से नियुक्त की गयी थी, इसलिये कोई विशेष खर्चा उनके ऊपर नहीं हुआ ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--मैंने प्रश्न यह किया था कि शामियाने वगैरह मूर्तियों के पास लगाये गये थे, जिनके नीचे पुलिस बैठती थी, उसमें कुछ खर्चा तो हुआ ही होगा ?

श्री अध्यक्ष --आप तो बहस कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि कुछ खर्चा नहीं हुआ ।

श्री राजनारायण--क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि यदि विशेष खर्चा नहीं हुआ तो साधारण खर्चा कितना हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--"विशेष" से मतलब "अतिरिक्त" से है । जो साधारण खर्चा होता है वैसा तो होता ही रहा । उनसे ड्यूटी ली गयी मूर्तियों की रक्षा करने के लिये, चाहे वह ड्यूटी ली जाती या न ली जाती, वह खर्चा होता ही । उसके अतिरिक्त कोई खर्चा नहीं हुआ ।

हाई स्कूल और इण्टर की परीक्षाओं में कुछ विद्यार्थियों का नतीजा रोकना

*४२--श्री रामगोपाल गुप्त (जिला हमीरपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष हाई स्कूल और इन्टर परीक्षाओं में कितने विद्यार्थियों का नतीजा रोका गया है और क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सूचना संलग्न तालिका में प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३१८ पर)

*४३--श्री रामगोपाल गुप्त (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पढ़ाई का नया साल आरम्भ हो जाने पर भी उन विद्यार्थियों के नतीजों पर अन्तिम निर्णय अभी तक क्यों नहीं दिया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--ऐसे सभी मामलों की पूरी जांच की जाती है और अनुचित साधन के प्रयोग, मारपीट, अनुशासनहीनता तथ्यों आदि को छिपाने के मामलों में अन्तिम निर्णय लेने के पूर्व प्रत्येक विद्यार्थी को उत्तर देने का अवसर दिया जाता है जिसमें काफी समय लग जाता है।

पीलीभीत व नैनीताल जिलों में हवालाती बन्दी

*४४--श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला पीलीभीत व जिला नैनीताल की जेलों में कितने Undertrial बंदी हैं ?

श्री मुजफ्फरहसन--३१ अक्तूबर सन् १९५७ को जिला जेल पीलीभीत में २३० तथा जिला जेल नैनीताल में १३० हवालाती बन्दी थे।

वाराणसी जिले के बेनियां पार्क में राजा चेतसिंह का स्मारक बनाने का विरोध

*४५--श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी जिले के बेनियां पार्क में राजा चेतसिंह का स्मारक किस आधार पर बनाया जा रहा है?

*४६--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राजा चेतसिंह की आजादी की लड़ाई में क्या देन है जिसके आधार पर सरकारी कोष से ८० हजार रुपया इस मद में खर्च किया जा रहा है ?

श्री इस्तफा हुसैन--भारतवर्ष को विदेशियों से मुक्त कराने का जो प्रयास राजा चेत सिंह ने किया था उसकी महानता को देखते हुए राज्य सरकार ने उनका स्मारक बनवाया है। इस स्मारक पर कुल ६२,५०० रु० के व्यय की संभावना है।

श्री ऊदल--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि राजा चेतसिंह की देश की आजादी की लड़ाई में क्या देन थी, उसका प्रमाण देने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह तो इतिहास की बात है मान्यवर और इस संबंध में पुस्तिका भी प्रकाशित की जा चुकी है "राजा चेत सिंह और काशी का विद्रोह" जिसमें सारी बातें बहुत तफसील से दे दी गई हैं।

श्री राजनारायण--क्या सरकार को पता है कि राजा चेत सिंह ने वारेन हेस्टिंग्ज के साथ कभी लड़ाई नहीं की और जब हेस्टिंग्ज वहां पहुंचा तो वह रामनगर से भाग चुका था ?

श्री अध्यक्ष--यह तो आप इतिहास की बात पूछ रहे हैं। वह निश्चय कर चुके हैं और जवाब दे चुके हैं। उनका आपका मतभेद हो सकता है।

श्री राजनारायण---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजा चेतसिंह की मूर्ति स्थापित न की जाय, इसके लिये बनारस की जनता का कोई विरोध-पत्र आया था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मुझे इसकी सूचना नहीं है। सम्भव है किसी ने विरोध-पत्र भेज दिया हो। काफी जनता का कोई विरोध-पत्र नहीं आया।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय इतिहास के लेखक सर्वश्री जयचन्द्र विद्यालंकार और सुन्दर लाल ने जो अपने विचार राजा चेतसिंह के संबन्ध में प्रकट किये हैं तो क्या उनको प्रमाण प्राप्त हुये जिनके आधार पर मूर्ति बनाना सम्भव हो गया ?

श्री अध्यक्ष---मैं इस की इजाजत नहीं दूंगा, ऐतिहासिक बहस आप शुरू कर रहे हैं।

श्री ऊदल---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १७८१ में जब लड़ाई हो रही थी तो राजा चेतसिंह शिवालाघाट से भाग गया और जनता ने अंग्रेजों का मुकाबला किया ?

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। बात यह है कि हर ऐतिहासिक घटना के ऊपर आप मंत्री जी से बात नहीं पूछ सकते हैं। इसमें प्रश्न यह है कि "क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजा चेतसिंह की आजादी की लड़ाई में क्या देन है जिसके आधार पर सरकारी कोष से ८० हजार रुपया इस मद में खर्च किया जा रहा है ?" उन्होंने, सरकार जो आधार समझती है, जवाब दे दिया। अब इस सम्बन्ध के ऐतिहासिक झगड़े को अगर आप बहस में लायें तो म उसको इजाजत नहीं दूंगा।

श्री गौरीशंकरराय---क्या यह सत्य है कि किसी भी खतरे से बनारस के रहने वाले बराबर भाग जाया करते हैं ?

श्री अध्यक्ष---राजनारायण जी इसको बरदाश्त नहीं कर सकेंगे, आप अन्य प्रश्न पूछिये।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को जानकारी है कि जब सप्लीमेंटरी बजट में इसके लिये रुपया मांगा गया था तो उस समय हमने स्वतः इसका विरोध किया था कि वह भगोड़ा है उस का स्मारक नहीं बनना चाहिये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---कहा होगा। माननीय सदस्य विरोध किया ही करते हैं तमाम अच्छी बातों का। लेकिन मैं इतना निवेदन कर देना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्तिओं के संबंध में जिसको बहुत से लोग ऐतिहासिक दृष्टि से देश के स्वतंत्रता के इतिहास में एक योगदान करने वाला समझते हैं, यह कहा जाय कि वह भगोड़ा था, वह भाग गया, माफी मांगी और न जाने क्या-क्या किया। ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिये क्योंकि इतिहास के बड़े-बड़े विद्वानों में बड़ी-बड़ी विभूतियों के संबंध में भी गहरे मतभेद हैं। यहां तक कि महारानी लक्ष्मी बाई तक के संबंध में बड़ी-बड़ी विचित्र बातें कही गई हैं। इसलिये ऐसा कहना अच्छा नहीं मालूम होता है।

श्री राजनारायण---आन ए प्वाइंट आफ आर्डर। श्रीमन्, माननीय मंत्री जी को प्रश्न का उत्तर देना चाहिये, उनका लेक्चर यहां हम सुनने के लिये नहीं हैं। नियमावली के मुताबिक माननीय मंत्री को डेफिनिट ऐन्सर देना चाहिये, 'यस आर नो' 'में बिना किसी लेक्चर के। इसलिये माननीय मंत्री जी को लेक्चर देने से कृपया आप मना कीजिये क्योंकि यदि वे लेक्चर देंगे तो दूसरे को भी लेक्चर देने का हक मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---बिला हक दूसरे लोग लेक्चर दे देते हैं।

श्री राजनारायण---A Minister must come prepared और चेतसिंह के बारे में मैं उनको दो वर्ष तक पढ़ा सकता हूं क्योंकि वे हमारे खानदान के रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---यह आप लेक्चर ही दे रहे हैं। यह कोई प्रश्न प्वाइंट आफ आर्डर का नहीं है।

श्री ऊदल---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कुंवर सिंह और बहादुर सिंह जो कि टाउन हाल के मैदान में गोली खा कर मरे थे उनका भी स्मारक बनवाने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---शहीदों के स्मारक की एक समिति बनी थी। उसने जिन स्मारकों को बनाने का निर्णय किया वे बनाये गये हैं ।

बिजनौर जिले में कत्ल व डकैतियां

*४७---श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बिजनौर जिले में जनवरी, १९५६ से जून १९५७ तक कितने कत्ल व डकैतियां हुईं और किन-किन थानों में ?

श्री कैलाशप्रकाश---वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ३१९ पर)

श्रीमती चन्द्रावती---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो तालिका दी गयी हैं इसमें अपराधों का अनुपात पिछले वर्ष से कम है या बढ़ा है ?

श्री कैलाशप्रकाश---इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी । पिछले वर्ष के अपराधों की संख्या इस समय मौजूद नहीं है ।

श्रीमती चन्द्रावती---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि संलग्न तालिका में से कितने कत्ल, डकैतियों द्वारा हुये हैं और कितने दूसरे प्रकार से हुये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---यह तफसील इस समय मेरे पास नहीं है ।

देवरिया जिले में विभिन्न प्रकार के अपराध

*४८---श्री रामायणराय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले में पिछले पांच वर्षों में अपराधों की संख्या क्या रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मांगी गई सूचना संलग्न विवरण पत्र में दी गई है ।

(देखिये नत्थी "छ" आगे पृष्ठ ३२० पर)

बांदा जिला बोर्ड के अध्यापकों को वेतन न मिलना

*४९---श्री रामसनेही भारतीय (जिला बांदा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बांदा जिला बोर्ड के कितने मास्टरों को अभी तक उनका पिछला बकाया नहीं मिला है ? सरकार इसके लिये क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जिला बोर्ड बांदा के २९८ स्थायी तथा ३६० नये अध्यापकों को बकाया नहीं मिला है । बोर्ड द्वारा उक्त अध्यापकों को यथाशीघ्र वेतन देने की व्यवस्था की जा रही है ।

*५०---श्री रामसनेही भारतीय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा जिला बोर्ड के अध्यापकों का वेतन जो चार माह में दिया जाता है ऐसा क्यों होता है ? सरकार वेतन के लिये क्या व्यवस्था कर रही है कि हर विभागों की भांति अध्यापकों का वेतन भी महीने के अंत में मिल सके ?

नोट---तारांकित प्रश्न ४७ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---जिला बोर्ड बांदा के अध्यापकों का वेतन चार माह में नहीं दिया जाता है । अतः दूसरा प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

हायर सेकेन्डरी स्कूलों तथा इण्टरमीडियेट कालेजों पर व्यय

*५१---श्री अनन्तराम वर्मा (जिला अलीगढ़)---क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने सरकारी इन्टरमीडियेट कालेज (Intermediate College) और कितने सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल (Higher Secondary Schools) हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इनकी संख्या इस प्रकार है :---

	बालक	बालिकायें
इन्टर कालेज	४१	२६
हायर सेकेंडरी स्कूल	३७	२०

*५२---श्री अनन्तराम वर्मा---उन पर सरकार कितना रुपया खर्च करती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---१९५६-५७ में खर्च इस प्रकार रहा ---

बालकों	६२,४९,००० रु० ।
बालिकाओं	३६,१९,६०० रु० ।

*५३---श्री अनन्तराम वर्मा---उनके सहायक अध्यापकों का तथा प्रधानाचार्य का क्या ग्रेड है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---वांछित सूचना इस प्रकार है ---

इन्टरमीडियट कालेजों के---

प्रधानाचार्य---२५०-२५-४००-ई० बी०-३०-७००-ई० बी०-५०-८५० रु० । (बालक तथा बालिकाओं)

हायर सेकेन्डरी स्कूलों के---

प्रधानाचार्य---२५०-२५-३७५-ई० बी०-२५-५०० रु० । (बालक तथा बालिकाओं)

सहायक अध्यापकों / अध्यापिकाओं के ग्रेड---

कक्षा ११ तथा १२ पढ़ाने वाले (इन्टरमीडियट क्लासेज)-२००-१०-२५०-ई० बी०-१०-३१०-ई० बी० -१४-४५० रु० ।

कक्षा ९ तथा १० तक पढ़ाने वाले (हाई स्कूल क्लासेज)-१२०-८-२००-ई० बी०-१०-३०० रु० ।

जूनियर कक्षाओं के पढ़ाने के लिए-७५-५-१२०-ई० बी०-८-२०० रु० (सी० टी०) ६०-४-८०-ई० बी०-५-१२० रु० (जे० टी० सी०) ।

केवल बालिकाओं के लिये निम्नलिखित ग्रेड हैं ---

४५-२-६५-ई० बी०-३-८०-ई० बी० ४-१०० रु० (एच० टी० सी०) ।

४५-२-६५-ई० बी०-३-८० रु० ।

३५-२-४५-ई० बी०-२-६५ रु० ।

आजमगढ़ जिले में पवई थाने के अन्तर्गत डकैतियां और चोरियां

*५४—श्री रामवचन यादव (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि थाना पवई, जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत जनवरी, १९५७ से ३० जून, १९५७ तक कितनी डकैतियां तथा कितनी चोरियां हुईं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस अवधि में थाना पवई में एक डकैती और चार चोरियां हुईं ।

*५५—श्री रामवचन यादव—उपर्युक्त डकैतियों तथा चोरियों के कितने मुकदमे चलाये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—डकैती में मुकदमा चलाया गया और न्यायालय में विचाराधीन है । चोरियों में कोई मुकदमा नहीं चलाया गया ।

जौनपुर जिले के सुजानगंज थाने में कत्ल

*५६—श्री नागेश्वरप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले के थाना सुजानगंज में गत तीन वर्षों में (३०जून, १९५७ तक) कत्ल की कितनी दुर्घटनायें हुईं, उनमें कितने मुकदमे चले और कितने में अभियुक्तों को सजा दिलवाने में सफलता मिली ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कत्ल की तीन दुर्घटनायें हुईं जिसमें से दो में मुकदमे चले । एक में अभियुक्तों को सजा हुई ।

फैजाबाद जिले में राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल, अकबरपुर का भवन न होना

*५७—श्रीमती रामरती देवी (जिला फैजाबाद)—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल, अकबरपुर फैजाबाद के लिये सरकार ने कोई इमारत खरीद की है ? यदि नहीं, तो क्या उसके बनवाने की व्यवस्था कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं । यदि कई उपयुक्त भवन न खरीदा जा सका तब निर्माण की व्यवस्था पर विचार किया जायेगा ।

*५८—श्रीमती रामरती देवी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फैजाबाद की तहसील अकबरपुर में जहां दीवानी कचहरी है लड़कियों के हायर सेकेन्डरी स्कूल की व्यवस्था क्यों नहीं है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—धनाभाव के कारण ।

वाराणसी जिला बोर्ड को निःशुल्क शिक्षा के कारण घाटा

*५९—श्री श्यामलाल यादव (जिला वाराणसी)—क्या सरकार बतलाने का कष्ट करेगी कि वाराणसी जिला बोर्ड के अन्तर्गत कक्षा १, २, ३ की निः शुल्क शिक्षा के कारण बोर्ड को कितने रुपये का घाटा हुआ और वह किस प्रकार पूरा किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जिला परिषद् वाराणसी को गत वर्ष (१९५६–५७) में कक्षा १, २ व ३ में शुल्क छूट के कारण २३, २०७ रु० का घाटा हुआ । उसमें से १४,६१८रु० शासन द्वारा दिया गया । शेष के संबंध में सूचित किया गया है कि अन्य मदों में खर्च कम करके परिषद् ने पूरा किया ।

१९४२ के सामूहिक आन्दोलन में भाग लेने वालों को प्रमाण-पत्र

*६०—रामायणराय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन लोगों के ऊपर डी० आई० आर० की दफाओं के स्थान पर अन्य दफाओं में १९४२ के सामूहिक आन्दोलन में सजा हुई उनको राजनीतिक पीड़ित का प्रमाण-पत्र देने की वह क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसे व्यक्तियों को साधारण तौर पर जिलाधीश या कारागार अधीक्षक से प्रमाण-पत्र मिल जाते हैं, यदि नहीं भी मिलते हैं तो दो (२) विधायकों के, जो कि उनके साथ जेल में रहे या उनके संबंध में पूरी जानकारी रखते हैं, प्रमाणित करने पर उन्हें स्वतन्त्रता संग्राम का सैनिक मान लिया जाता है । फिर उन्हें अलग से प्रमाण-पत्र देने की आवश्यकता नहीं रहती है ।

वाराणसी जिले के थाना मिर्जामुराद में हत्याओं की संख्या में बढ़ती

*६१—श्री ऊदल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी जिले के किस थाने में १ जून, १९५७ से लेकर २५ जुलाई सन् १९५७ तक सब से ज्यादा हत्यायें हुईं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उक्त अवधि में थाना मिर्जामुराद में सबसे अधिक हत्यायें हुईं ।

बलिया जिले के रेकुआ उरेनी ग्राम में कत्ल

*६२—श्री रामरतनप्रसाद (जिला बलिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत १८ जुलाई को बलिया के अन्तर्गत नगरा थाने में रेकुआ-उरेनी ग्राम में कोई कत्ल हुआ है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां ।

फर्रुखाबाद जिले में रिवाल्वर और बन्दूक के लाइसेन्स

*६३—श्री कोतवाल सिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में १९४८ से कितने लोगों को रिवाल्वर और बन्दूक का लाइसेंस दिया गया और उनकी तहसीलवार संख्या क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—१८५० लोगों को । इनकी तहसीलवार संख्या निम्नलिखित है—

फर्रुखाबाद	..	..	८३६
कायमगंज	..	..	४७३
दिवरामऊ	..	..	२७५
कन्नौज	..	..	२६६
			१,८५०

फर्रुखाबाद जिले में विभिन्न अपराधों से संबंधित मुकदमे

*६४—श्री कोतवालसिंह भदौरिया—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आज तीन साल से फर्रुखाबाद जिले में कितनी चोरियां, डकैतियां और हत्यायें हुई हैं और उनमें कितने केस अदालत में कामयाब हुये हैं और उनकी थानेवार क्या संख्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—६० डकैतियां, १५६ हत्यायें तथा ९९७ चोरियां हुईं उनमें कामयाब मामलों की संख्या तथा उनकी थानेवार संख्या संलग्न सूची में दी हैं ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे ३२१ पर)

हरदोई जिले में थानेदारों के खिलाफ इस्तगासे

*६५—श्री बुलाकीराम वर्मा (जिला हरदोई)—क्या पुलिस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जिले में किस-किस एस० ओ० तथा एस० आई० पर कितने इस्तगासे जनता द्वारा चलाये जा रहे हैं ?

*६६—क्या पुलिस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किस अफसर पर कितने इस्तगासे लोवर कोर्ट्स में चल रहे हैं और किस पर कितने सेशन सुपुर्द हो चुके हैं ? इन इस्तगासों की नेचर आफ कम्प्लेन्ट्स क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मांगी गई सूचना संलग्न विवरण पत्र में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ३२२-३२३ पर)

राज्य में थानेदारों के खिलाफ शिकायतें

*६७—श्री बुलाकीराम—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने एस० ओज० तथा एस० आईज० हैं जिन पर विभिन्न प्रकार की शिकायतों के जनता द्वारा चलाये इस्तगासे चल रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उत्तर प्रदेश में कुल ७६ थानेदारों तथा ५१ दोयम अफसरों पर जनता द्वारा चलाए इस्तगासे चल रहे हैं ।

प्रश्नोत्तर के सम्बन्ध में प्रार्थना

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमन्, प्रश्नों के सम्बन्ध में मैं आपकी कुछ व्यवस्था चाहता हूं । मैं आपका ध्यान प्रश्न १६ की ओर आकर्षित करता हूं । यह एक छोटा सा प्रश्न है जिसमें चार वर्षों के सम्बन्ध में कुछ आंकड़े मांगे गये हैं लेकिन फिर भी उसका जवाब देते समय संलग्न सूची कह कर टाला गया है जिससे हाउस सूचना प्राप्त न कर पाये और सप्लीमेंटरी क्वेश्चन्स न कर सके । तो आप कृपा करके ऐसी व्यवस्था दें कि जो उत्तर छोटे हों और जिनकी सूचना हाउस में दी जा सकती हो उनको संलग्न सूची कह कर नहीं टालना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—माननीय मंत्री जी इस तरह के उत्तर दे सकते हैं । अगर आप डिटेल्स चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि वे इसको पढ़ कर सुना दें । अगर उत्तर छोटे होते हैं तो मैं स्वयं सुनवा देता हूं कई दफा, लेकिन मैं आमतौर से यह नहीं कह सकता हूं कि किसको ब्यौरे की तालिका दें दें और किस को न दें । वह तो सदन का समय बचाने के लिये तालिका दे देते हैं। अगर सदन महत्व देना चाहता है तो वह पूछ सकता है कि इसका ब्यौरा उसको मंत्री जी पढ़ के सुना दें ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं यही व्यवस्था चाहता था कि सूचियां कभी-कभी पढ़ दी जाया करें ।

श्री अध्यक्ष—हमेशा नहीं पढ़ी जायेगी । अगर आप दिलचस्पी रखेंगे तो आप पूछ लिया करें । अगर मैं उचित समझूंगा तो इजाजत दे दूंगा ।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमन्, मैंने कुछ प्रश्न किये थे, लेकिन न तो मेरे सवालों का पता है न जवाब देने वाले का ।

श्री अध्यक्ष—उसका नियम यह है कि जब एक दफा सत्रावसान हो जाता है तो फिर से दुबारा नोटिस देने की जरूरत होती है । शायद माननीय सदस्य को यह मालूम न हो, इसीलिये दुबारा नोटिस उन्होंने नहीं दिया । नोटिस न देने से उनके प्रश्न समाप्त हो गये ।

श्री टीकाराम पुजारी—सांझ के मरे को कब तक रोया जाय । वाको तो काफी दिन पड़े हैं रोने को ।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द (जिला आगरा)---वर्तमान सत्र के पहले के सत्र में जो प्रश्न दिये गये थे उनके संबंध में मैंने नोटिस दिया था कि मेरे प्रश्नों को पुनर्जीवन प्रदान किया जाय, लेकिन अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष---अभी केवल तीन रोज हुए हैं वे क्रम से आयेंगे। आप कार्यालय में मालूम कर लें मेरे दफ्तर में आ कर, पता चल जायगा।

लखनऊ जेल में हुए लाठी चार्ज से सम्बन्धित मुख्य मंत्री द्वारा दी गयी सूचना के सम्बन्ध में विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष---श्री राजनारायण जी ने एक विशेषाधिकार का प्रश्न फिर भेजा है। यह मुख्य मंत्री के कथन के संबंध में है। यह कि "माननीय मुख्य मंत्री ने ३० नवम्बर को लखनऊ जेल में हुए लाठी चार्ज के संबंध में कहा कि जेल में लाठी चार्ज नहीं हुआ। जेल में लाठी चार्ज की बात सर्व विदित है। मैंने स्वयं मुख्य मंत्री जी को लाठी चार्ज के संबंध में विवरण दिया था। अन्य साथियों से भी लखनऊ में लाठी चार्ज की पुष्टि हुई। ऐसी हालत में मुख्य मंत्री जी का यह कहना कि लाठी चार्ज नहीं हुआ सदन से यह बात छिपाना है। सत्य को छिपाना है। जानबूझ कर छिपाना जो है यह सदन का अपमान है और इसलिये विशेषाधिकार की अवहेलना होती है।"

माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह शब्द कहे थे :

"अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरी जानकारी है, जेल में कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ। हम फैक्ट्स से ही इन्कार करते हैं। तो जब फैक्ट्स से इन्कार करते हैं तो बहस किस बात पर होगी। इसलिये मैं इसको अनुचित समझता हूं और यह अवैध है।"

यह कामरोको प्रस्ताव के सिलसिले में उनकी जानकारी के अनुसार उन्होंने कहा। तो सही या गलत, दोनों जानकारी हो सकती है, लेकिन जो जानकारी है वह यह थी। यह आदरणीय सदन का नियम है कि जो व्यक्ति कहता है कि मेरी जानकारी यह है उसकी नीयत के ऊपर किसी प्रकार का हमला कोई दूसरा नहीं करता, और दूसरे किसी का यह कह देना कि नहीं ऐसी चीज नहीं है, सत्य दूसरा ही है, तो उसे दूसरे को मानना लाजमी हो जाय, ऐसी तो बात नहीं होती। उन्होंने जानबूझ कर कोई असत्य बात कही यह बात इससे नहीं निकलती, क्योंकि उन्होंने अपनी जानकारी के हिसाब से यह बात कही। मैं इसकी इजाजत नहीं देता और मैं समझता हूं कि इसमें विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठता।

श्री राजनारायण---उन्होंने क्यों कहा, इसके बारे में मुझे कुछ कहने का मौका दीजिये।

श्री अध्यक्ष---यह प्रश्न तो उठता ही नहीं। मैं इसके लिये इजाजत नहीं देता।

लखनऊ जेल में हुए लाठी चार्ज से सम्बन्धित कार्यस्थगन प्रस्ताव पर विवाद के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का निर्णय।

श्री अध्यक्ष---अब इस कामरोको प्रस्ताव के संबंध में कल थोड़ा सा चर्चा हुआ था और उसमें श्री राजनारायण ने एक फैसला जस्टिस श्री बेग का पेश किया था :--

"I have already passed orders on the 1st December, 1957. No further orders are necessary on this application"

इस सिलसिले में मैंने जानकारी हासिल करने की कोशिश की कि यह किस स्टेज में हुकुम दिया गया तो जो गवर्नमेंट के एडीशनल गवर्नमेंट एडवोकेट हैं उनको नोटिस देने के बारे में पहले बेंच का एक आर्डर हुआ था। लेकिन उनको नोटिस नहीं मिला। श्री राजनारायण की दरख्वास्त ३० नवम्बर की है। उस पर जस्टिस बेग ने यह आर्डर दिया कि सिविल सर्जन, लखनऊ और डा० शर्मा वहां जाकर कुछ व्यक्तियों की जांच करें कि उनके कहां-कहां चोट आई है और उसकी रिपोर्ट वह जल्दी से जल्दी सबमिट करें। बाद में जब जस्टिस बेग और जस्टिस मुल्ला की बेंच के सामने

यह प्रश्न आया तो उन्होंने यह आर्डर दिया कि गवर्नमेंट एडवोकेट को नोटिस इशू किया जाय और उस दरख्वास्त को उस मुतफर्रिक दरख्वास्त नम्बर ७७८ के साथ कनेक्ट किया जाय।

"Issue notice to the learned Additional Government Advocate and connect with Criminal Miscellaneous Application no. 778 of 1957."

यानी इस दरख्वास्त का सम्बन्ध उस ७७८ वाली हैबियस कारपस दरख्वास्त के साथ जोड़ दिया जाय। ५ तारीख को फिर यह आर्डर हुआ कि अगले दिन यानी ६ तारीख को पेश की जाय। तब ६ तारीख को इस पर जस्टिस बेग का आर्डर हुआ कि:

"I have already passed orders on the 1st December, 1957. No further orders are necessary on this application."

मैं पहली तारीख को आर्डर पास कर चुका हूं और फर्दर आर्डर की जरूरत नहीं है। इस सम्बन्ध में यह प्रश्न उठा था कि फर्दर आर्डर का क्या अर्थ लगाया जाय और किस स्टेज में यह आर्डर दिया गया। तो जहां तक यह हाईकोर्ट का इस सम्बन्ध में रूल है, मैंने भी इसको देखा तो हैबियस कारपस के बारे में यह लिखा है कि एप्लीकेशन बैन्च के सामने आनी चाहिये:

"An application under sub-section (1) of section 491 of the Code of Criminal Procedure, 1898 or for a writ in the nature of *habeas corpus* if not sent by post, shall be made to the Division Bench appointed to receive applications or, on any day on which no such Bench is sitting, to the Judge appointed to receive applications in criminal matters. In the latter event the Judge shall direct that the application be laid before a Division Bench for orders."

यानी ऐसी प्रार्थना बेंच के सामने आनी चाहिये। एक जज अगर प्रार्थना के वक्त हो जो क्रिमिनल मैटर से ताल्लुक रखता हो तो वह आर्डर दे सकता है लेकिन साथ ही साथ वह यह हुक्म देगा कि बेन्च के सामने यह मामला पेश किया जाय। इसी तरह के डाइरेक्शन रिट २२६ के विषय में है:

"An application for a direction or order or writ under Article 226 of the Constitution other than a writ in the nature of *habeas corpus* shall be made to the Division Bench appointed to receive applications, or on any day on which no such Bench is sitting, to the Judge appointed to receive applications in civil matters. In the latter event the Judge shall direct that the application be laid before a Division Bench for orders."

इसे भी एक जज रिसीव कर सकता है। पर उस पर भी दो जजों की बेंच के सामने उपस्थित करने की आज्ञा होगी। इस प्रकार जब यह अप्लीकेशन डिवीजन बेन्च के सामने गई तो उस पर यह आर्डर हुआ कि उसको ७७८ नम्बर की दरख्वास्त के साथ कनेक्ट कर दिया जाय। यह डिवीजन बेन्च का आर्डर इसमें मौजूद है। अब इसके बाद एक जज लिखते हैं कि इसमें फर्दर आर्डर की जरूरत नहीं है जब कि वे पहले यह आर्डर्स दे चुके १ तारीख को कि अमुक व्यक्तियों की अलाहिदा से जांच डाक्टरी होनी चाहिये। उनकी जांच हो जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत आज्ञा में नहीं है। जहां तक सेपरेट एप्लीकेशन के ऊपर के आर्डर्स का सवाल है, उसमें कनेक्ट करने के आर्डर्स हैं। वह कनेक्ट होनी चाहिये। तो उस बेंच की आज्ञा के लिहाज से जब तक लोहिया साहब के मामले का फैसला नहीं हो जाता है तब तक एक जज के अन्तरिम हुक्म का अर्थ यही समझा जायगा कि उसके ऊपर ७७८ नम्बर की दरख्वास्त के साथ विचार होगा। इसलिये मैं समझता हूं कि इसको सबजुडिस कहना चाहिये और सेफ्टी भी इसी में है क्योंकि अगर शक भी रह जाता है कि यह मामला सबजुडिस है या नहीं और ज्यादातर कानूनी लोग इस राय के हों, जिम्मेवार लोग यह समझते हों कि यह मामला सबजुडिस मालूम होता है, तो खतरा इसमें कम है कि यह मान लिया जाय यह मामला सबजुडिस है। वैसे यह आदरणीय सदन किसी भी प्रश्न के ऊपर बाद में भी विचार कर सकता है, इसलिये हाईकोर्ट की बेंच

[श्री अध्यक्ष]

के फैसले तक रुकना कोई गैरवाजिब बात नहीं होगी। लेकिन अगर हम इस प्रश्न पर बहस कर लेते हैं और बाद में हमें मालूम होता है कि यह मामला सबजुडिस था तब एक तो इस सदन की प्रथा भंग होती है दूसरे हाईकोर्ट जैसे न्यायालय का अपमान होता है। इस लिये मैं इसी में सेफ्टी समझता हूं कि इसको सबजुडिस समझ कर जब तक हाईकोर्ट का कोई फैसला न हो, इसके कामरोको प्रस्ताव के बारे में यही समझें कि यह वैध नहीं है कि हम इसके ऊपर बहस करें। अतः मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, इस संबंध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मुझे इसके संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त करनी है।

श्री अध्यक्ष---आप जानकारी मेरे कमरे में आकर प्राप्त कीजिये क्योंकि मुझे दूसरे कामरोको प्रस्ताव भी लेने हैं।

श्री राजनारायण---इसमें अभी आपने यह व्यवस्था दी है कि यह मामला सबजुडिस है।

श्री अध्यक्ष---मेरी समझ से यही है। कानून की दृष्टि से अंत में क्या होगा, यह दूसरी बात है।

श्री राजनारायण---इसीलिये मैं यह निवेदन कर रहा था कि गवर्नमेंट एडवोकेट ने जो रिपोर्ट भेजी है वह हमको आप दे दिये होते तो उसमें क्या दोष है, यह मैं आपको बता सकता था। उसमें क्या दोष है यह मैं अब भी प्वाइंट आउट कर सकता हूं। हमारी तरफ से जो दरख्वास्त दी गयी कि बेंच की क्या रिपोर्ट है, उसकी कापी हमें मिल चुकी है। मैं श्रीमन् को बता दूं कि जस्टिस बेग हाईकोर्ट के सीनियर जज हैं।

श्री अध्यक्ष---मैंने आपको समझा दिया। यह तो आप बहस छेड़ रहे हैं, इसकी मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। जब आपकी एक रूलिंग हो चुकी है तो क्या फिर उसी पर कोई और डिसकशन अथवा अन्य प्रश्न उठाये जा सकते हैं, मैं इस पर आपकी रूलिंग चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---मैंने पहले ही कह दिया कि अब आगे इस पर मैं बहस नहीं होने दूंगा।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)---क्या यह संभव नहीं था कि बजाय गवर्नमेंट एडवोकेट के डिप्टी रजिस्ट्रार हाईकोर्ट से यह सूचना मंगा ली जाती कि इस एप्लीकेशन वाला मामला डिसपोज आफ हो गया है या नहीं? मान्यवर, देखें, जैसा कि मैंने निवेदन किया कि जज साहब ने इसको हैबियस कार्पस ट्रीट नहीं किया क्योंकि पहला जो आर्डर है वह सिंगिल जज का है, और दूसरा जो आर्डर है वह भी सिंगिल जज का है और जो फार्मेलिटीज हाईकोर्ट की हैं, उनको प्रिज्यूम कर लेना कुछ न्यायसंगत नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष---आप तो बहस करने लगे, आप तो सूचना चाहते थे।

श्री त्रिलोकी सिंह---श्रीमन्, क्या यह संभव नहीं था कि उनसे इसका इनफार्मेशन मंगा लिया जाय?

श्री अध्यक्ष---मैं कहता हूं कि हाईकोर्ट से कानूनी तौर से जानकारी मंगाना कहां तक ठीक था, यह प्रश्न है। यह बात नहीं है कि मेरा ध्यान इस ओर न गया हो, लेकिन उसमें थोड़ी सी नजाकत इस बात की थी कि रिट वगैरह में जो एक तरफा कार्यवाही होती है, सम्भवतः हाईकोर्ट के जज को फोन पर पूछने से तो पता भी नहीं चलेगा। इस चीज को अगर पूछा भी जायेगा तो उनके सबार्डिनेट से ही, तो उसमें उनकी पोजीशन जरा कम्प्रोमाइज होती है। लेकिन जो बात या आज्ञा एडवोकेट को बतायी गयी थी, वहां पर अदालत में उसे मैंने मालूम कर लिया, वह बात आसान थी। आर्डर मुझे मालूम हो गया था लेकिन मैंने यह उचित नहीं समझा कि डिप्टी रजिस्ट्रार को पूछ कर उनकी पोजीशन को कम्प्रोमाइज किया जाय। इन सब

दृष्टिकोणों को सामने रखकर ही मैंने गवर्नमेंट के एडवोकेट से जानकारी लिखित लेने का निश्चय किया और माननीय त्रिलोकीसिंह यदि उस आर्डर की नकल को देखना चाहें तो मैं उनको दिखला सकता हूं। एडवोकेट द्वारा जो नकल लिख कर भेजी है, उसको वे देख लें मेरे कमरे में आकर, लेकिन यह स्थान उसके लिये नहीं है। और मैं समझता हूं कि वे मुझसे सहमत होंगे, मेरे लिये कोई और चारा नहीं था क्योंकि फैसले की सम्भावना तो दो एक रोज की बात है, इसीलिये मैंने इस समय इस प्रस्ताव पर कोई ऐक्शन नहीं लिया। अगर व कोई दूसरा सवाल उठाना चाहें तो उठा सकते हैं, उससे उनको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन जब तक खतरा है यह प्रश्न सबजुडिस होने का, तब तक मैं यदि इजाजत दे दूं कि उस पर बहस शुरू हो, तो यह उचित नहीं होगा।

श्री त्रिलोकीसिंह—क्या हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद ऐंडजर्नमेंट मोशन की वह अर्जेंसी कायम रहेगी ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न उठना तो ठीक है, वह चीज जब मेरे सामने आयेगी तभी म बतला सकूंगा, अभी कोई कैसे कह सकता है कि क्या आर्डर होगा, उस आर्डर के बारे में ऐंटिसिपेट कर लेना ठीक नहीं होगा।

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—श्रीमन्, मुझे अर्ज करना है कि जो सवालात इस वक्त उठाये जा रहे हैं, इसमें दो सवाल पैदा होते हैं। पहली चीज तो यह कि इस बात का फैसला करने के लिये कि कोई मामला, आया सबजुडिस है या नहीं, क्या आपको इस बात की जरूरत है कि आप हाईकोर्ट के रूल्स देखें और इस बात को दरियाफ्त करें कि आया उन्होंने रूल्स को फालो किया या नहीं ? सिंगल जज का फैसला होना चाहिये या बेंच का फैसला होना चाहिये ?

श्री अध्यक्ष—यह तो आप बहस उठा रहे हैं।

श्री सैयद अली जहीर—जो यहां सवाल उठाया जाता है और बहस की जाती है, तो मैं कहना चाहता हूं कि क्या यह हाउस इस बात का फैसला करने के लिये मौजूं है कि आया कोई मामला सब्जुडिस है या नहीं ? मैं इसलिये आपकी तवज्जह इस तरफ दिलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बैठ जायं। आपकी जो आशंका है उसको मैं खत्म कर देता हूं। इसकी जिम्मेदारी जो है वह मैं समझता हूं मंत्रिमंडल की है क्योंकि जब पहले रोज यह प्रश्न उत्पन्न हुआ उस वक्त इस रिट वगैरह होने की जानकारी उन्होंने मुझे भी सदन में नहीं दी। रिट के बारे में सुबह सदन को मालूम ही नहीं हुआ, शाम को जानकारी हुई इसलिये सुबह मैंने इजाजत दे दी थी। बाद में सरकार ने शाम को बहस से पहिले रिट की जानकारी दी इस पर पुनर्विचार करना पड़ा, इसलिये जरूरत पड़ी मुझे इतनी बातों की जानकारी हासिल करने की, नहीं तो अगरचे सुबह के वक्त यह बता दी जाती तो बगैर ज्यादा सोचे उस घटना पर विश्वास करते हुये यह कहा जा सकता था कि यह प्रश्न सब्जुडिस है, इसलिए इस प्रश्न पर कोई बहस नहीं उठती लेकिन चूंकि आदरणीय सदन ने गलतफहमी में रिट की जानकारी के अभाव में इस बात की अनुमति दे दी कि इसके ऊपर बहस होनी चाहिये और शाम को फिर पता लगा, तो यह सवाल छिड़ गया। इसलिये स्पेशल परिस्थिति पैदा हो जाने की वजह से मुझे कोशिश कर के यह बताना जरूरी है और मैं समझाना चाहता हूं इस सम्बन्ध में जिनके दिल में शंका हो उनको कि मैंने बहस स्थगित करने का उचित कारण होने से उसे स्थगित किया है।

श्री सैयद अली जहीर—अध्यक्ष महोदय, इस में एक सवाल तो यह उठता है कि जिन लोगों न आप के सामने इस मोशन को पेश किया था उनको तो सारे वाकयात उस तारीख के मालूम हो चुके थे। ४ तारीख के आर्डर मालूम थे, १ तारीख के आर्डर मालूम थे और ६ तारीख के भी मालूम थे। मेरा प्रिविलेज का सवाल है। जो चीजें आपको इतना सब दरियाफत करने के बाद मालूम हुईं जब वह उनको मालूम हो चुकी थीं।

श्री अध्यक्ष—आपने प्रिविलेज का सवाल उठाया नहीं था। आप पहले ही कह देते कि प्रिविलेज का सवाल उठाना चाहता हूं।

श्री सैयद अली जहीर—अभी तो मैं अपनी पहली बात ही अर्ज कर रहा था, लेकिन आपने बीच में जवाब देना मुनासिब समझा।

श्री अध्यक्ष—आप प्रिविलेज का सवाल उठाना चाहते हैं तो आप लिखकर भेज दें। आपने नोटिस दे दिया।

श्री राजनारायण—मैं जानकारी के लिये निवेदन कर रहा हूं जैसा कि आप ने बताया कि आपने एलाऊ कर दिया था उसके बाद में अर्जेन्सी को समझ कर आपने निर्णय दिया.....

श्री अध्यक्ष—अब जो चीज हो गई वह आप मुझसे यहां इस वक्त नहीं पूछ सकते।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, हमको तो जरा सन्तोष आप दिला दें। इस समय ऐसी हालत हो गई है कि एक तरफ तो लोग जेल में मर रहे हैं और दूसरी तरफ सारी समस्या को गुमराह किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, अदालत के सामने मामला है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, आप को एक जानकारी करा दूं...

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जायं, आगे की कार्यवाही चलने दें।

श्री राजनारायण—आप एडजर्नमेंट मोशन ले लें उसके बाद हमें मौका दें।

कानपुर की कतिपय सूती मिलों की तालाबन्दी के विषय में कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष—श्री भगवतीसिंह विशारद का यह एक कामरोको प्रस्ताव है कि—

"विधान सभा की बैठक एक आवश्यक सार्वजनिक महत्व के निश्चित प्रश्न, अर्थात् कानपुर नगर में म्योर मिल्स के ४ पन्द्रहियां की मजदूरी न बांटने और १० दिसम्बर, १९५७ से लाक आउट करने से ६,००० मजदूरों की बेरोजगारी, कानपुर काटन मिल्स के लाक आउट करने से ४,००० मजदूरों की बेरोजगारी एवं अथर्टन वेस्ट मिल्स में प्ले आफ द्वारा १,००० से अधिक मजदूरों की अस्थायी बेरोजगारी से जो भयंकर स्थिति पैदा हुई है, के सुलझाने में उत्तर प्रदेश सरकार की असमर्थता पर विचार करने के लिये स्थगित की जाय।"

इसमें अथर्टन मिल और म्योर मिल्स, दो मिलों का जिक्र है.....

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—अध्यक्ष महोदय, ३ मिलें हैं।

श्री अध्यक्ष—मैं श्रम मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या वह इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहते हैं?

श्रम मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)—अध्यक्ष महोदय, मुझे इस कामरोको प्रस्ताव के लिये जाने में आपत्ति है। अव्वल तो इसलिये कि कानपुर काटन मिल में लाक-आउट नहीं है, वह केवल प्ले-आफ है। लाक-आउट तब होता है जब कुछ कारण ऐसे होते हैं कि मिल अपनी ओर से बन्द करना पड़ती है यानी मजदूरों की तरफ से काम रोका जाय—ऐसी हालत में लाक-आउट होता है। यह तो केवल प्ले-आफ है और वह इसलिये हुआ है, क्योंकि उनके पास स्टाक ज्यादा है। इसलिये यह कहना सही नहीं है कि यह लाक-आउट है।

दूसरी बात जो है कि वह म्योर मिल की है। चूंकि वह इल्लीगल स्ट्राइक हुआ था उसके सबब से वह मजबूर हो गये कि लाक आउट करें। यह दो कारण थे जिनसे लाक आउट हुआ।

श्री अध्यक्ष—आपने कहा कि स्वीकार न किया जाय तो अपने इस एतराज का कारण बताइये।

आचार्य जुगलकिशोर—ऐतराज यह है कि गवर्नमेंट की कोई ऐसी नीति नहीं है, न गवर्नमेंट ने ऐसा कोई कदम उठाया है जिसके कारण लाक आउट करना पड़े। लाक आउट केवल मिल मालिकों और मिल मजदूरों के बीच की समस्याओं से पैदा हुआ है।

श्री अध्यक्ष—गवर्नमेंट से कोई संबंध नहीं है?

आचार्य जगलकिशोर—जी नहीं।

श्री अध्यक्ष—(श्री भगवती सिंह विशारद से) तो इसमें आप संबंध किस तरह से जोड़ते हैं?

श्री भगवतीसिंह विशारद—गवर्नमेंट से संबंध यह है कि म्योर मिल्स में जब ४ पन्द्रहियां का वेतन नहीं बटा, फैक्ट्रीज ऐक्ट के मुताबिक सरकार को ऐसे मिल मालिकों के ऊपर जिन्होंने अपने मजदूरों की वेतन-अदायगी न की हो, उनके ऊपर कानूनन कोई न कोई कार्यवाही करनी चाहिये थी। लेकिन म्योर मिल्स के छः हजार मजदूरों को लगभग, ७,८ लाख रुपये वेतन के रूप में नहीं प्राप्त हुये और उनके खिलाफ बाद में कोई कार्यवाही नहीं की गयी। उसी तरह से वहां पर जो लाक आउट है, ट्रेड डिस्प्यूट ऐक्ट के मुताबिक सरकार को चाहिये था कि वहां के लाक आउट को इल्लीगल डिक्लेयर करती और मिल को चालू रखने की व्यवस्था कराती। इस तरह से यह जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है इसका सारा उत्तरदायित्व उत्तर प्रदेश सरकार पर है।

आचार्य जुगलकिशोर—मेरे खयाल में जहां तक यह प्ले आफ की बात है यह जैसा कि मैंने बतलाया वहां स्टाक अक्युमुलेट होने के कारण हुआ है। म्योर मिल में जो लाक आउट है उसके सिलसिले में इल्लीगल स्ट्राइक होने के कारण लाक आउट करना पड़ा। उसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है।

दूसरी बात जो उन्होंने कही कि गवर्नमेंट ने ऐक्शन नहीं लिया। गवर्नमेंट ने कानून के अन्तर्गत फैक्ट्री ऐक्ट में जो नियम हैं उनके अन्तर्गत डाइरेक्शन इश्यु कर दिया है और उस पर कार्यवाही हो रही है। जब तक वह कार्यवाही खत्म नहीं होती, गवर्नमेंट उनको मजबूर नहीं कर सकती कि वह वेजेज पे करें।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—मान्यवर, इस प्रस्ताव के अन्त में यह लिखा हुआ है कि ६,००० एक बेरोजगार हुये, ४,००० एक बेरोजगार हुये और १,००० मजदूर प्ले आफ में ह तो ११,००० मजदूरों से संबंधित है और सरकार की असमर्थता इस समस्या को सुलझाने में, स्वयं प्रस्ताव में लिखी हुई है। हमारे प्रांत के अन्दर जो लेबर लाज हैं, उनके अन्तर्गत सरकार की भी जिम्मेदारी है कि जब कहीं झगड़ा हो, चाहे सड़क पर या कारखाने में या कहीं और तो उनको सुलझाने में और खास कर लेबर डिस्प्युट्स के बारे में तो एक विशेष कानून बना हुआ है, सरकार ऐसा करे। ११,००० मजदूर बेकार हैं, यह एक डेफिनिट मैटर है, पब्लिक इम्पार्टेंस का है और अर्जेंट है। जिस समय यह सदन आपकी अनुमति से यह आज्ञा प्रदान करेगा कि इस पर बहस हो उस समय पूरे तौर से प्रस्तुत किया जायगा कि सरकार की कानूनी तौर पर कैसे जिम्मेदारी होती है।

श्री अध्यक्ष—वह प्रश्न तो उस समय आयेगा जब कोई प्रश्न अर्जेंट पब्लिक इम्पार्टेंस का हो और डेफिनिट भी हो। जब कानून के हिसाब से सरकार ने कोई कार्यवाही न की हो, तब वह सवाल आयेगा। अगर सरकार लेबर डिस्प्यूट्स ऐक्ट के अनुसार सरकारी कार्यवाही करती हो, और उसमें कुछ दिन लग जाते हैं और उस बीच में कोई प्रश्न उठ जाय, तो सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं आती। मैं भी जानना चाहता था इस वक्त कि इस घटना में सरकार की कोई जिम्मेदारी आती है क्या ?

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—मैं कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, आप अपना स्थान ग्रहण करें।

मैं समझता हूं कि मंत्री जी ने यह स्पष्ट बात कही है कि जो कार्यवाही कानून के अन्दर होनी चाहिये वह सरकार कर रही है। तो बगैर जानकारी हासिल किये हुये कि सरकार क्या कार्यवाही कर रही है, एक ऐसी गोल बात कहना और दो, तीन मिलों की बात माननीय सदस्य ने एक साथ दे दी, यह तो कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकता। एक विषय होना चाहिये जिसके ऊपर कामरोको प्रस्ताव आ सकता है, तीन मिलों के बारे में कहा गया, तीन भिन्न विषय हो गये, एक में प्ले आफ हो सकता है एक में लाक आउट हो सकता, तो इस तरह से तीन विषय हो जाते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होते हुये भी मैंने सरकार से पूछा कि सरकार का इससे क्या ताल्लुक है ?

तो दोनों दृष्टियों से, एक तो विषय एक नहीं है और दूसरे यह निश्चय नहीं है कि सरकार को कौन सी कार्यवाही करनी चाहिये थी जो नहीं की, जब कि सरकार कहती है कि उसने की। तो एक गोल बात कह देने से काम नहीं चलता। मैं समझता हूं शार्ट नोटिस क्वेश्चन करके इस बात को स्पष्ट करा लिया जाता उसके बाद यदि कोई सवाल पैदा होता, तो बहस हो सकती थी। दूसरे बहस उस परिस्थिति में भी हो सकती है कि यह महत्व का प्रश्न होने से सरकार को माननीय सदस्य अपनी राय देना चाहते हैं उक्त समस्या का हल करने में और उस बहस के लिए याचना करने पर सरकार अपना समय दे देती तो यह बात दूसरी है। लेकिन कामरोको प्रस्ताव के विषय में प्रश्न नहीं हो सकते हैं, यह प्रस्ताव अवैध है।

श्री त्रिलोकीसिंह—मान्यवर, क्या श्रम मंत्री जी इस प्रश्न पर विवाद करने के लिये कोई समय देंगे जिससे इस आदरणीय सदन में एक घंटे या ढाई घंटे इस प्रश्न पर विचार कर लिया जाय ?

आचार्य जुगलकिशोर—अध्यक्ष महोदय, मुझे कोई इस बात का ऐतराज नहीं होगा कि मैं एक स्टेटमेंट पूरी तरह से जो परिस्थिति इस वक्त पैदा है, कानपुर में और अन्य स्थानों में, उसके बारे में सदन के सामने दूं। अगर आप चाहेंगे कि उसके ऊपर बहस हो, स्टेटमेंट के रूप में मैं रख सकता हूं, ताकि माननीय सदस्यों को पूरे वाकयात मालूम हो जायं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं इतना आप कर दें कि स्टेटमेंट दे दें। उस वक्त अगर सदन उचित समझे और नेता विरोधी दल भी, तो उस वक्त मैं पूछ लूंगा मंत्री जी से कि उस पर किसी दिन बहस होनी चाहिये या नहीं।

श्री त्रिलोकीसिंह—बेशक। उस वक्त अगर हम भी कुछ अर्ज करना मुनासिब समझेंगे तो कर देंगे।

श्री अध्यक्ष—तो उस वक्त आप कर दें। माननीय श्रम मंत्री जी आप स्टेटमेंट कल तक दे देंगे ?

आचार्य जुगल किशोर—स्टेटमेंट के लिये तीन, चार दिन का समय चाहिये, क्योंकि इस वक्त म्योर मिल्स के संबंध में आपस में कुछ बातचीत चल रही है और अगर उससे पहले कोई स्टेटमेंट दूं तो ठीक नहीं होगा। मंगलवार को अगर आप इजाजत दें, तो जहां तक मेरा खयाल है, तब तक मैं स्टेटमेंट दे दूंगा और तब कोई फैसला हो जायगा।

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---जनाबवाला, जो एक फ़िकरा मैंने श्रम मंत्री जी का सुना कि इस वक्त म्योर मिल के संबंध में किसी किस्म की कोई बातचीत चल रही है, तो उसके बीच ही में यहां हाउस में इस मामले को पेश करके किसी किस्म की बहस कराना कहां तक मुनासिब होगा ?

श्री अध्यक्ष---वह तो कह रहे हैं कि ४-५ दिन में खुद स्टेटमेंट दे देंगे और तब तक शायद फैसला हो जाय। क्योंकि सदन की इच्छा तो यही दिखाई देती है कि तसफिया हो और किसी न किसी तरह से बेकारी खत्म हो, तो उसमें कोई बाधा नहीं होगी। माननीय मंत्री जी इसके लिये प्रयत्न करें लेकिन शीघ्र से शीघ्र एक स्टेटमेंट उसके बाद वे दें इस हफ्ते के आखीर में या अगले हफ्ते के शुरू में।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---मैं माननीय मंत्री जी से आपके द्वारा एक स्पष्टीकरण कराना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---मेरे पास बहुत से कामरोको प्रस्ताव हैं।

श्री रामायण राय---एक शब्द मेरी समझ में नहीं आया। माननीय मंत्री जी ने "ले आफ" शब्द का प्रयोग किया है। वह शब्द "प्ले आफ" है या "ले आफ" है ?

श्री अध्यक्ष---"ले आफ" नहीं कहा है, उन्होंने "प्ले आफ" ही कहा है।

(कुछ ठहर कर)

इसी तरह के श्री रामस्वरूप वर्मा तथा श्री झारखंडे राय के कामरोको प्रस्ताव हैं। तो दोनों के लिये भी मेरा उक्त फैसला होगा।

सलेमपुर, तहसील देवरिया में अकाल के विषय पर कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---"सलेमपुर, तहसील (देवरिया) में अकाल की स्थिति के फलस्वरूप फूलचन्द हरिजन पुत्र अकालू हरिजन, ग्राम बरसाथ ने लगातार ४ दिन उपवास करने के पश्चात् गत् ७ अक्तूबर को कुयें में कूद कर आत्महत्या कर ली।" कल इस प्रकार का कामरोको प्रस्ताव आ चुका है जिसमें इन सबका जिक्र हो चुका है। आगे प्रस्ताव में कहा है "७ नवम्बर को टेंगरी हरिजन, ग्राम गुमटही तथा उसका पुत्र हरिशरफा १४ नवम्बर को भुखमरी के शिकार हुये।" कल जो प्रस्ताव आ चुका है मैं समझता हूं कि यह भी करीब-करीब उसी विषय से मिलता-जुलता है। मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---आपकी स्पीच हो चुकी है।

श्री उग्रसेन---सलेमपुर तहसील में लगातार निश्चित तौर पर भूख से मृत्युयें हो रही हैं.....

श्री अध्यक्ष---यह सब आप कल अपनी स्पीच में कह सकते थे।

श्री उग्रसेन---लेकिन लगातार जो मृत्युयें हो रही हैं....

श्री अध्यक्ष---आप रिपीटीशन नहीं कर सकते।

विमको मैच फैक्टरी, बरेली में नई मशीनें लगने से मजदूरों की छटनी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--विमको मैच फैक्ट्री बरेली में मशीनें लगाने पर यह कामरोको प्रस्ताव है। यह अनिश्चित-सा है। कब मशीनें लगाईं और फिर यह रिसेंट अकरेंस का सवाल नहीं मालूम होता है। मशीनें कई महीने से लगी हुई हैं। यह मदन पांडेय जी का प्रस्ताव है। यह भी मैं अवैध करार देता हूं।

नेशनल होमियोपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ के छात्रों की हड़ताल के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--"नेशनल होमियोपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ, के छात्र गत २१ दिनों से अपनी प्रमुख मांगों की पूर्ति के लिये हड़ताल कर रहे हैं और पिछले तीन दिनों से उक्त कालेज के छात्र श्री बी० एम० नागपाल आमरण अनशन कर रहे न जिनका स्वास्थ्य चिन्ताजनक हो गया है। अनशन में एक छात्र आज और शामिल हुआ है इस परिस्थिति से उत्पन्न असंतोष पर विचार करने के निमित्त सदन अपना कार्य स्थगित करता है।" यह भीखालाल जी का प्रस्ताव है और पद्माकर लाल जी का भी प्रस्ताव इसी प्रकार का है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---मेरा भी एक कामरोको प्रस्ताव इसी तरह का है। अनशन किये हुये ५ दिन विद्यार्थियों को हो चुके हैं।

श्री अध्यक्ष---वह तो कल आपने भेजा था। नियम के अनुसार आज जो प्रस्ताव मेरे पास आयेगा उसी को मैं लूंगा। कल का तो कोई इन आर्डर है नहीं।

श्री मोतीलाल अवस्थी---कल तो आज के लिये ही भेजा था।

श्री अध्यक्ष--उसके लिये आज आपको नोटिस देनी चाहिये थी। खैर, वह प्रश्न सामने आ ही गया है।

(कुछ ठहर कर)

मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से जानना चाहता हूं कि इस विषय में निश्चितता क्या है और सरकार का इससे क्या संबंध है?

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---आप मुझसे जानना चाहते हैं कि इसमें निश्चितता क्या है। मैं तो कहता हूं कि यह बिल्कुल अनिश्चित है। यह जो भीखालाल जी का प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय ने अभी पढ़ा है उसमें मांगों के बारे में लिखा है। क्या मांगे हैं इसका कोई जिक्र उसमें नहीं है। किस मांग से अनशन संबंधित है इसका हमें पता इस प्रस्ताव से नहीं लग सकता। फिर इसमें कोई बात ऐसी नहीं है जिससे कि सरकार का इससे संबंध स्थापित हो। तो सरकार का संबंध स्थापित न होना और मांगों की तफसील न होना ये चीजें ऐसी हैं जो कि इस प्रस्ताव को अनिश्चित-सा साबित करती हैं।

यह स्टेट बोर्ड आफ मेडिसिन से संबंधित है और उसी के तत्वावधान में कार्य चलता है और बोर्ड आफ मैनेजमेंट कार्य चलाता है। सरकार से मदद पाता है इतना कसूर सरकार का जरूर है और कोई संबंध सरकार का नहीं है। होमियोपैथिक ऐक्ट की धाराओं के अनुसार जो नियम उन लोगों ने बना रखे हैं उसके जरिये उसका संचालन हुआ करता है। इसलिये मैं कहता हूं कि इसका सरकार से कोई संबंध नहीं है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---अध्यक्ष महोदय, इसका सरकार से सीधा संबंध है। इसमें सरकार का कतई संबंध है। सरकार ने ही ऐक्ट बनाया है और सरकार ने ही स्टेट

बोर्ड आफ मेडिसिन बनाया है, होम्योपैथिक कालेज के विद्यार्थी बहुत परेशान हैं और २१ दिन से भूख हड़ताल कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष---सरकार ने क्या किया ?

श्री राजनारायण---जब से मैं जेल से छूटा हूं सरकार ने ऐक्ट पास किया है और यह सरकार ने रखा है कि जो विद्यार्थी पास होगा उसको डिग्री दी जायगी, डिप्लोमा नहीं दिया जायगा । श्री हुकुमसिंह जी का क्या कहना है ? उनसे विद्यार्थियों ने ६ बार बातचीत की है । उनके बंगले पर बातचीत की है । सब बातों की मुझे जानकारी है । इस पर भी वह सदन में ऐसी बातें कह रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष---अधिनियम का क्या प्रावीजन है ?

श्री राजनारायण---श्रीमन, ऐक्ट तो इस समय हमारे पास नहीं है लेकिन उसमें यह है कि जब विद्यार्थी परीक्षा पास कर लेंगे तो सरकार उनको डिग्री देगी और वह दूसरी जगह जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं । लेकिन अब सरकार उनको डिप्लोमा देना चाहती है जिससे वह प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं और न आगे के लिये उनको तरक्की की कोई गुंजायश ही हो सकती है ।

दूसरी बात यह है कि कुछ मेडिसिन्स के लिये मना कर दिया गया है कि उनको वह इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे । इन तमाम बातों के संबंध में सरकार से विचार-विनिमय हो रहा है और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बीच में पड़े हुये हैं । श्रीमन्, कल एक ऐसी घटना घट गई .....

श्री अध्यक्ष---यह प्रश्न उठता नहीं है । सरकार के संबंध का सवाल है, वह आपने कह दिया है ।

श्री हुकुम सिंह विसेन---श्रीमन्, यह बात तो सही है कि कुछ विद्यार्थी मेरे पास आये और मैंने कर्टसी समझकर उनसे बातचीत की लेकिन इससे हमारी जिम्मेदारी पैदा हो गई, यह बात बिल्कुल गलत मालूम होती है । हम इससे इत्तफाक नहीं करते हैं ।

श्री अध्यक्ष---डिप्लोमा वगैरा देने का काम स्टेट बोर्ड करता है या गवर्नमेंट करती है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---स्टेट बोर्ड करता है ।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)---श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो नेशनल होमियोपैथिक मेडिकल कालेज हैं इसका एक बोर्ड आफ मैनेजमेंट है । उसने एक प्रासपेक्टस इश्यू किया है । उसमें साफ तौर पर लिखा है । यदि आप आज्ञा दें तो मैं उसको पढ़कर सुना दूं । यहां के विद्यार्थी जो १९५६, ५७ अथवा ५८ में दाखिल किये जायंगे, उनको पास होने पर डिग्री दी जायगी । उसका संबंध स्टेट बोर्ड आफ मेडिसिन्स से है जिसको सरकार ने बनाया है ।

उस बोर्ड आफ होमियोपैथिक मेडिसिन ने एक आज्ञा निकाल दी कि बजाय डिग्री के डिप्लोमा दिया जायगा । अब गौर करने की यह बात है कि जब जुलाई सन् १९५६ में विद्यार्थी भर्ती किये गये तो उनसे कहा गया कि डिग्री दी जायगी और एक साल भर बाद कह दिया गया कि आपको डिग्री नहीं डिप्लोमा दिया जायगा ।

श्री अध्यक्ष---पहली बात तो देखने की यह है कि यह बोर्ड कानून के हिसाब से अपनी राय रखने के लिये स्वतंत्र है या नहीं । अगर वह बोर्ड एक आटोनामस बाडी की तरह काम करता है, जैसे यूनिवर्सिटी होती है, तो सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं है । उस हालत में इस सदन में उसके ऊपर विवाद नहीं हो सकता । इसलिये यह चीज सोचने की है । मैं समझता हूं कि वह ऐक्ट मेरे सामने आना चाहिये, मैं उसे देख लूं और उसके बाद कल निर्णय दूं ।

मोदीनगर, जिला मेरठ में जनता पर अश्रुगैस के प्रयोग के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष---अब एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव श्री गौरीशंकर राय जी का है---

"विधान सभा की बैठक एक निश्चित सार्वजनिक महत्व के आवश्यक प्रश्न अर्थात् मोदीनगर, जिला मेरठ में ९-१२-५७ की सायंकाल पुलिस द्वारा निहत्थे व शान्तिमय जनता पर अकारण अश्रु गैस का प्रयोग व लाठियों से प्रहार करने जिससे स्त्रियां और बच्चे भी घायल हुए और स्थानीय कर्मचारियों की अकर्मण्यता कि वे इस बर्बरता को नहीं रोक सके पर विचार करने के लिए स्थगित की जाय।"

इसी तरह का श्री चन्द्रजीत यादव का भी है कि---

"मोदी नगर टैक्सटाइल मिल में मिल मालिकों की मजदूर विरोधी नीति के कारण भारी संकट उत्पन्न हो गया है। लगभग २५० मजदूर जेल में बन्द हैं। ९ दिसम्बर, १९५७ को मजदूरों ने लाक्षणिक हड़ताल किया। कल मजदूरों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ और आंसू गैस का भी प्रयोग किया गया है। घायल मजदूरों में स्त्रियों की संख्या अधिक है। सरकार शांत हो कर तमाशा देख रही है, उल्टे निरीह मजदूरों के ऊपर जुल्म करने में मिल मालिकों का साथ दे रही है जिससे प्रदेश की जनता में घोर असंतोष व्याप्त है। अतः इस विषय पर विचार करने के लिए सदन अपना कार्य स्थगित करता है।"

तो इससे सरकार का कोई सम्बन्ध मुझे दिखाई नहीं देता। परसों की बात है कि कहीं लाठी चार्ज हुआ, झगड़ा हुआ। लेकिन कोई निश्चित बात अभी आयी नहीं है और न कोई सवाल किया गया है। सिर्फ अखबारी खबरों से या तार वहां से आया उसके ऊपर यह कामरोको प्रस्ताव दे दिया गया।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---अध्यक्ष महोदय, इसके सम्बन्ध में और भी तार आये हैं।

श्री अध्यक्ष---ठीक है, लेकिन आपने जाकर कोई इन्क्वायरी तो की नहीं और न यहां पर सरकार से इस बारे में पूछा।

श्री गौरीशंकर राय---श्रीमन्, वहां के बड़े जिम्मेदार लोगों के टेलीफोन आये थे हमारे यहां, और इसके सम्बन्ध में करीब ३०० लोग गिरफ्तार हैं और इस स्थिति में खिंचाव बहुत दिनों से था .....

श्री अध्यक्ष---लेकिन बहस किस पर होगी? जबतक इस बारे में प्रश्नों से या इन्क्वायरी करके यह चीज निश्चित न हो जाय कि क्या फैक्ट्स हुये हैं तब तक बहस किस बात पर होगी? महज अखबारी खबर पर या तार आ गये हैं उसके ऊपर अगर कामरोको प्रस्ताव आये तो सदन बहस क्या करेगा? वह तो एक ऐटरंडम बात होगी।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---क्या मैं यह समझूं कि कामरोको प्रस्ताव उन्हीं विषयों पर आ सकता है जिनमें इस सदन के सदस्यों को स्वयं जानकारी हो?

श्री अध्यक्ष---यह मैं नहीं कह रहा हूं। यह परसों का वाकया है। उसके लिये प्रत्यक्ष जानकारी अभी है नहीं। तो प्रश्न पूछना, यह पहला तरीका है ताकि गवर्नमेंट जानकारी हासिल कर ले। अगर उस से सैटिस्फैक्शन न हो और गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक हो और उसने कोई ऐक्शन न लिया हो तो यह प्रश्न बहस के लिये उठाया जाय तो ठीक है। लेकिन जैसे ही लोकल ऐडमिनिस्ट्रेशन द्वारा की गई कार्यवाही की कोई खबर आये उसके ऊपर तुरंत कोई कामरोको प्रस्ताव आये तो क्योंकि घटना निश्चित न होने से उस पर बहस की इजाजत मैं नहीं दूंगा।

श्री गौरीशंकर राय---इस सम्बन्ध में नेता विरोधी दल और माननीय मुख्य मंत्री जी से बहुत बातें हो चुकी हैं और यह मामला काफी दिनों से चल रहा है । सरकार को नित्यप्रति की घटनाओं की काफी जानकारी है ।

श्री अध्यक्ष---यह तो पुलिस के लाठीचार्ज पर प्रस्ताव है और यह जो दूसरा है श्री चन्द्रजीत यादव का उसमें उन्होंने मिल मालिकों के विरुद्ध आन्दोलन का जिक्र किया है । उस पर चर्चा चल रही होगी, लेकिन यहां यह दो प्रश्न मिला लिये गये हैं । मैंने तो आपका ही प्रश्न लिया है । उस पर मैंने यह जवाब दिया ।

दूसरे प्रश्न के संबंध में, वह एक तो पुराना है, दूसरे मारपीट का भी प्रश्न है । यह दोनों जो हैं उसमें अनिश्चितता स्पष्ट है और अनिश्चित होने के कारण मैं इसकी इजाजत नहीं देता ।

श्री गौरीशंकर राय---क्या इसके संबंध में मंत्री जी कोई सूचना दे सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष---जी हां, मैं उन से सूचना लूंगा ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---इस संबंध में मैंने यह कहा है कि २५० आदमी मोदीनगर के जेल में पड़े हुए हैं । यह मामला पहले से चल रहा है और इस संबंध में मजदूरों पर और औरतों पर लाठीचार्ज हुआ है और आंसू गैस का भी प्रयोग हुआ है । ऐसी हालत में यह मामला संगीन हो चुका है । वहां से दो टेलीग्राम हमारे आफिस में आ चुके हैं । अब अगर हम सरकार से कोई सूचना मांगें तो इसकी कोई अरजेंसी नहीं रह जाती है और जब सरकार से सूचना मांगी जाती है तो जवाब इतनी देर में मिलता है कि उससे कोई फायदा नहीं होता ।

श्री अध्यक्ष---आप उसके लिये शार्ट नोटिस क्वेश्चन करें ।

श्री चन्द्रजीत यादव---तो स्त्रियों के उपर वहां लाठीचार्ज हुआ है और आंसू गैस का प्रयोग हुआ है । यदि मंत्री जी को सूचना हो तो वह इस बात का बयान दें कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी ?

श्री अध्यक्ष---माननीय गृह मंत्री जी इस विषय में कोई सूचना सदन को देना चाहेंगे ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---जो सूचना मुझे प्राप्त है वह मैं आपकी आज्ञा से सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं ।

यह हड़ताल कई महीने से चल रही है । वहां पर, ५, ६ अक्तूबर से, दो महीने से ऊपर हो गये इसको । मजदूरों की कई मांगें हैं जिनके संबंध में हड़ताल चल रही है और यह घटना जिसका उल्लेख इसमें किया गया है यह परसों की है । इस घटना के संबंध में जो समाचार मेरे पास आया वह यह है कि ८ तारीख को कपड़ा मिल, मोदीनगर में दोपहर बाद, करीब २ बजे बहुत सी महिलायें मिल के फाटक पर झाड़ू और झाड़ू के डन्डे और चप्पलें और सैंडिलें, चट्टियां, इन सब को लेकर हाथों में पिकेटिंग करने लगीं । धारा १४४ का आर्डर वहां पर बहुत दिनों से लगा हुआ है । उस आदेश की अवहेलना करके उन्होंने वहां पर धरना शुरु किया जिससे कि मजदूर भीतर न जा सकें और काम में बाधा डालने की चेष्टा की । इतना ही नहीं, उनके साथ एक आध हजार आदमी भी वहां इकट्ठा हो गये यह तमाशा देखने के लिये । जब खबर पाकर लोकल पुलिस वहां पहुंची तो उसने यह दृश्य देख कर उन महिलाओं से यह निवेदन किया कि १४४ लगी हुई है और उसमें इस प्रकार की कार्यवाही अनुचित है । इस पर उन्होंने कोई बात सुनी नहीं । यह खबर मेरठ भेजी गई इसको पाकर ए० डी० एम० और एस० पी० दोनो ही वहां पहुंचे । उन्होंने वहां इकट्ठा लोगों और उन स्त्रियों से कहा कि यह एक नाजायज मजमा है जो आपने लगा रखा है । धारा १४४ लगी हुई है । आप सब कृपा करके यहां से चले जायें तो अच्छी बात

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

है। जो महिलायें पिकेटिंग कर रही थीं करीब २० के, उनको गिरफ्तार करने का आदेश ए० डी० एम० ने दिया और उनकी गिरफ्तारी के वक्त पर वहां ढेले चले जिनसे पांच पुलिसमैनों और आफिसरों को, एस० पी० और ए० डी० एम० को चोटें आईं और बार बार कहने पर भी यह ढेले चलते रहे। इस पर टियर गैस स्क्वाड बुलाया गया जिसने उस भीड़ को तितर बितर किया। ढेला फेंकने वालों में से २२ आदमी गिरफ्तार किये गये और जो २० स्त्रियां गिरफ्तार की गयी थीं उनको भीड़ ने छुड़ाने की कोशिश की और पुलिस पर ढेले भी फेंके गये। इस पर २०, २२ लोग पकड़े भी गये। एक पुलिस की गाड़ी वहां पर मौजूद थी उसको भी कुछ क्षति पहुंची है। अब मामला शान्त है। इससे सीधा तो सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। एक झगड़ा वहां पर लगभग तीन महीने से चल रहा है। उस स्थिति को संभालने के लिये जो घटना वहां पर हुई थी उसमें स्थानीय अधिकारियों ने उचित कार्यवाही की है।

श्री गौरीशंकर राय---५ स्त्रियों, ३ बच्चों और दूसरे लोगों को चोटें आई हैं या नहीं, मैं यह जानना चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष---मैं फैसला दे चुका हूं कि कोई सूचना सरकार के पास आयी हो तो वह सदन को बतला दे। इतनी सूचना उन्होंने दे दी।

श्री त्रिलोकीसिंह---मैं इतनी सूचना हासिल करना चाहता हूं कि यह जो ढेला वहां पर जमा था यह किन लोगों ने इकट्ठा किया था ? क्या यह ऐसी जगह है जहां पर ढेला पहले से सुरक्षित किया जा सकता है ? किसने इसको इकट्ठा किया था इसकी सूचना कोई माननीय मन्त्री जी को है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जो सूचना मेरे पास है मान्यवर, वह मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत कर दी। ढेले कहां से लाये गये और किन लोगों ने एकत्र किये, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री गौरीशंकर राय---कितने बच्चे और कितनी स्त्रियां इसमें घायल हुई हैं ?

श्री अध्यक्ष---जो सूचना उनके पास आयी वह उन्होंने बतला दी।

एक दिन पूर्व कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना देने के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष---दो कामरोको प्रस्ताव माननीय राजनारायण और मोतीलाल जी ने दिये थे। मैंने नियमों में पहिले थोड़ी सी ढील दे रखी थी तो इसलिये उनकी तरफ से यह बात हो गयी। लेकिन अब मेरी लाचारी है जिससे मुझे नियमों पर सख्ती से अमल करने की जरूरत पड़ी। उसकी वजह यह है कि इस पर झगड़ा होने लगा कि ८, १० कामरोको प्रस्ताव आयें तो पहले किसका हो। जो लोग एक दिन पहले दे देंगे वह यह कह सकते हैं कि उनका पहले आवे। नियम में यह है कि जिस रोज माननीय सदस्य प्रस्ताव पेश करना चाहें उसी रोज उस को सचिव के पास नोटिस देना चाहिये। एक रोज पहले देने से यह तात्पर्य था कि उसको भी सोच लेने का मुझे मौका मिल जायगा और गवर्नमेंट के पास भी उसकी इत्तला भेज दी जायगी तो वह भी तैयार हो कर आ जायेगी और उसके बारे में कम से कम सूचना इस सदन को दे देगी। लेकिन ३, ४ रोज से १५, १६ कामरोको प्रस्ताव आने लगे। तब मैंने सख्ती करने की कोशिश की कि प्रायरिटी निश्चित करने के लिये उसी रोज नियम के अनुसार ऐसे कामरोको प्रस्ताव आने चाहिये जिस रोज सदस्यगण पेश करना चाहें। इसलिए इन दो कल भेजे हुये कामरोको प्रस्तावों को मैंने नहीं लिया।

माननीय राजनारायण और माननीय मोतीलाल जी का प्रस्ताव इसीलिये आखिर में विचारार्थ रखा और उनको प्रायरिटी मैंने नहीं दी क्यों कि वह कल भेजे गये थे। कल भेजें

जाने से अवैध हो गये । आइन्दा भी जब कोई प्रस्ताव उनको लाना हो तो उसी रोज प्रस्ताव लाना चाहिये जिस रोज वह उसको पेश करना चाहते हैं ।

श्री राजनारायण---कल जब हमारा कामरोको प्रस्ताव दूसरी बार आया तो आपने सदन में कहा कि कल आप लाना चाहते हैं तो इसकी सूचना दे दीजिये । मैंने कल इसकी सूचना आपके सचिव को दे दी । फिर आपके सचिव ने हमसे कहा कि इसकी दो प्रतियां लाइये । फिर हमने दो प्रतियां लाकर आपके सचिव को दे दीं । आज भी जब १० बजने में ३ मिनट बाकी थे तब मैं आपके सचिव के कमरे में मौजूद था । आपके सचिव ने कहा कि हमारा कल वाला प्रस्ताव आयेगा । अगर आपके सचिव तनिक भी हमको इस बात को बता देते कि नियम के मुताबिक आज हमको पुनः देना है तो मैं उसे पुनः लिखकर उनकी सेवा में पेश कर देता । अब जो सख्ती बरती जा रही है, हमारे लिये बरती जा रही है, ऐसा क्यों है ? आपके सचिव ने तीन बार हमको दौड़ाया । हमारा पैर भी थोड़ा खराब है, आपको जानकारी है । हमारा कमरा भी दूर कर दिया गया है । हम तीन बार उनकी खिदमत में १० बजे हाजिर हुये जबकि नियम के मुताबिक बैठक शुरू होने के कुछ देर पहले भी दे सकते हैं । तो क्यों नहीं आपके सचिव ने कह दिया जब कि पर्टीक्यूलरली उनसे हमने पूछा । आज इसे ले लिया जाय, कल से नियम के मुताबिक फालो किया जाय । इसके लिये हमने बहुत ट्रबुल उठाया है ।

श्री अध्यक्ष---अब इस पर बहस नहीं हो सकती है । १ बज गया है । एक दम १० ,१५ प्रस्ताव आगये हैं । मैं देख भी नहीं पाया हूं। मैं कल देखूंगा।

श्री राजनारायण---तो क्या कल सबको फिर सूचना देनी होगी ?

श्री अध्यक्ष---फिर से सूचना दे दीजिये आप ।

श्री राजनारायण---ठीक है मैं ९ बजे दफ्तर में आ जाता हूं । प्रायरिटी ले लिया करूंगा । मैं नहीं समझता था कि इस तरह की बात हो सकती है ।

श्री अध्यक्ष---वह तो बात हो गई ।

श्री राजनारायण---हां, जानबूझ कर हुई ।

सोशलिस्ट पार्टी द्वारा सदन त्याग

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---कल यहां सदन में प्रश्न के समय हमने माननीय जेल मंत्री से पूछा था कि यदि डाक्टर लोहिया के किसी डाक्टर से परीक्षा करने की दरख्वास्त दी जायगी तो आप अनुमति दे देंगे ? उन्होंने ने कहा था कि लिखित दरख्वास्त आने पर विचार करेंगे । मैंने कल ले जाकर उनको लिखित दरख्वास्त दी और उनसे बात भी की । उन्होंने कहा कि देखकर बतलायेंगे । डाक्टर लोहिया की तबियत खराब है यह हुकूमत उनको मारने की साजिश कर रही है । हमारा प्रस्ताव कल भी टल गया और आज भी टल गया । तो आप हमें कोई ऐसा रास्ता बता दें जिससे हम डाक्टर लोहिया की किसी बाहर के डाक्टर से परीक्षा करा सकें, क्योंकि हमारा निश्चित विश्वास है कि यह सरकार डाक्टर लोहिया को अपना एनिमी नं० १ समझती है और उन्हें मारना चाहती है ।

श्री अध्यक्ष---आप मुझसे पूछ सकते हैं । कमरे में पूछने की बात है ।

श्री राजनारायण---आज आपको हमने दो बार फ़ोन किया मगर आप नहीं मिल पाये ।

श्री अध्यक्ष---आप जरा कृपा करके बैठ जावें ।

श्री राजनारायण---फिर तो हमारा बैठना ही बेकार है । हम नहीं चाहते कि इस सरकार की नालायकी के शिकार हम बनें । हम इसके विरोध में जाना चाहते हैं । हम इस व्यवस्था क विरोध में, सरकार की नालायक़ी क विरोध में और डाक्टर लोहिया की बाहर के

[श्री राजनारायण]

डाक्टर द्वारा परीक्षा जो सरकार नहीं होने दे रही है, इन तमाम बातों के विरोध में सदन का त्याग करते हैं।

(सोशलिस्ट पार्टी, 'डाक्टर लोहिया जिन्दाबाद' के नारे लगाती हुई, सदन का त्याग कर गई।)

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)---कामरोको प्रस्ताव के सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---बाद में होगा।

मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विवादार्थ समय निर्धारण

श्री अध्यक्ष---अविश्वास का प्रस्ताव, जो मंत्रिमंडल में कल राजनारायण जी और अन्य नेताओं की तरफ़ से उपस्थित किया गया था, सदन में २३ दिसम्बर, सोमवार को प्रश्नोत्तर के बाद उपस्थित किया जायगा।

श्री राजनारायण के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना

श्रम मंत्री के सभासचिव (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)---मैं आपकी आज्ञा से हाउस की प्रिविलेज का सवाल उठाना चाहता हूं। जिस तरह नारे लगा कर श्री राजनारायण जी के नेतृत्व में समाजवादी दल के मेम्बर साहबान बाहर गये हैं इससे इस सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा को बड़ा धक्का लगा है। मैं इसके लिये आपकी अनुज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---आप मुझे जो प्रश्न उठाना चाहते हैं लिखित भेज दीजिये। पहली बात तो मैं आपसे इतनी निवेदन करना चाहता हूं कि जब कोई यहां का नियम भंग हो तो मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को सचेत रहने की आवश्यकता है। आगे की कार्यवाही माननीय सदस्यों को करनी चाहिये। मुझे खुद इस बात की दिक्कत महसूस होती है। मुझे सब लोगों की ओर से इस विषय में रेसपांस मिलनी चाहिये कि जिससें नियम का पालन कर सकूं। लेकिन यह भी ख्याल रहे कि रोज-रोज एक या दो व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जिनके पीछे पड़ जाना या उन्हें उत्तेजित करना उचित नहीं होता है, क्योंकि इससे और भी नियम भंग होने का डर रहता है। मैं समझता हूं कि यदि ४, ६ महीने कोई सदस्य जेल में बन्द रहा हो और उनकी यह भावना हो जाय कि उनके ऊपर बहुत सख्ती हो रही है तो उसके सदन में आने पर फिर १ या २ दिन में उसका उत्तेजित हो जाना थोड़ा सा गवारा कर लेता हूं और किया भी है। लेकिन अगर उसकी ओर से ज्यादती होती है तो इस सदन की प्रतिष्ठा इसमें भंग होगी और उसके लिये तत्काल बीच में प्रश्न उठाया जा सकता है और फिर उसे पूरी तरह से अन्त तक निभाया भी जाना चाहिये। अध्यक्ष की रूलिंग के ऊपर इस तरह से प्रोटेस्ट नहीं हुआ करता है और न किया जा सकता है। लेकिन अगर कभी हुआ भी तो भी अध्यक्ष किसी परिस्थिति में उस पर ऐक्शन ले या न लें, हर समय और हर बात पर सख्त कार्यवाही नहीं होती है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---आप की आज्ञा के विरुद्ध उनका यह कहना था कि इसके विरोध में हम बाहर जा रहे हैं। राजनारायण जी का जो इसमें हाथ था उसके विरुद्ध मैंने प्रिविलेज का सवाल उठाया। मैं लिखित भेज दूंगा।

वृद्धावस्था पेंशन योजना के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)---वृद्धावस्था की पेंशन योजना आज ही हम सदस्यों की मेज पर मिली है। सितम्बर में भी हमने सरकार से इस योजना के बारे में पूछा था। तब सरकार ने कहा था कि यह तैयार नहीं हुई है, वह भेज देगी। लेकिन इस योजना के मुताबिक प्रार्थना-पत्र भेजने की अन्तिम तिथि २ दिसम्बर थी जो निकल चुकी है। [illegible] लोगों की मेज पर आई है। तो क्या सरकार इसकी तिथि को बढ़ा

श्री अध्यक्ष---यह प्रश्न कार्यवाही में नहीं है।

उत्तर प्रदेश फर्स्ट आफेन्डर्स प्रोबेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७

समाज सुरक्षा राज्य मंत्री (श्री मुजफ्फरहसन)---अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश फर्स्ट आफेन्डर्स प्रोबेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ३२४ पर)

उत्तर प्रदेश गृह-स्थल (बाढ़-पीड़ित क्षेत्र) (अस्थायी अधिकार) विधेयक, १९५७

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कल मैं यह कह रहा था कि यह जो मौजूदा विधेयक है उस की धारा ३ की उपधारा (४) हटा दी जाय। मान्यवर इसमें लिखा है कि---

> "इस अधिनियम में कोई भी बात उन गृहस्थलों पर लागू न होगी जो केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी के स्वामित्व में हो।"

ऐसी स्थिति में अक्सर हम देखते हैं कि शहरों में या देहातों में जो लेखपाल हैं वे किसी जमीन या मकान को, जिस आदमी से वे ग्रज रखते हैं, नजूल लैंड में भर देते हैं। न तो जनता को इतनी फुरसत होती है और न वह जानती ही है कि कौन सा मकान या जमीन नजूल लैंड में भर दी गई है। ऐसी स्थिति में दो या चार साल के बाद यदि पानी बरसा या बाढ़ आयी और उसका मकान गिर गया तो उसका अधिकार उस पर से हट जाता है। इसलिये उसकी रक्षा के लिये धारा ३ की उपधारा (४) हटा दी जाय।

मान्यवर, मैं आप के द्वारा कल मंत्री जी से तथा सदन से इसी के लिये निवेदन कर रहा था और साथ ही साथ जो माननीय पालीवाल जी ने इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजे जाने के लिये कहा है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)---अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि अब यह प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष---इस समय अब कोई खड़ा ही नहीं है। माननीय माल मंत्री अब जवाब देंगे।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)---अध्यक्ष महोदय, यह बहुत छोटा सा बिल था। मैं समझता हूं कि इस विधेयक पर जितनी बहस हुई उतनी भी न होती अगर माननीय वक्ता महोदयों ने इस विधेयक को अच्छी तरह से पढ़ने की तकलीफ गवारा की होती। जो ५-७ बातें कही गयीं, उनके बारे में बहुत मुख्तसरन आपकी इजाजत से अर्ज करूंगा।

(इस समय १ बजकर १३ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १८ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री रामनारायण त्रिपाठी के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री चरणसिंह---उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि जो-जो भी माननीय सदस्य मेरे प्रस्ताव के सम्बन्ध में बोले उनमें से बहुत कम ने विधेयक को समझने की कोशिश की, वरना जो कुछ उन्होंने एतराजात किये हैं वह शायद वे करते नहीं। पहली बात यह कही गयी कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, तो मैं समझता हूं कि इसकी प्रवर समिति में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस बिल के सिलसिले में अध्यादेश जारी हुए कोई डेढ़ महीने हुआ है और तब से ले कर आज तक एक भी सुझाव माननीय गेंदासिंह जी के या किसी और माननीय मित्र के मेरे पास नहीं आये और जो संशोधन पेश हुए हैं उनसे भी जाहिर है कि यह कोई बहुत डिस्प्यूटेड बिल नहीं है, न वह पेचीदा है जिसके लिये कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय।

[श्री चरणसिंह]

एक बात यह कही गयी कि गांव क्यों छोड़ दिये गये हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि गांव में तो हर आदमी अपनी आराजी जेरे तहती का मालिक है। जिस आदमी का मकान बना हुआ है, जिस जमीन पर उसका मकान बना हुआ है, जमींदारी लैंड रिफार्म्स ऐक्ट के मातहत वह उसका मालिक है। मुझे तो निहायत अफसोस होता है कि वे लोग जिनसे उम्मीद की जाती है कि वे दूसरों को रास्ता दिखायेंगे, दूसरों को कोई अच्छा सुझाव देंगे, कोई अच्छी तनकीद या आलोचना कर सकेंगे जिससे इस सदन का फायदा हो सके, वे ही इस तरह की बातें कहते हैं जिससे जाहिर होता है कि जो अब तक हुआ है, जितना कानून इस सदन द्वारा बना है उसको मानो उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। मैं आपकी इजाजत से फिर दोहराता हूं, अभी एक साहब ने, पूरा नाम तो मुझे उनका नहीं मालूम है, शर्मा साहब हैं, उन्होंने यह शिकायत की और कहना शुरू किया कि गांव के मकानों का क्या होगा? वहां तो जमींदार इजाजत ही नहीं देते हैं। मेरे पास तो ऐसे शब्द ही नहीं हैं, जिनसे इस पर मैं अपने अचरज को जाहिर कर सकूं। जिन लोगों के नुमाइन्दे हो कर यहां आये हैं और विधेयक पर बोलने के लिये खड़े होते हैं तो यह इतना सीधा, सच्चा और मोटा फैक्ट है कि आज किसान और मजदूर अपने मकान के मालिक हैं और कोई दूसरा उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, चाहे वे कच्चा बनावें, चाहे पक्का बनावें, न बनावें, तरमीम करें, रिपेयर करें, न करें यह अच्छा ही है कि जो यहां पर बोलने वाले कहते हैं उनको सुनने के लिये गैलरी में दूसरे प्रदेश या देश के लोग नहीं होते हैं, वर्ना वे इस सदन के बारे में अपनी गलत राय कायम करते।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---अखबारों के जरिये दूसरे प्रान्त के लोगों को खबर मिल ही जाती है।

श्री चरणसिंह---यह अखबार वालों की इनायत है कि हमारे सदन में जो इतनी आधारहीन बातें कही जाती हैं उनको वे लिखते कम हैं, वर्ना मुझे बहुत अफसोस होता। मुझे बहुत अफसोस होता है, अगर यह बात माननीय गेंदा सिंह जैसे आदमी की जबान से निकलती है।

तीसरी बात यह कही गई कि "प्युपुल विल बी प्रिजुडिस्ड".....यह नयी खोज मेरे मित्र गेंदा सिंह जी की थी, इससे तो उनका नुक्सान हो जायगा। मैं नहीं समझता कि जब साल भर का मौका है तो बेदखल कैसे हो जायंगे? यह देहात के मुताल्लिक नहीं है। पहाड़ों में या रामपुर में जहां अभी पट्टेदारी की प्रथा समाप्त नहीं हुई है और अभी सुप्रीम कोर्ट में अपील चलती है वहां हो सकता है कि अभी उनके कुछ अधिकार हों, लेकिन देहातों में आम तौर से जहां जमींदारी खत्म हो चुकी है वहां यह सवाल नहीं रह गया है और सूबे के एक कोने से दूसरे कोने तक काश्तकार अपने मकानों के मालिक हो गये हैं। अब केवल शहरी इलाके का सवाल है और अगर वहां इस तरह का कोई इकरारनामा है जमींदार और किरायेदार का कि मकान गिरे या ढह जाय तो वह उसको फिर से नहीं तामीर कर सकता, तो अगर यह ऐक्ट न बनाया जाय तो वह कल ही बेदखल हो जायं, लेकिन गेंदासिंह जी कहते हैं कि उससे उल्टा नुक्सान हो जायगा। मेरी समझ में नहीं आया कि उन्होंने कैसे यह नतीजा निकाला, वह कौन सी दलील और कौन सा उनका रास्ता है कि जिससे किसानों का इससे नुक्सान हो जायगा।

एक और चौथी बात गेंदा सिंह जी ने कही, कि जो मकान का मालिक होता है वह जमीन का भी मालिक होता है, माननीय मलखान सिंह जी समझ रहे हैं वह वकील हैं, उन्हें मालूम है कि मकान के दो हिस्से होते हैं, एक तो जमीन, कि जिस पर मकान बनाया जाय और दूसरा सामान या मलवा जिससे मकान बनाया जाय। तो यह सामान जिसको मलवा कहते हैं उस का मालिक और हो सकता है और हाउस साइट या आराजी जेर तहती का मालिक जमींदार या कोई और हो सकता है। अब तक देहात में भी जमींदारी खात्मे से पहले मिट्टी कड़ी वगैरह का मालिक काश्तकार या रियाया थी और जमींदार जमीन के मालिक थे और इसलिये काश्त-

कार को उस अपने मकान को मुन्तकिल करने का भी अधिकार नहीं था। जमींदार को हक हासिल था कि वह उस जमीन को खाली करा ले और वह केवल मलवा ही ले जा सकता था, वह बयनामा नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वह कर सकता तो उस पर अधिकार भी ट्रान्सफरी का हो जाता। वह उसको नहीं था। तो इसलिये मकान में अगर कोई रहता है उपाध्यक्ष महोदय, इस वजह से जमीन का मालिक नहीं हो जाता। माननीय गेंदासिंह, माननीय परमात्मा नन्द सिंह, आप और मैं सरकारी कोठियों में रहते हैं तो कल को यह कहने लग जायं कि हम जमीन के भी मालिक हैं, यह कैसे हो सकता है। हम तो मलवे के भी मालिक नहीं हैं। रहने मात्र से ही ऐसा हो जाता है यह उसूल मुझे कल ही मालूम हुआ।

श्री गेंदासिंह---तो किराये के मकानों के लिये है यह बिल ?

श्री चरणसिंह---उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ थोड़ी सी कानून की व्याख्या करनी पड़ेगी। दो तरह के लीजेज होते हैं, मकान बनाने के लिये पट्टे होते हैं और खेती करने के लिये पट्टे होते हैं। तो यह बिल बिल्डिंग लीजेज के लिये है। जमीन है किसी साहूकार की और मकान किसी गरीब का है, लेकिन वह उस हाउस साइट का मालिक नहीं है। माननीय गेंदासिंह लखनऊ के पुरवों में जायं बजाय प्रेस कांफ्रेन्स के, और पूछें कि तुम मकान के मालिक हो ? कहेंगे मकान हमने बनाया है और हाउस साइट हमने पट्टे पर ली है। तरह-तरह के लीजेज हैं। यह सिर्फ़ शहरी इलाके के वास्ते है प्रैक्टिकली। पश्चिमी जिलों में शहर ज्यादा हैं और पूर्वी जिलों में कम हैं। उसके कारण में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना कहना चाहता हूं गेंदासिंह जी की इत्तला के लिये कि जब तक फूड प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं किसी इलाके में वहां शहर नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास बेचने को नहीं होगा लिहाजा मंडी नहीं होगी। जिस जिले में, मुल्क में फूड प्रोडक्शन ज्यादा होता है वहीं शहर और कस्बे होते हैं। सन् १९५५ में पश्चिम के कुछ जिलों में बारिश बहुत हुई और पुरवों के मकानात गिरे तो मेरठ के एक वकील साहब थे उन्होंने मुझे एक चिट्ठी लिखी कि पुरवा शेख लाल में काफ़ी मकान गिरे और सेठ जी डंडा लेकर बैठ गये कि मकान नहीं बनवा सकते फिर से, अगर बनाना है तो फिर से पट्टा लिखाने के लिये नजराना दीजिये, फिर आगे का मुआहदा हो। मैंने १६ जिलों के कलेक्टरों से जिनकी आबादी एक लाख से ज्यादा है, यह पूछा कि तुम्हारे यहां किस-किस किस्म के बिल्डिंग लीजेज हैं। मेरा विचार है कि जिस तरह से किसानों को अपनी जमीन का मालिक बना दिया उसी तरह से जो बिल्डिंग लीजेज के किरायेदार हैं उनको आराजी जेर तहती, हाउस साइट, का मालिक बना दिया जाय, मलवे के तो वे पहले से ही थे। लेकिन और ज्यादा एमरजेंट बातें थीं, जिससे इस मामले पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा सका। इस बीच में १९५६ में बाढ़ आयी। माननीय मुख्य मंत्री जी मेरठ गये थे। मेरठ डिवीजन के तमाम एम० एल० एज० और आफिसर्स वहां थे। हमने कहा कि १९५५ से ये बातें चल रही हैं। १९५७ में अब फिर मकान गिरे। तो जो लार्जर क्वेश्चन हैं वह यह कि उन्हें हाउस साइट का मालिक बना दिया जाय, उस किरायेदार को कम से कम अपना मकान बनाने का तो अधिकार हो। इसलिये उस आर्डिनेन्स को जारी कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, यह मैंने जवाब दिया इस बात का कि आराजी जेरे तहती मालिक होता है, यह माननीय गेंदासिंह जी का खयाल गलत है। अगर कोई दिक्कत उन्हें हुआ करे तो मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि मुझे हुक्म दे दिया करें ताकि मैं उनके दफ्तर में आ जाया करूं और उनको समझा दिया करूं। मुझे तकलीफ होती है जब गलत बात उनकी तरफ से कही जाती है।

अब पांचवीं बात यह है आर्डिनेन्स क्यों निकाला ? असेम्बली क्यों नहीं बुलाई ? असेम्बली १७, १८ सितम्बर को उठी और १७-१८ को मकान गिर रहे थे। आखिर कुछ देर होती आर्डिनेन्स के तैयार करने में। तभी से मामला चला। अक्तूबर आ गया था तो फिर असेम्बली को बुलाते ? अगर आर्डिनेन्स बगैर असेम्बली के जारी न हुआ करे तो फिर आर्डिनेन्स क्या ? फिर उन्होंने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी के सामने हमने इसे रक्खा था। जी हां स्टैंडिंग कमेटी के सामने रक्खा था जो १० नवम्बर को हुई। आर्डिनेंन्स

[श्री चरणसिंह]

पहले पास हो चुका था। स्टैंडिंग कमेटी से सुझाव मांगे थे, ताकि बिल में उनको इनकारपोरेट किया जा सके।

एक चीज उन्होंने यह कही कि यह दिक्कत केवल १६ शहरों में हुई ? जी नहीं, वह भी सुनने की गलती थी। १६ शहरों में जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं वहां के जिलाधीशों से यह पूछा कि तुम्हारे यहां बिल्डिंग लीज के आमतौर पर इंसीडेंट्स क्या-क्या हैं ? खतौनी, खसरा में कहीं लिखा नहीं है। जमींदारी एबालिश की तो आगरा टेनेन्सी, यू० पी० टेनेन्सी, अवध टेनेन्सी ऐक्ट थे। हमको मालूम था कि किस किस्म की लीजेज हैं, लेकिन इन लीजेज का कोई रिकार्ड नहीं। अनेक किस्म की लीजेज हो सकती हैं। यही दिक्कत आ जाती है। कानूनन लिखें तो क्या लिखें। यह नहीं कि १६ शहरों में ही खास कर यह दिक्कतें हुईं। १६ शहरों के जिलाधीशों को इंफार्मेशन मंगाने के लिये केवल खत लिखे थे। सन् १९४८ में कानून पास किया था कि गांव में अगर मकान गिर जायं तो कलेक्टर को अधिकार है कि जमीन को सरसरी तौर पर हस्तगत कर ले। मेरे मित्र ने पूछा कि माननीय मंत्री बतलायें तो किन जिलों में क्या-क्या जमीन ली गई ? मेरे मित्र का यह खयाल कि जमीन कहीं ली गई गलत है। गालिबन लेजिस्लेटिव कौंसिल में एक रिजोल्यूशन का एक नोटिस दे दिया गया है। फिलहाल हमारे विभाग से सब कलेक्टरों को लिखा गया है कि हमको मालूमात करनी हैं कि हर जिले में कलेक्टर ने समरी एक्विजीशन अधिनियम के मातहत कितनी जमीन हस्तगत की है। यह इत्तिफाक था कि यह मामला पहले ही जा चुका था और गोरखपुर के कलेक्टर का जिन्हें २१/२३ को लिखा गया था, जवाब आ भी चुका है। अब तक मकान बनाने के लिए ४३·८७ एकड़ जमीन उस ऐक्ट में हासिल करके जिनके मकान गिर गये थे उनको मकान बनाने के लिए जगहें दी गई हैं और वह कहते हैं कि हमको ३६·५८ यानी साढ़े छत्तीस एकड़ जमीन की और जरूरत है। उस सिलसिले में कार्यवाही कर रहे हैं। एक बात इस सिलसिले में बतला दूं कि जब यह कानून पास हुआ तो उस वक्त जमींदारी प्रथा कायम थी, लैंड ऐक्विजीशन की जरूरत थी, लेकिन सन् १९५२ में जमींदारी खत्म हो गयी और एक सरकुलर हमने भेज दिया था कि गांव समाज के पास जो जमीन हो वह कलेक्टर गांव समाज को इत्तला देकर उसकी राजी से ले सकता है। गांव समाज अगर राजी न हो तो कलेक्टर को अधिकार था कि वह हमसे कहे और हम ऐक्विजीशन करा देंगे। लेकिन उस ऐक्ट के मातहत ऐसी जरूरत कम पेश आती है।

कहा गया कि गवर्नमेंट मकान बनाने के लिए कितना रुपया देगी, और उसने मकान क्यों नहीं बनाये ? ऐसी ही तकरीरें माननीय राजनारायण जी की हैं कि इस विधेयक की परिधि बढ़ा दी जाय और एक व्यापक कानून आये। साथ ही लड़कों की फीस और लगान माफ करने और मकान बनाने वगैरह की बातें थीं जिनका ताल्लुक इस कानून से नहीं है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, साफ-साफ कह देना चाहता हूं कि ५० वर्ष तक इस प्रदेश की गवर्नमेंट के इतने रिर्सोसेज नहीं हो सकते कि वह मकान अपनी तरफ से बनवा दे जो कि फ्लड में गिर गये हैं। हम लोग अन्दाज नहीं कर सकते हैं कि कितना सामान चाहिये, कितने रिर्सोसेज चाहिए और स्टेट की हालत क्या है ? फिजिकल रिसोर्सेज हमारे बढ़ नहीं सकते और ह्यूमन लायबिलिटी और तादाद बढ़ती जाती है, लिहाजा मौजूदा लेविल को मेनटेन करने के लिए ही बड़ी मेहनत की जरूरत है और अगर मौजूदा कंजम्पशन को बढ़ाना है तो और ज्यादा मेहनत की जरूरत है। मुझे यह नहीं मालूम है कि अमरीका की गवर्नमेंट भी मकान बनाती है या नहीं। माननीय राजनारायण जी ने कहा कि वे बताये देते हैं कि इसके लिए रुपया कहां से आयेगा---एक फैक्ट्री ले लो। मैं भी कहता हूं कि, ले लो फैक्ट्री---जयपुरिया की १० करोड़ की है स्वदेशी काटन मिल, एक साल के बजट में ही बराबर हो जायगी। एक में नहीं तो दो साल में हो जायगी। जो प्रोडक्शन होता है वह तो बन्द ही हो जायगा। अगर फैक्ट्री चलेगी तो उससे जो मुनाफा होता है उसी के आप हकदार होंगे और वह कितना होगा ? फिर मजदूरों की तनख्वाह इससे दूनी करनी पड़ेगी, स्ट्राइक और ज्यादा हुआ करेंगे।

श्री गेंदासिंह—फिर स्ट्राइक नहीं होंगे।

श्री चरणसिंह—ठीक है, रूस की तरह से होना ही नहीं चाहिये। आज दुनिया का तजुर्बा यह है कि ब्रिटेन में कम से कम सोशलिस्ट पार्टी का यह मत है कि "नेशनलिज्म इज नो रेमेडी"। रिथिंकिंग हो रहा है और सोशलिस्ट यूनियन और जो ऐकेडेमिक सोसाइटीज बनी हैं उन्होंने ऐलान किया है कि नेशनलिज्म ही सोशलिज्म ला देगा। सब स्वप्न हमारे भंग हो गये। फैक्ट्री ले लीजिये। उसका मैनेजर माननीय गेंदासिंह जी को बना देने से काम नहीं चल सकता। अब मैंने यह तय किया है कि माननीय मित्रों के कहने का, सारी बातों का जवाब न दिया करूं जिससे उनको यह खुशी रहा करे कि सब चीजों का जवाब नहीं दे पाये, क्योंकि सब बातों का जवाब दे देता हूं तो आपको बुरा लगता है।

अब भाई राजनारायण जी ने लिखा है कि उन्होंने मेरे पास जेल से खत भेजा था। मेरी बदकिस्मती से उनका वह पत्र मुझे मिला नहीं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल राजनारायण जी ने यह कहा था कि सोशलिस्ट लोग जेलों में ठूंस दिये गये जबकि बाढ़ आ रही थी। १० मई से सत्याग्रह शुरू हुआ, एक महीने में फिजिल आउट हो गया। उसमें साढ़े तीन हजार के करीब लोगों ने भाग लिया। १० मई से १० जून तक न मालूम कौन सी बाढ़ आ रही थी, ताकि लोग बाढ़ में न बह जायं इसलिए हमने सोशलिस्टों को जेल में भेज दिया।

इस बात पर बहस हुई कि फ्लड ऐफेक्टेड एरिया क्या होता है? वह होता है जिसको हम कह दें, और क्या डेफिनीशन होगी? मथुरा के जिले में तो ७२३ फिट पानी आ जाय जमुना में और गोरखपुर में ३४८ फिट हो जाय तब फ्लड एफेक्टेड एरिया वहां होता है। इसमें डेफिनीशन देने की क्या जरूरत है? माननीय गौरीशंकर राय जी ने जो संशोधन दिया है उसमें लफ्ज "फ्लड" फिर रह गया। हमने यह रखा है कि अगर फ्लड आ जाये तो यह कानून वहां लागू होगा। इसमें क्या आपत्ति है? दुनिया में अगर कोई मुश्किल बात है तो परिभाषा करनी है। उसकी जरूरत क्या है करने की।

एक बात यह कही गयी कि यह बिल जल्द आना चाहिये था। इस तरह के आर्गुमेंट अक्सर हुआ करते हैं कि पिछले साल आ जाता तो अच्छा था। यह कोई दलील नहीं है। अगर मैं नहीं लाया तो माननीय गेंदासिंह जी ले आते। मैं तो सन् १९५५ से आराजी जेर तहत पर उसको मालिक बनाने की बात सोच रहा हूं और उनको मालूम है कि मैं सन् ५५ से सोच रहा हूं। लेकिन मैं उसका इजहार नहीं करना चाहता था कि न मालूम उन लोगों के साथ लोग क्या ज्यादती करेंगे, इसलिए मैंने तो नहीं सुना कि वह पार्टी जो कि सारी सेवा का ठेका लिए हुए है उसके किसी सदस्य ने उन गरीबों को जो पुरवों में रहते हैं, शहरों में रहते हैं उनको आराजी का मालिक बना दिया जाय, इस प्रकार की मांग की हो। इसलिये यह उलाहना केवल उलाहने के लिए है।

इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव को फिर स्वीकृति के लिए पेश करता हूं कि इस बिल पर विचार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—अब मैं माननीय गेंदासिंह और श्री राजनारायण जी के संशोधन को ले रहा हूं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—एक संशोधन मेरा भी है।

श्री उपाध्यक्ष—यह तो प्रवर समिति की रिपोर्ट लेने के बारे में है। आपका संशोधन बाद में आयेगा।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गृह-स्थल (बाढ़ पीड़ित क्षेत्र) (अस्थायी अधिकार) विधेयक, १९५७ को एक प्रवर समिति को भेजा जाय जो अपनी रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर दे दें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गृह-स्थल (बाढ़ पीड़ित क्षेत्र) (अस्थायी अधिकार) विधेयक, १९५७ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसे आवश्यकतानुसार परिवर्तन व संशोधन करने का अधिकार हो और जो अपनी रिपोर्ट १४ दिसम्बर तक पेश करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गृह-स्थल (बाढ़ पीड़ित क्षेत्र) (अस्थायी अधिकार) विधेयक, १९५७ [U. P. House Sites (Flood Affected Areas) (Temporary Powers) Bill, 1957] पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

२—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में:— परिभाषायें।

(१) "केन्द्रीय सरकार" का वही अर्थ होगा जो जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १८९७ की धारा ३ में शब्द "सेन्ट्रल गवर्नमेंट" (Central Government) को दिया गया है; ऐक्ट संख्या १०, १८९७।

(२) "बाढ़-पीड़ित क्षेत्र" का अर्थ है ऐसा क्षेत्र, जिसे राज्य सरकार समय-समय पर सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके इस सम्बन्ध में निर्दिष्ट करे;

(३) "विज्ञापित दिनांक" (Notified date) तथा "विज्ञापित अवधि" (notified period) का अर्थ है ऐसा दिनांक तथा ऐसी अवधि, जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके इस सम्बन्ध में निर्दिष्ट करे;

(४) "नियत" का अर्थ इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों द्वारा नियत है, तथा

(५) "राज्य सरकार" का अर्थ उत्तर प्रदेश की सरकार है।

---

*श्री गेंदासिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्न संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड २ के उपखंड (२) को निम्न प्रकार से रख दिया जाय:

"बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का अर्थ है, ऐसा क्षेत्र जहां बाढ़ इस विधेयक के प्रस्तुत होने के पहले आ चुकी हो अथवा भविष्य में आये।"

विधेयक के पृष्ठ २ पर इस प्रकार रखा गया है कि "बाढ़ पीड़ित क्षेत्र" का अर्थ है ऐसा क्षेत्र, जिसे राज्य सरकार समय-समय पर सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके इस संबंध में निर्दिष्ट करें। माननीय राजस्व मंत्री जी ने अभी कुछ मिनट पहले यह कहा कि हमने इस कानून को समझा नहीं है। हमने इस विधेयक को पढ़ा नहीं है। इसलिये हमारी बातें और हमारा संशोधन गलतफहमी पर आधारित है। हम सीधी बात समझते हैं कि बाढ़ जहां पर आये वह सरकारी कागजों में मौजूद रहती है। विज्ञप्ति शायद न हुई हो, यह बात हो सकती है कि फलां गांव में बाढ़ नहीं आई थी। गांव से इन्कार भी करती है गवर्नमेंट कि गांवों से इसका कोई ताल्लुक नहीं। मैं गलत कह गया शहरों से इसका ताल्लुक नहीं। शहरों में भी जहां बाढ़ आई होगी इसी प्रकार के कानून बनाने की सरकार को जरूरत पड़ी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होगी तो सरकार को बहुत पहले जानकारी हो चुकी है और मैं यह नहीं समझता हूं कि बाढ़-पीड़ित क्षेत्र को विज्ञप्ति द्वारा घोषित किया जाय ।

हमारे ज्ञान की कमी की परवाह राजस्व मंत्री जी को बराबर रहा करती है और हम उनके भाषण से अपने ज्ञान का वर्द्धन भी किया करते हैं । अब हमारी बातों से उनके ज्ञान का वर्द्धन होता है या नहीं । इसमें हमें शुबहा है, क्योंकि जिस आदमी ने समझ लिया हो कि ज्ञान का भंडार उसी के पास है, दूसरे लोग तो अज्ञान की बात करते हैं, तो ऐसे आदमी को जो समझा जाता है उसको अब स्वतः राजस्व मंत्री जी समझें और फिर से समझें कि इसको क्या कहा जाता है । अब इस ज्ञान अज्ञान की बात मैं यहीं पर छोड़ता हूं । इसमें क्या दिक्कत है जिस क्षेत्र में बाढ़ आई है उसको बाढ़ पीड़ित माना जाय ? इसका अर्थ यह रहेगा और शुबहा किया जा सकता है । दस शहरों में बाढ़ आई और मकान गिरे और उनको सहायता दी उसी प्रकार की कि जिस प्रकार की एक शहर में आवश्यकता है वही दूसरे में भी आवश्यक है । इसमें यह कहीं नहीं बतलाया गया है कि एक शहर में दूसरे प्रकार की रूढ़ि या परम्परा है और दूसरे शहर में दूसरे प्रकार की परम्परा या रूढ़ि है । एक ही प्रकार की रूढ़ि और परम्परा हर शहर में है और १० शहरों में बाढ़ आयी हुई है तो विज्ञप्ति जारी करने के माने यह है कि उन दसों शहरों को हम नहीं कहना चाहते हैं, कुछ को छोड़ कर कहना चाहते हैं । अगर आपका इरादा ऐसा नहीं है और आप चाहते हैं कि सभी लोगों को एक प्रकार की सुविधा मिले तो हमारी इस बात को मान लेने में क्या आपत्ति है । आप अपने को मनुष्य से ऊपर समझते हैं और हमको मनुष्य से नीचे समझते हैं । हम आपको मनुष्य समझते हैं । अगर आप अपने को मनुष्य समझते तो इस प्रकार का अधिकार अपने हाथ में लेने की चेष्टा नहीं करते । और यह कोई नयी बात थोड़े ही है । दुनिया में जहां कहीं भी एग्जीक्यूटिव, लेजिलेस्चर और जुडिशरी, इन तीनों का सामन्जस्य है वहां कहां नहीं एग्जीक्यूटिव ने अपने हाथ में ज्यादा पावर लेने की कोशिश की ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी जो कमेटी इस हाउस के रूल्स को एग्जामिन करने के लिये बठी थी उसमें एक जगह नहीं बल्कि दर्जनों जगह यह साबित हो चुका है कि इस लेजिस्लेचर के अख्तियारात को आपने छीनने की कोशिश की और इस लेजिस्लेचर ने जो अख्तियारात आपको दिये उनसे ज्यादा का इस्तेमाल एग्जीक्यूटिव ने किया । तो हम एक लगाम हैं मिनिस्टर और शासन के ऊपर और उस लगाम को हम लगाये रखना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि उस लगाम को उठा कर फेंक दें । हमारा यह संशोधन बड़ा पवित्र संशोधन है और लगाम है आपके ऊपर । मैं यह नहीं कहता कि आपकी नीयत खराब हो जायगी लेकिन अगर कहीं तबियत बिगड़ जाय, कहीं झगड़ा हो जाय हमसे तो हमारे शहरों को तो न सफर करना पड़े । बाढ़ आयी है, मकान गिरे हैं, सभी शहरों वाले बराबर तकलीफ में हैं, लेकिन आप विज्ञप्ति जारी करेंगे तब जाकर उनको बराबर हक मिलेगा । यह बड़ी सीधी बात है इसलिये मैं समझता हूं कि यह पावर सरकार को हर्गिज नहीं लेनी चाहिये और इसकी परिभाषा अभी बदल दी जानी चाहिये कि जहां बाढ़ आ चुकी है उन सभी शहरों के प्रति अगर आपको कुछ रहम है जिससे प्रेरित होकर आप यह विधेयक लाये हैं, हमने गलती की जो आपसे ऐसा विधेयक लाने के लिये नहीं कहा और वह गलती हमने मान ली लेकिन आपने सही काम किया और उसमें हम इतना और जोड़ने के लिये कहते हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन मान लीजिये और अगर हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं मानना चाहते हैं तो उधर से किसी से इस अमेंडमेंट को मूव करा के मन्जूर कर लीजिये । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहूंगा कि दूसरे किसी को यह संशोधन रखने की इजाजत दे दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—अभी आपके निराश होने की तो कोई बात है नहीं ।

श्री गेंदासिंह—जी नहीं । जब तक दोनों आदमी जिन्दा रहेंगे तब तक निराश होने वाला नहीं हूं । अगर मैं ऐसा निराशावादी होता तो यहां आता ही नहीं ।

श्री चरणसिंह—लेकिन आप तो जिन्दगी से ऊब उठे हैं ?

श्री गेंदासिंह—नहीं, जीना चाहता हूं और दोस्ती भी रखना चाहता हूं, लेकिन मैं जीते जी नहीं मरना चाहता हूं और ऐसे दोस्तों से अगर जीते जी दोस्ती छूट जाय और हुक्का पानी बन्द हो जाय तो ऐसी जिन्दगी से क्या फायदा। मैं गांव का आदमी हूं और हुक्का पानी की कद्र करने वाला हूं इसलिये हुक्का पानी को बन्द कराना नहीं चाहता हूं। अब हमारा और चौधरी साहब का हुक्का पानी बन्द है। दिल में जरूर है कि ऐसा नहीं होना चाहिये, लेकिन बन्द है। उनसे जरूर बन्द है, लेकिन उनके घर वालों से हमारा हुक्का पानी बन्द नहीं रहेगा। रही बात यह कि इसमें पावर जरूर कुछ ज्यादा लेते हैं। हमको कुछ ऐसा लगने लगा है कि जैसे-जैसे उनकी उमर गिरने लगी है मतलब बढ़ने लगी है वैसे-वैसे वह यह समझने लगे हैं कि कुछ थोड़े ही दिन हैं, कुछ और मजा ले लें। अभी आप भागे जा रहे थे .....

श्री चरणसिंह—काहे का मजा ले लें ?

श्री गेंदासिंह—शासन का। मतलब यह कि जो नहीं किया है वह भी कर लें।

श्री चरणसिंह—वह तो आपका दिल जानता है कि कैसा मजा लेता हूं।

श्री गेंदासिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस परिभाषा के संबंध में यही सूझता है और वही मैंने कहा। अगर आप इसे स्वीकार कर लें तो अच्छा है।

श्री रामलखन मिश्र—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो इस संशोधन में हास्यास्पदता दिखाई पड़ती है। यह संशोधन हास्यास्पद है और मैं इसका विरोध करता हूं। इसमें कई कठिनाइयां हैं। इसमें "बाढ़ पीड़ित क्षेत्र" का अर्थ है ऐसा क्षेत्र जहां बाढ़ इस विधेयक के प्रस्तुत होने के पहले आ चुकी हो अथवा भविष्य में आये। प्रश्न होता है कि बाढ़ की परिभाषा क्या है ? वास्तव में जो यह विधेयक चल रहा है, इसका प्राणस्वरूप है धारा ३ का भाग १। उसमें यह है कि "यदि राज्य सरकार के मत में यह आवश्यक अथवा इष्टकर हो कि किसी क्षेत्र में विज्ञापित अवधि में बाढ़-पीड़ित व्यक्तियों को फिर से बसाया जाय तो वह सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके ऐसे क्षेत्र को बाढ़-पीड़ित क्षेत्र घोषित कर सकती है।" सचमुच में परिभाषा यहां है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये ऐसा मैं समझता हूं, कोई परंपरा स्थापित करने के लिये ही, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र की परिभाषा ऊपर कर दी गई है। यदि माननीय गेंदासिंह जी ने धारा ३ का भाग १ और २ पढ़ा होता तो संभवतः वह इस संशोधन को प्रस्तुत न करते। यदि उनका प्रस्तुत संशोधन स्वीकार कर लिया जाय तो उसका मापदंड क्या होगा ? इसकी ओर ध्यान नहीं दिलाया गया। तो इस प्रकार यह एक निरर्थक सा विवाद है। यदि बाढ़-पीड़ित क्षेत्र की परिभाषा यहां न भी रखी जाय तो इस विधेयक का काम धारा ३ (१) से पर्याप्त चल सकता है। लेकिन यह रखी गई है केवल विधेयक की एक शैली के कारण, कि उसमें जो शब्द आये उसकी थोड़ी बहुत परिभाषा बना दी जाती है तो इसके लिये कोई और दूसरी परिभाषा नहीं हो सकती कि राज्य सरकार किस प्रकार से करे। इसमें राज्य सरकार के इस अधिकार के दुरुपयोग की संभावना नहीं है और इसका उद्देश्य ही है कि जो नागर क्षेत्र में मकान आदि गिर जाते हैं बाढ़ के कारण उनको वाजिबुलअर्ज के दृष्टि कोण से, या और कोई दूसरी शरायतों के दृष्टिकोण से कि कोई पक्का मकान नहीं बना सकता, खपरैल नहीं डाल सकता आदि, तो उनके कारण वह अपना मकान बनाने से वंचित रह जाते हैं और उनको दुबारा परमीशन लेनी पड़ती है। इस कठिनाई को दूर करने के लिये ही यह विधेयक लाया गया है। यदि इसमें यह परिभाषा रह भी जाय तो कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। हां, यदि गेंदा सिंह जी की परिभाषा रख दी जाय तो अनर्थ हो सकता है और उससे विधेयक का उद्देश्य ही नहीं नष्ट होता, वरन् उसमें कुछ रह ही नहीं जाता। फिर प्रश्न होता है कि बाढ़ किस कहते हैं और उसकी परिभाषा क्या है ? अधिक समय नहीं है।

माननीय मंत्री जी ने अपने प्रारम्भिक भाषण में जो बात कही थी उसी से कुहरा कट गया था। इसमें तो वही गोस्वामी जी वाली बात हो गई "He criticised the critics into more anticipation", उन्होंने माननीय गेंदासिंह जी के संशोधन पर प्रकाश अपने पूर्व भाषण में ही डाल रखा था। तो उससे ही मामला साफ हो गया था। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

*श्री कुंवरकृष्ण वर्मा (जिला सुल्तानपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदासिंह जी को शायद यह शक था कि जो पिछली बाढ़ आयी है वह क्षेत्र भी इसमें शामिल हो सकेंगे या नहीं? उनमें जो क्षति पहुंची है उसके बारे में यहां जो इस वक्त हम यह कानून बनाने जा रहे हैं वह उसमें लागू हो सकेगा या नहीं? मैं समझता हूं यह संदेह उनका फिजूल सा है इसलिये कि जब कभी कहीं बाढ़ आयेगी और उससे क्षति पहुंचेगी तो उसके बाद ही यह प्रश्न उपस्थित हो सकता है। उसमें भी ऐसा कानून रहेगा कि जिन लोगों के मकानों को क्षति पहुंची है वह अपनी मरम्मत करा सकें। आप भी इस बात को जानते होंगे। तो यह कहना कि यहां जो इस वक्त यह विधेयक पेश हो रहा है उसमें ऐसा न हो कि जो पिछली बाढ़ आयी है और उससे जो क्षति पहुंची है उसके बारे में सरकार कुछ नहीं कर सकती, ऐसा सन्देह अनावश्यक है। इस वजह से कोई भी बाढ़ आयेगी उसके बाद ही यह प्रश्न उपस्थित होगा कि यह कहां पर प्रख्यापित किया जाय। जो इसमें शब्दों का प्रयोग किया गया है वह भी काफी व्यापक है। इसमें इस बात का प्रतिबन्ध नहीं है कि इस विधेयक के पास होने से जो बाढ़ आयी हैं उसके बारे में सरकार कोई विज्ञप्ति नहीं कर सकती। ऐसा कोई शब्द नहीं है जिनसे यह मतलब निकाला जाता हो।

इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अभी एक अध्यादेश जारी किया था और उसके अधीन जो कुछ कार्यवाही हुई है वह तो जारी थी ही। तो अगर कोई क्षति पहले से पहुंची है तो उसके बारे में उस अध्यादेश के अधीन हम कार्यवाही कर चुके हैं और कम से कम नुक्सान पहुंचने का अंदेशा नहीं है। इसलिये जो संशोधन माननीय गेंदासिंह जी ने पेश किया है वह मैं समझता हूं बिल्कुल फिजूल है। जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने निवेदन किया कि खंड ३ को अगर माननीय गेंदासिंह जी पढ़ेंगे तो उससे यह साफ स्पष्ट हो जायगा कि इसकी बिलकुल आवश्यकता नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह बिलकुल असंगत है। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह अपने संशोधन को वापस ले लें।

श्री चरणसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा इत्तफाक है कि अभी जो तीन मित्र बोले मैं उन तीनों से सहमत नहीं। जो माननीय रामलखन मिश्र जी का व्याख्यान हुआ उसके मुताल्लिक मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि उन्होंने जहां तक माननीय गेंदासिंह जी का विरोध किया वह तो ठीक किया लेकिन उन्होंने यह कहा कि वहां तो इस परिभाषा की जरूरत नहीं थी और वैसे ही काम चल जाता, ऐसी भावना उनके कथन में थी लेकिन यह बात गलत है। अगर परिभाषा फ्लड एफेक्टेड एरिया की नहीं करते हैं और यह कह दें कि जो फ्लड के एरिया हैं उनमें मजदूर किराएदार को अपने मकान को अजसरेनौ बनाने का अधिकार हो। बस इतना ही रहे कि बाढ़-पीड़ित एरिया में लोगों को मकान बनाने का अधिकार हो। तो यदि एक आदमी मकान बनाना चाहता है और जमींदार कहता है कि यह एरिया फ्लड एफेक्टेड नहीं है, यह मामला अदालत में पेश होगा यह तय करने के लिये कि यह फ्लड एफेक्टेड है या नहीं और यह भी कि बाढ़ किस को कहते हैं। इसलिये अगर डेफीनीशन नहीं होगी तो हाईकोर्ट तक लड़ना पड़ेगा। अब यह सोचने की बात है कि इस संशोधन के मानने से लाभ होगा अथवा उल्टी हानि। इस समय तो हम ने यह नोटीफाई कर दिया कि यह एरिया फ्लड एफेक्टेड है। फिर कोई भी जमींदार यह नहीं कह सकता कि यह ऐसा एरिया नहीं है। और कोई भी मजदूर या किसान मकान बनाने से रोका नहीं जा सकता।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरणसिंह]

क्योंकि कानून में हमने लिख दिया है कि गवर्नमेंट जिसको नोटीफाई कर दे वह फ्लड एफेक्टेड एरिया है। इसलिये माननीय रामलखन जी मिश्र का यह कहना कि बिना डेफीनीशन के ही काम चल जाता गलत है।

अब माननीय गेंदासिंह जी का यह संशोधन है कि "बाढ़-पीड़ित क्षेत्र" का अर्थ है ऐसा क्षेत्र जहां बाढ़ इस विधेयक के प्रस्तुत होने के पहले आ चुकी हो अथवा भविष्य में आये। गवर्नमेंट जो कि फ्लड की तकलीफों से बचाने के लिये करोड़ों रुपया खर्च करती है उस पर तो माननीय गेंदासिंह जी को कोई विश्वास है नहीं और वह समझते हैं कि वह मजदूरों और किसानों के हित में कार्य न करेगी और बाढ़-पीड़ित क्षेत्र करार न देगी। लेकिन जब जमींदार और किसान का मसला आता है तो हम किसान की तरफदारी करते हैं। शायद वे समझते हैं कि मैं इसके द्वारा शासन का आनन्द लेना चाहता हूं। यह तो वे अपने जमीर से पूछें। आनन्द लेने के लिये तो और भी बहुत सी चीजें हो सकती हैं, यह आनन्द लेने की चीज नहीं है कि जिसकी वजह से हम इसको नोटीफाई न करें। आपने यह रक्खा कि बाढ़-पीड़ित ऐसा क्षेत्र है जहां बाढ़ इस विधेयक के प्रस्तुत होने के पहले आ चुकी हो या भविष्य में आये। जब यह मामला अदालत में पेश होगा कि बाढ़ आयी थी या नहीं, या बाढ़ किस को कहते हैं, तब क्या होगा? इसलिये मैं कहता हूं कि इट एमाउन्ट्स टु ड्रैगिंग दि क्वेश्चन" फ्लड की तारीफ करने चले थे लेकिन बाढ़-पीड़ित क्षेत्र की तारीफ करना रह गया। हमने यह अधिकार अपने हाथ में लिया था कि फ्लड एफेक्टेड एरिया कौन सा होगा लेकिन आप इस अधिकार को अदालत के हाथ में दे रहे हैं। इसीलिये मैंने कहा कि माननीय गेंदा सिंह जी इसको स्वयं ही समझें कि उनके संशोधन से लोगों का लाभ होगा या हानि होगी। अब यह शब्द कि "आ चुकी हो अथवा भविष्य में आये" यह चीज ऐस्ट्रोनोमी से जाहिर होगी या ओकल्टिज्म से जाहिर होगी। सीधी सी बात है कि अगर आ चुकी है तब तो आ ही चुकी है और अगर नहीं आयी है तो मकान गिरने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अगर कोई आदमी मकान बनाता है और जमींदार कहता है कि बाढ़ नहीं आयी है तो वह कहेगा कि नहीं आयी तो आ सकती है। बाकी जहां तक जवाब का ताल्लुक है, वह तो कुछ न कुछ माननीय गेंदासिंह जी दे ही देंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि इससे लोगों की कठिनाई और भी ज्यादा बढ़ जायगी, फायदा कुछ न होगा। इससे तो आप गरीबों को और भी ज्यादा मुकदमेबाजी में फंसाना चाहते हैं।

श्री कुंवर कृष्ण जी ने यह कहा कि माननीय गेंदासिंह का यह खयाल है कि जहां पहले बाढ़ आ चुकी है, वहां के लोगों को इससे फायदा नहीं हो सकता। उनका यह खयाल निराधार है। श्री कुंवर कृष्ण जी का यह खयाल था, मैं तो नहीं समझता कि माननीय गेंदा सिंह जी ने इस खयाल से कहा, लेकिन अगर मेरे माननीय मित्र ने जैसा उनको रीड किया, अगर वास्तव में उनका यही खयाल था तब तो उसका जवाब देना भी गलत ही है। क्योंकि यहां तो ड्यूरिंग नोटिफाइड पीरियड की बात है यानी पहली जुलाई सन् १९५७ से ३० सितम्बर, सन् १९५७ तक, ही यह ऐप्लाई करता है, लिहाजा पिछली बाढ़ के लिये इसको ऐप्लाई करना बेकार है। अगर सन् १९५६ में बाढ़ आयी तो वह बेदखल हो गया होगा या नजराना देकर उसने अपना मकान बना लिया होगा। फिर वहां इसको ऐप्लाई करने से क्या फायदा होगा? इन शब्दों के साथ मैं माननीय गेंदासिंह जी के संशोधन का विरोध करता हूं और जैसा मैंने कहा उसका कारण केवल यह है कि उससे उल्टा नुकसान होगा, फिर अदालतें तय करेंगी कि बाढ़ आयी या नहीं आयी और इस तरह से मुकदमेबाजी बढ़ेगी।

*श्री गेंदासिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि चौधरी साहब ने, अब मैं कैसे कहूं कि वे समझते नहीं हैं, समझते तो हैं लेकिन टेढ़े मेढ़े समझते हैं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो उत्तर उन्होंने दिया उसमें उन्होंने इस बात को बतलाने की मेहरबानी नहीं कि कि आखिर हमें जो यह शुबहा है कि एक शहर में बाढ़ आयी और उसी बुनियाद पर इस विधेयक को लाने की आवश्यकता पड़ी और इस विधेयक को एक विधेयक की शक्ल में नहीं बल्कि इसकी आवश्यकता महसूस हुई जब कि दिसम्बर में हम बैठने वाले थे, उसके पहले आर्डिनेंस निकालने की जरूरत मालूम हुई। यह बात सिद्ध करती है कि अत्यन्त आवश्यकता थी। इसमें कोई झगड़ा नहीं है, ठीक है, सरकार ने अगर आर्डिनेंस की आवश्यकता समझी तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बीच में मैंने उन्हें टोका भी कि आप मेहरबानी करके हमको यह तो बतला दें कि क्या जहां बाढ़ आयी थी उनके लिये विज्ञप्ति हुई थी ? अभी भी उन्हें मौका है, ठाकुर परमात्मानन्द सिंह जी बैठे हुये हैं, वे इस बात को ध्यान में रखें कि वे उत्तर देते वक्त इस बात को बतलावें कि पिछले जमाने में जब कि इसकी आवश्यकता महसूस हुई थी तो कहां-कहां के लिये अब तक गवर्नमेंट ने विज्ञप्ति की ? कुछ शहरों के लिये विज्ञप्ति आपने की है तो वह हमारे लिये समझने की बात होगी और मैं देखूंगा कि विज्ञप्ति करने में सरकार ने कितनी उदारता से काम लिया है। जो कुछ कल हमारे श्री रामलखन मिश्र जी ने कहा जो कि रेवेन्यू के मामले में हमारे उस्ताद हैं, उनके साथ बैठ कर हम रेवेन्यू का मामला पढ़ते हैं, उनसे मैं जानना चाहूंगा उन्होंने कल बतलाया कि बस्ती जिले में भी इस तरह की मुसीबत है, इसलिये इसे जल्दी पास हो जाना चाहिये, इसे सेलेक्ट कमेटी में नहीं जाना चाहिये, तो मैं जानना चाहूंगा कि विज्ञप्ति में बस्ती के वे कस्बे आये हैं या नहीं आये हैं ?

मैं बहुत स्पष्ट इस बात को कह देना चाहता हूं कि एक्जीक्यूटिव के हाथ में बाढ़-पीड़ित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार कतई नहीं होना चाहिये। हां, जहां बाढ़ आयी है, वह तो विज्ञप्ति है ही। इस कानून के जरिये मान लिया जाय कि जहां बाढ़ आवे उसे घोषित माना जाय कि वहां बाढ़ आयी है। और फिर सीमित है और सीमित इस माने में है क्योंकि उस में लिखा हुआ जरूर है, उद्देश्य में, उस के लिखने में भूल हुई, उस में यह नहीं है कि गांव की नहीं होगी, उसमें लिखा है कि शहरों के लिये मुख्यतः है, तो उसमें इस तरह से गांव भी हैं। शहरों का ही मान लें तो वह सोचते हैं कि किसी शहर पर विशेष कृपा किसी की हो सकती है और किसी शहर में कोई ऐसा व्यक्ति बसता हो जो कृपाभाजन न बन सके। अगर यह इरादा साफ है तो जहां भी बाढ़ आये उसे बाढ़-पीड़ित क्षेत्र मान लिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्या कहूं जिस तरह से मंत्री जी मुझ से कहलाना चाहते हैं वह सब कहने की मेरी आदत नहीं है। मैं कहता हूं कि यह परिणाम भी हो सकता है, उसकी मैं कल्पनामात्र करता हूं, कभी-कभी किसी का कुछ शायद पक्ष किया जा सकता है, और कभी-कभी कहने पर जैसी कि प्रक्रिया होती है, जैसा कि मेरी जिन्दगी का एक तजुरबा है और उससे मैं समझता हूं कि एक बात मैं कहता हूं उसका दूसरे आदमी कम ख्याल करते हैं, वही बात चरण सिंह जी कहते हैं तो उसका वजन होता है, दोनों के कहने में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। यह भी हो सकता है कि जिस शहर में श्री राम लखन जी या दीप नारायण मणि जी रहते हों वहां की विज्ञप्ति न हो और जिस शहर में श्री लक्ष्मी रमण जी या श्री परमात्मानन्द सिंह जी रहते हों, उस पर कृपा हो जाय। ऐसी चीज मनुष्य से हो सकती है। (एक आवाज) ऐसा कभी हुआ नहीं। लेकिन ऐसा हो सकता है, भगवान न करे कि ऐसा हो लेकिन फिर भी मनुष्य से ऐसी गलती हो सकती है। इसलिये अधिकार अपने हाथ में न रहे। परन्तु अफसोस है कि इसका कोई उत्तर मंत्री जी ने नहीं दिया। मंत्री जी जरा मुझे बता दें कि अदालत के हाथ में कैसे यह रहेगा ?

श्री चरणसिंह---मैं कह रहा हूं कि नोटिफाइड एरिया की जो डेफिनीशन रखी है उसको निकाल दें और आप की डेफिनिशन को रख दें और तब बतायें कि बाढ़-पीड़ित क्षेत्र है या नहीं है। जहां मजदूर को मकान बनाने का अधिकार है या नहीं है इसको कौन तय करे ? अदालत तय करेगी। और मैं आप को कसे समझाऊं।

श्री गेंदासिंह---उपाध्यक्ष महोदय, आप कुछ समझे हों तो मेरी मदद कर दीजिये। बलिहारी है ऐसे समझाने की, इस समझाने के ढंग से हम क्या समझें जिसको दुनियां में कोई नहीं समझ सकता। जो मैं कह रहा हूं उस का कोई उत्तर नहीं है, मैंने उनको तकलीफ भी दिया, मैं उनको उनके बुढ़ापे में ज्यादा उठाना बिठाना नहीं चाहता हूं लेकिन फिर भी.....

श्री उपाध्यक्ष---आप शायद भूल गये हैं "बुढ़ापे" पर उनको बहुत एतराज है।

श्री चरणसिंह---अभी तो मेरा बचपन भी पूरा नहीं हुआ।

श्री गेंदासिंह---मेरे मुकाबिले में तो वह बुढ़ापा कबूल करते हैं दूसरों के मुकाबले में हो सकता है कि उनको एतराज हो, एतराज करना भी चाहिये लेकिन मैं उनको इस बात पर जरूर धन्यबाद दूंगा कि उन्होंने श्री रामलखन मिश्र और श्री कुंवरकृष्ण जी दोनों को रास्ता बताया कि वह दोनों भी गलत हैं। उनके दोनों को गलत बताने पर मुझे कुछ तसल्ली जरूर हुई। उनके बारे में मैं समझता था कि वह मुझ से ज्यादा समझते हैं उनको भी उन्होंने इस तरह से और ऐसी बुद्धि से विभूषित किया कि वह भी नहीं समझते, मुझे तसल्ली हुई कि न समझने वालों में मैं ही अकेला नहीं हूं वह भी हैं। हमारी श्रेणी में दो और आ गये मैं उन दोनों साहबान से जरूर कहूंगा कि अब चौधरी साहब को इस बात के लिये मनवायें उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री मेरी बात सुन लें।

उन्होंने गलती की, अरबन एरिया जमींदारी अबालिशन ऐक्ट को इतना परफेक्ट नहीं बनाया जिसमें लोगों को मकान बनाने का, अपनी जमीन रखने का जो लोग काबिज हैं, उनको पूरा अख्तियार दे दिया जाता। जिस वक्त शहरी जमींदारी अबालिश की गयी उस वक्त शहरी लोगों का इतना दबाव था कि उस दबाव के बदौलत यह अख्तियार उन लोगों को जिनके मकानात थे नहीं दिया गया। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि जिस वक्त शहरी जमींदारी अबालिश की जा रही थी, उस वक्त उन्होंने मजबूरी जाहिर की कि हमारे पास जमीन के कागजात तक मौजूद नहीं हैं, चौधरी साहब सुनना नहीं चाहते हैं, मेहरबानी करके, मैं कहना चाहता हूं, वह अपनी गलती को बार-बार हम लोगों के ऊपर जो थोपते हैं और हमारी अज्ञानता कह कर, अपनी गलती को हमारे ऊपर डालना चाहते हैं, अरबन एरिया जमींदारी अबालिशन ऐक्ट बनाते समय इस माननीय सदन का जो इतना वक्त खराब किया, उस वक्त अगर उन्होंने कानून बना लिया होता तो मैं समझता हूं कि उनको दूसरा संशोधन लाने की कतई आवश्यकता न पड़ती। उन्होंने उस वक्त इस तरह की जमीन पर उन लोगों के अख्तियार को छोड़ दिया जो वेस्टेज इंटरेस्ट के थे। अब आज हमें बताते हैं कि यह दिक्कत हमारी खड़ी हो गयी कि वह मकान ही नहीं बनाने देता है, जमीन का मालिक। क्यों नहीं जमींदारी अबालिश करते समय उस अख्तियार को छीन लिया था? वह ऐसा समझते हैं कि हम एक दिन एक बात कह सकते हैं, दूसरे दिन दूसरी बात कह सकते हैं और हमारी याददाश्त इतनी कमजोर है, कि वह उसका फायदा उठा सकते हैं। मैं आज भी चैलेंज करता हूं।

श्री चरणसिंह---मैंने क्या कहा था उस वक्त जिसकी तरदीद कर रहा हूं आज या जिसका विरोध कर रहा हूं, मैं जानना चाहता हूं।

श्री गेंदासिंह---समझदारी की बात मैं कह रहा हूं। समझदारी और सूझबूझ जो थी वह उस समय कहां थी? उस वक्त नहीं सूझा था? मंत्री जी मेरी बात सुन लें। उस प्रोसीडिंग को जो अरबन एरिया जमींदारी अबालिशन बिल की है, पढ़ लें मेहरबानी करके। यह बात बार-बार सेलेक्ट कमेटी और हाउस में उठायी गयी कि इस तरह के अख्तियारात को अरबन एरिया जमींदारी अबालीशन बिल पास करते समय खत्म कर दीजिये। आपने नहीं खत्म किया। उसका नतीजा यह है कि आप कह रहे हैं कि हमको मकान बनाने की इजाजत नहीं मिलती और उस अपनी गलती को यों आज छिपाना चाहते हैं। इस

बात को कहने का कोई प्रसंग न था लेकिन मैं इसलिये कह रहा हूं कि मेहरबानी करके आप इस गलती को न दोहराइये।

राजस्व मंत्री जी का यह कहना है कि अदालत में लोग चले जायेंगे। कैसे चले जायेंगे? आप बाढ़-पीड़ित क्षेत्र विज्ञप्ति में लिख देंगे तो अदालत में नहीं जायेंगे और हमारे संशोधन के स्वीकृत होने से अदालत में चले जायेंगे। मैं आप से एक बात केवल चाहता हूं कि आप कह दीजिये कि जहां कहीं बाढ़ आयी हो, सब जगह विज्ञप्ति कर दी जायगी या जहां कहीं बाढ़ आये और इस प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी, यह मानी हुई बात है कि वहां आवश्यकता पड़ेगी, इस तरह के मकान बनाने में कठिनाई पड़ी है और पड़ेगी, तो सिर्फ उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि वह कहें कि बाढ़-पीड़ित क्षेत्र सबको घोषित कर देंगे। मैं अपना संशोधन वापस ले लूंगा।

श्री चरण सिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदा सिंह जी ने बिला वजह गरमी लाने की कोशिश की। लेकिन मैं उनके जाल में फंसने से इनकार करता हूं। वह यह है कि अरबन एरिया जमींदारी अबालिशन ऐक्ट के वक्त कुछ कह सकता हूं और अब कुछ कह सकता हूं, और हमारी स्मरण शक्ति कमजोर है, उसका फायदा उठाना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि मैंने कहा क्या था, और उसके विरोध में मैंने क्या कहा। वह बात मेरी अब भी है। लिहाजा उन्होंने ज्यादती की मेरे साथ यह इशारा करके कि मैंने पहले कुछ कहा और इस वक्त उसके विरोध में कह रहा हूं। हरगिज नहीं। वह बिल पास हुआ शायद १९५७ में और मैं इस चीज को १९५५ से सोच रहा हूं। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि कठिनाई है सर्वे वगैरह की। उसका रेकार्ड नहीं है। बिल्डिंग लीज है। मकान गिर गये। जमींदार कहता है कि आप जमीन खाली कीजिये आप को मकान बनाने का अधिकार नहीं है। मेरा मतलब यह है कि मैंने यह दिक्कतें बतलायी थीं कि जमींदारों के हक यों नहीं ले सकते थे। रेकार्ड और सर्वे की कमी थी। ढाई सौ रुपये फी एकड़ सर्वे का खर्चा शहर के अन्दर गवर्नमेंट आफ इंडिया के सर्वे डिपार्टमेंट ने बताया था। मैं फिर दोहराना चहता हूं कि मेरी स्मरण शक्ति कमजोर है तो लायें रिपोर्ट।

दूसरी बात मैंने यह कही थी शहर के अन्दर कोई रेकार्ड नहीं हैं। हमारे कागजात में आबादी के रेकार्ड शहरों में नहीं मेनटेन किये जाते। फिर यह कहना कि तब कुछ कहा अब कुछ कहते हैं, यह मैं माननीय गेंदासिंह जी से उम्मीद नहीं करता था।

उपाध्यक्ष महोदय, संशोधन की बात मैं किस तरह से समझाऊं, मेरी बदकिस्मती है। अभी हमने रखा है कि बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र वह है जिसको सरकार डेक्लेयर कर दे। मैटर क्लोज हो गया। अदालत में जाकर क्वैश्चन नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपकी डेफिनीशन रख दी जाय कि जहां बाढ़ आयी हो या आये—कमसे कम यह तो कहते कि "आये" तो निकाल देते हैं। जहां बाढ़ आये या आयी है कौन तय करेगा? अदालत करेगी। मैंने सुना है कि उन्हें मुकदमेबाजी का काफी तजुरबा है। फिर भी ऐसी बात कह रहे हैं। तो मालूम होता है कि शायद दिमाग लगाया ही नहीं उन मुकदमों की पैरवी में। नहीं तो ऐसी बात नहीं कहते। इन शब्दों के साथ मैं संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री गेंदासिंह---उसका जवाब आपने नहीं दिया जिस पर मैंने कहा था कि संशोधन वापस ले लूंगा। मैंने आखिर में यह कहा था कि अगर आप जहां बाढ़ आयी हो, उन सबको विज्ञप्ति द्वारा घोषित कर देंगे कि यहां पर कोई रिलीफ देनी है तो मैं अपना संशोधन वापस ले लूंगा।

श्री चरणसिंह---मैं क्यों नहीं करूंगा?

श्री गेंदासिंह---मैं वापस लेता हूं।

श्री चरणसिंह---फिर आपने कहा कि लक्ष्मीरमण जी का कर दिया और परमात्मानन्द सिंह जी का नहीं कराया। तो श्रीमान् जी मुझे माफ करेंगे, हर आदमी दूसरे को अपने गज से नापता है। १५ नवम्बर का नोटिफिकेशन है। सेक्रेटरी ने भेजा। मैंने उसको पूरा देखा भी नहीं। कलेक्टरों को लिखा गया, कलेक्टरों ने जो भेजा, मैंने दस्तखत करके भेज दिया और अब तक भी पूरा नहीं पढ़ा, यही १५ नवम्बर का नोटिफिकेशन।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---उपाध्यक्ष महोदय, इसी क्लाज के बारे में एक छोटा सा संशोधन मेरा है। अगर आप इजाजत दें तो मैं इसे पेश कर दूं, क्योंकि कल ही यह हम लोगों को मिला था।

श्री उपाध्यक्ष---आप पेश करिये। चूंकि कल समय से पहले यह बिल ले लिया गया था इसलिये ऐसे संशोधन जो कम नोटिस पर आयेंगे मैं उनको स्वीकार कर लूंगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---मेरा संशोधन उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार है कि जो बाढ़ की परिभाषा दी गई है उसके खण्ड २ के उपखण्ड (२) के अन्त में यह शब्द जोड़ दिये जायं :

"जिसमें अतिवृष्टि अथवा पहाड़ों के टूटने से बह व दब गई भूमि व इमारतें भी सम्मिलित हैं।"

इस संशोधन के विषय में मुझे यह कहना है कि जो बिल बना है इसमें बाढ़ के माने कुछ इस तरह से लगाये गये हैं कि बाढ़, जहां पानी आ कर जमा हो जाता है, घर डूब जाते हैं, उसी को माना जायगा। लेकिन पहाड़ की स्थिति भिन्न प्रकार की है वहां अक्सर यह होता है कि बाढ़ में जब ज्यादा पानी आता है तो कुछ देर के लिये, जो पानी बहुत जोर का आता है उसमें जमीन बह जाती है और सब मिट्टी वहां से बह कर चली जाती है। तो मैंने यह अनुभव किया है, कि अभी हाल में एक बड़ी जबरदस्त बाढ़ हमारे इलाके में आयी और बहुत जमीन बह गयी। वहां जमींदारी एबालिशन ऐक्ट भी लागू नहीं है। तो ऐसा हुआ जो लोग बेघर हो गये थे वे दूसरी नजदीकी बेनाप भूमि पर जाकर बसे लेकिन चूंकि उनके हकूक वहां नहीं निकलते थे दूसरे गांव की ट्रैडीशनल बाउन्डरी में, या हमारे यहां अनमेजर्ड लैंड है, कैसरे हिन्द जमीन है उसमें जा बसे।

श्री चरणसिंह---आप की इजाजत से एक बात बतला दूं। अव्वल तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जहां का आप हवाला कर रहे हैं क्या वहां ऐसे बिल्डिंग लीजेज हैं कि अगर मकान गिर जायं तो जमींदार मकान न बनने दें ?

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने जज्बात को पेश तो कर दूं, चाहे भले ही मंत्री जी ठुकरा दें, जिसकी मुझे उम्मीद है। इसलिये हम लोगों की ओर से एक संशोधन पेश हुआ था कि इसका दायरा बढ़ाया जाय और उस बढ़े हुये दायरे के अन्तर्गत और भी विषय जिनका समावेश इस बिल के अन्दर हो सके किया जाय ताकि समस्त उत्तर प्रदेश के बाढ़-पीड़ित लोगों को सहायता पहुंचायी जा सके, ऐसी एक पूरी बात इसमें आ जाय। ऐसा न हो कि बेकार की बहस हो। जैसा अभी सदन में कहा गया कि माननीय मंत्री जी जो कहते हैं उसे दूसरा नहीं समझता और यही हाल विरोधी पक्ष के बोलने वालों का है।

मजा कहने का जब है एक कहे और दूसरा समझे,
अगर अपना कहा खुद आप ही समझे तो क्या समझे ?

तो यह बात नहीं होगी।

जिस समय अर्बन जमींदारी अबालीशन बिल यहां पर आया, जैसा गेंदा सिंह जी ने अभी कहा कि उन्होंने कहा था कि वेस्टड इंटरेस्ट को अभी खत्म कर दो तो उस वक्त बात नहीं मानी। आज यह दोबारा बात आयी। आज यह कहा जा रहा है कि महज इतनी जगह महदूद है, इस बिल का स्कोप इससे आगे नहीं जा सकता। मैंने जो अपनी नाचीज राय थी वह आप के पेश नजर की, आप ने नहीं माना। बहरहाल, मेरी नाचीज राय में अगर इस बिल की परिभाषा को आप और बढ़ा देते हैं जिससे कुछ और लोगों को फायदा हो जाता है तो इस बिल में कोई हानि नहीं आती। सदन मुझे माफ करेगा, हमारे विद्वान लोग जो यहां बैठे हैं वे मुझे माफ करेंगे, कि पहाड़ों की जो कंडीशंस हैं उनको बहुत कम लोग यहां जान पाते हैं।

बाढ़ आई, सैलाब आया। कहीं ४ लाख और कहीं १० लाख रुपया दे दिया। मुझे कोई गिला नहीं। वह भी कम ही दिया गया। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमारे यहां की बाढ़ को समुचित बाढ़ नहीं समझा गया। लोग मरे, जमीनें उजड़ गयीं, घर बरबाद हो गये। मैंने खुद अपनी आंखों से यह सब देखा। वहां मैं जान को खतरे में डाल कर गया। पहाड़ टूट रहे थे। एक कयामत बरपा हो रही थी। कुछ और सदस्यों ने तकलीफ फरमाई वहां जाने की कोशिश में, लेकिन आधे रास्ते से ही लौट आये।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि बाढ़ पर व्यापक बहस करने का यह समय नहीं है। आप इस समय अपने संशोधन पर ही सीमित रहें।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मैं इसलिये अर्ज कर रहा था क्यों बाढ़ की परिभाषा को बढ़ाने की आवश्यकता है। वह इसलिये है कि यहां बाढ़ के मानी कुछ और लिये जाते हैं और जिस तरह की बाढ़ पर्वतीय प्रदेश में आती है उसको यहां नहीं माना जाता है। उदाहरण के लिये मैं सदन को बतलाना चाहता हूं कि वहां फीस रेमिशन का बिल्कुल पता ही नहीं।

श्री चरणसिंह—कहीं १० लाख रुपया दे दिया और कहीं फीस रेमिशन। इसमें क्या फर्क पड़ा ?

श्री उपाध्यक्ष—वह बाढ़ की परिभाषा बढ़ाना चाहते हैं इसलिये कि उनको ये सब सुविधायें नहीं मिल सकीं। वह संक्षेप में इस बिषय पर बोल सकते हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—वहां रेवेन्यु रेमिशन कतई नहीं दिया गया। अब थोड़ा सा केवल ४,००० रु० उनके सिर पर फेंक दिया गया, एक हिकारत भरी नजर से कुछ कपड़े दे दिये गये लेकिन वे एक महीने के अन्दर चौथड़े हो गये। दूसरी जगह बसने को गये तो वहां से निकाल दिये गये यह कह कर कि दूसरे की जमीन में तुमको बसने का हक नहीं है। यहां जो घर गिर जाय तो साल भर के अन्दर मालिक मकान को मेनडेटरी होगा कि वह फिर से घर बनाये चाहे मीन्स हों या न हों। अगर सरकारी अफसरान को यह हुक्म दे दिया जाय कि बाढ़ पीड़ितों को अगर वे थोड़े दिन के लिये किसी दूसरे स्थान पर बसा दें और उनको निकाला न जायेगा इससे बिल की परिभाषा का दायरा घटता नहीं, जो परिभाषा दी है वह ठीक है, सिर्फ एक एडीशन करना है और वह एडीशन इन विशेष परिस्थितियों को देख कर होना चाहिये। इस तरह के एडीशन न होने से जैसा कि सदन के सामने मैंने अर्ज किया उन लोगों को वह फायदा नहीं पहुंच सकता जो सरकार देना चाहती है। मुझे आशा है कि मंत्री जी मेरे इस अमेंडमेंट को स्वीकार करेंगे क्योंकि यह बहुत सीधा सा अमेंडमेंट है।

चौधरी खजान सिंह (जिला उन्नाव)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय माल मंत्री जी ने जो विधेयक इस समय उपस्थित किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये यहां खड़ा हुआ हूं। हमारे साथी माननीय गेंदासिंह जी ने इसमें बहुत कुछ हेर-फेर करने की बात कही लेकिन मैं यह समझता हूं कि. . .

श्री उपाध्यक्ष—इस समय गेंदासिंह जी के संशोधन पर बोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। आप गोविन्द सिंह जी के संशोधन पर ही बोल सकते हैं।

चौधरी खजानसिंह—यह परिभाषा कुछ टेढ़ी है इसलिये उनकी समझ में नहीं आती है। लकिन अगर हमारे साथी इस पर गौर करेंगे और सोचेंगे तो मालूम होगा कि शहरों में मकान जो गिर गये हैं उनको किस माने में लायगे। पानी के माने में तो बाढ़ ही हुई। इस तरह से माननीय माल मंत्री जी इसको ले आये हैं। इस पर यदि गौर किया जाय तो यह बिलकुल ठीक बैठता है और मेरी समझ में नहीं आता है कि इसमें संशोधन करने की क्या जरूरत है। मंत्री जी ने जो विधेयक रखा है उसकी एक-एक बात समझ में आती है। शहरों में गरीबों को कैसे इम्दाद मिलती है। शहरों में भी तो बाढ़ें आती हैं। इसको इस तरह से कानून में टेढ़ा मेढ़ा रखा है। वह तो बहुत समझदार आदमी हैं क्रान्तिकारी हैं और बहुत क्रान्ति लाये हैं। अगर साफ लिख देते तो हर आदमी उड़ाने लगता। मुझे इधर उधर की बहुत सी बातें कहनी थीं लेकिन पहले मुझे खड़ा नहीं किया गया। अब क्योंकि गोविन्द सिंह जी के संशोधन पर ही कहना है तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—श्री गोविन्दसिंह जी के संशोधन पर आप जितना चाहें बोल सकते हैं।

चौधरी खजानसिंह—वह कहते हैं कि परिभाषा में इसको जोड़ दिया जाय। मेरी समझ में यह ठीक नहीं है और जो विधेयक आया है वह बिलकुल ज्यों का त्यों ठीक है। इसे अगर गौर से देखें तो ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—आप पहले की बात का हवाला न दें। सिर्फ गोविन्द सिंह जी के संशोधन तक ही अपने को सीमित रखें।

चौधरी खजानसिंह—मेरी समझ में इसमें किसी संशोधन की जरूरत नहीं है। वह वैसे ही पास किया जाय।

श्री चरणसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत गौर से माननीय खजान सिंह जी की स्पीच को सुन रहा था लेकिन मुझे दुख है कि मुझे ज्यादा सुनने का सौभाग्य हासिल नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष—उन्होंने माननीय गोविन्द सिंह जी के संशोधन का विरोध किया है।

श्री चरणसिंह—जिन दलीलों को माननीय खजान सिंह जी ने लेकर विरोध किया है वह सारी दलीलें और वह दलीलें जो मैंने माननीय गेंदासिंह जी के संशोधन में इस्तेमाल की थीं वह ठीक है और मुझे ताज्जुब है कि क्यों उन्होंने इसको प्रेस किया। उन्होंने जिक्र किया कि दस लाख रुपया दे दिया है। मैं कहता हूं कि १५ लाख रुपये तक दिये गये हैं। केवल एक आध फैक्ट मालूम कर लिया और कह दिया कि दस लाख रुपया दे दिया यह ठीक नहीं है। अल्मोड़ा को बराबर कितना रुपया दिया गया है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मुझे इतना ही कहना है। जैसा कि आप ने मदद के लिये कहा हम शुक्रिया अदा करते हैं। अभी तो हम जिन्दा हैं, हवा खाते हैं और पानी पीते हैं। सवाल यह है कि प्रश्न आप ने मदद का उठाया है इसलिये अर्ज कर रहा हूं कि यह मदद न सिर्फ नाकाफ़ी है बल्कि नहीं के बराबर हुई है और सैकड़ों घर बरबाद हो गये हैं, लोग भूखों मर रहे हैं, कपड़ा तन पर नहीं है। सिर्फ ४ हजार रुपया दिया गया है, न कोई टेस्ट वर्क खोला गया है और न कोई और मदद दी गयी है। इसलिये अगर इस बाढ़-पीडित की परिभाषा बढ़ायी जाय तो शायद हम पर आप कुछ और रहम करते।

मैं और बता दूं कि वहां के गांवों के बहने के पहले स्थानीय अधिकारियों को और मिनिस्टरों को अर्जियां दी जा चुकी थीं कि अबेटमेन्ट की दीवाल बना दी जाय। पहले इंजीनियर्स आये, उन्होंने देखभाल की और कहा कि दीवालें बना दी जायंगी और गांवों को बाढ़ से सुरक्षित किया जायगा लेकिन कतई कोई काम नहीं किया गया और पूरे दो वर्ष बीत गये हैं। इतना ही नहीं, आप के द्वारा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि दानपुर और बारा-मंडल के कई गांव ऐसी खतरनाक हालत में हैं कि कुछ कहना नहीं। पायस विशेज तो यहां बहुत एक्सप्रेस की जाती हैं लेकिन हमारी सरकार का हाल कुछ ऐसा है जैसा कि अभिमन्यु नाटक में माननीय सदस्यों ने पढ़ा होगा। महाभारत की लड़ाई में प्रहसन के सिलसिले में यह आता है कि हमने बहुतों के पैर काट डाले, हमने यह मारा वह मारा। अरे भाई, सर क्यों नहीं काटे? जवाब प्रत्यक्ष है उनके सर पहले कट चुके थे। तो बात तो हम ज्यादा करते हैं, बड़ी-बड़ी थ्योरीज प्रोपाउन्ड करते हैं लेकिन नतीजा यह होता है कि खोदते हैं पहाड़ और निकलती हमेशा चुहिया है। तो इस परिभाषा को व्यापक न करने से काफी लोग इसके फायदे से महरूम रह जायंगे। इसलिये अगर माननीय मंत्री जी हम नाचीजों की राय की भी कुछ कद्रकर लें तो हमारी किस्मत जग जाय लेकिन वे कुछ नाराज मालूम होते हैं। अगर वे फिर सोच कर काम करें तो यतीमों की और बेघर वालों की कुछ दुआयें ले लें

श्री चरणसिंह—मुझे कुछ भी नहीं कहना है क्योंकि अगर कुछ भी कहूंगा तो न मालूम और क्या-क्या सुनना पड़े।

श्री उपाध्यक्ष—तो आपकी यह राय है कि उनके संशोधन के बगैर भी उन क्षेत्रों को सरकार बाढ़-पीडित घोषित कर सकती है?

श्री चरणसिंह—जी हां, बिलकुल। लेकिन मैंने सुना है कि वे एल-एल० बी० पास हैं और यह व्याख्यान! और माननीय गेंदासिंह के बारे में खैर! कहूं ही क्या।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (२) के अन्त में "जिसमें अतिवृष्टि अथवा पहाड़ों के टूटने से बह व दब गई भूमि व इमारतें भी सम्मिलित हैं" ये शब्द जोड़ दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

३—(१) यदि राज्य सरकार के मत में यह आवश्यक अथवा इष्टकर हो कि किसी क्षेत्र में विज्ञापित अवधि में बाढ़-पीड़ित व्यक्तियों को फिर से बसाया जाय तो वह सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित कर के ऐसे क्षेत्र को बाढ़-पीड़ित क्षेत्र घोषित कर सकती है।

(२) बाढ़-पीड़ित क्षेत्र में वे सब गृह-स्थल जिनके घर वर्षा अथवा बाढ़ के कारण पूर्णतः अथवा अंशतः गिर गये हों या क्षत (damaged) हो गये हों और जो किसी संविदा रूढ़ि अथवा प्रथा के अनुसार, विज्ञापित दिनांक को किसी व्यक्ति द्वारा भवन-निर्माण के प्रयोजनों से अधिकृत (held) अथवा अध्यासित (occupied) हों, उस व्यक्ति द्वारा उन प्रयोजनों के लिये तथा ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन जो नियत किये जायं, अधिकृत

बाढ़-पीड़ि
क्षेत्रों में व
मान अध्य
सियों द्वार
गृहस्थलों
के अविरत
अध्यासन
के संबं
में घोषणा

अथवा अध्यासित बने रहेंगे, भले ही इसके विरुद्ध कोई संविदा, रूढ़ि या प्रथा, अथवा विधि के उपबन्ध हों:

प्रतिबन्ध यह है कि घर एक वर्ष की अवधि, अथवा ऐसी अग्रेतर अवधि के भीतर, जो राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे, पुनः निर्मित या पुनः प्रतिरूपित (remodelled) कर लिया जायगा या उसकी मरम्मत कर ली जायगी।

(३) इस अधिनियम की कोई भी बात उन शर्तों तथा प्रतिबन्धों को, जिनके अधीन गृह-स्थल मूलतः अधिकृत अथवा अध्यासित किया गया था, प्रभावित नहीं करेगी, सिवाय उस मात्रा तक कि जिस तक कि इस अधिनियम के अधीन अध्यासी को गृह-स्थल पर अधिकार अथवा अध्यासन बनाये रखने और साथ ही साथ अपने घर की मरम्मत अथवा उनका पुनः प्रतिरूपण या पुनः निर्माण करने का अधिकार दिया गया है।

*श्री गेंदासिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं और प्रस्तुत करने का मतलब यह है कि मैं इस खंड ३ के उपखंड (२) का प्रतिबंधात्मक वाक्य जो है उसको चाहता हूं कि निकाल दिया जाय। इसमें प्रतिबन्ध यह है कि हर एक वर्ष की अवधि अथवा ऐसी अग्रेतर अवधि के भीतर, जो राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे, पुनः निर्मित या पुनः प्रतिरूपित कर लिया जायगा या उस की मरम्मत कर ली जायगी। मैं ऐसा समझता हूं कि इसके ऊपर का जो हिस्सा है उसके जरिये से इस खंड में सरकार ने जिन लोगों की मदद करनी चाही है, उनकी मदद होगी। यह ठीक है कि उनकी मदद हो। लेकिन अगर ऊपर का हिस्सा मदद करने वाला है तो उसको क्वालीफाई कर देता है यह प्रतिबन्ध कि उनकी मदद तो होगी जरूर इस खंड के जरिये, लेकिन वह मदद केवल एक वर्ष तक ही हो सकती है और अगर सरकार उचित समझेगी तो एक वर्ष से कुछ ज्यादा की अवधि भी दे सकती है। मैंने जो इसको निकाल देने का प्रस्ताव किया है उस का अर्थ अब यह होगा कि मदद वाला हिस्सा तो रह जायगा इस खंड का, लेकिन जो मदद वाले हिस्से के बाद उसके समय को प्रतिबंधित करता है, जो उसको सीमित करता है, वह निकल जायगा। वह चाहे एक वर्ष के अन्दर मकान बनवा ले या दो या तीन या पांच वर्ष के भीतर बनवा ले.....

श्री फतेहसिंह राणा (जिला मेरठ)—या चाहे जब।

श्री गेंदासिंह—हां, राणा जी से मदद और सलाह ले कर, इंजीनियर से नक्शा बनवा ले और कोआपरेटिव से या किसी और जगह से मदद ले कर अपना मकान बनवा ले, यह मेरे इस संशोधन का मंशा है। मैं समझता हूं कि इसका मंशा समझने में किसी को कठिनाई नहीं होगी और न मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत मालूम होती है क्योंकि जो इसमें समय की सीमा दी हुई है उस से सरकार की और इस विधेयक की जो मंशा है उस की पूर्ति में रुकावट पड़ती है। इसके न होने से कोई ऐसी बात भी नहीं है कि इसका दुरुपयोग होगा या जिसकी हम मदद करना चाहते हैं वह इसका दुरुपयोग करेगा। हमतो उस जमीन पर उसे अधिकार देने जा रहे हैं जिस पर कि उसका मकान था। मकान गिर गया, लेकिन आर्थिक कठिनाइयों के कारण वह उसे एक वर्ष में नहीं बना सकता, तो दो में बना ले, दो में नहीं तो तीन में बना लें। बिहार में भूकम्प के जमाने के गिरे हुये मकान आज तक कितने ही बिना मरम्मत के पड़े हैं। देवरिया और गोरखपुर में जो मकान उस जमाने में फट गये थे आज तक उनकी मरम्मत नहीं हो सकी। विपत्ति के बाद ही ऐसे विधेयक की आवश्यकता पड़ती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं समझता हूं कि यह एक डिप्रेशन का वक्त है। हमारे किसान आज सुखी नहीं हैं और जो लोग हैं, जिनके लिये यह विधेयक बन रहा है उनकी हैसियत ऐसी नहीं है कि वह अपने मकान की जल्दी से मरम्मत करा सकें। तो इसलिये मैं चाहता हूं कि उनको आप इस बंधन में न बांधें। इस कानून के पास होने का मतलब यह जरूर होगा कि अगर उसने एक वर्ष में मकान न बनवाया तो उस पर से उसका अधिकार समाप्त हो जायगा। मुमकिन है कि इस कानून के बनने के बाद लोगों का आपसी रिश्ता बिगड़े जैसा कि आप ने महसूस किया था। अभी तो कानून नहीं है। जब कानून नहीं होता तो रस्मीतौर पर बातें होती हैं लेकिन जब कानून के जरिये से आप अधिकार देते हैं कि हम तुम्हें मालिक बना रहे हैं और जिस वक्त वह अधिकार ले कर खड़ा होता है तो रस्मी तरीके हट जायंगे। और हटाये जाने के बाद जब कानूनी रूप में वहां पर यह बात खड़ी होगी तो जैसा जमींदारी अबालिशन के बाद आप ने देखा कि जो रिवाज जमींदार और काश्तकारों के बीच थे वह रिवाज उनके बिगड़े और बहुत से किसान उसमें बेदखल किये गये। जो जमीन उनको जमींदारों ने दे रखी थी उन्होंने यह मुनासिब समझा कि उनसे उस को ले लिया जाय। वे समझते थे कि उस पर उन काश्तकारों का अधिकार हो जायगा ऐसी दशा में यह जरूर सोचता हूं कि ऐसा आज तक नहीं हुआ लेकिन उसमें मैं आगे के लिये खतरा समझता हूं। इसलिये मैं यह उचित समझता हूं कि इस प्रतिबन्ध के वाक्य को निकाल दिया जाय।

श्री चरणसिंह—मैं यह अर्ज करना चाहता था कि मुझे माननीय गेंदासिंह जी के संशोधन को मन्जूर करने में दो कठिनाइयां हैं। पहली तो यह है कि विधेयक में यह लफ्ज है कि एक साल के अन्दर या उस मुद्दत के अन्दर जिसको गवर्नमेंट घोषित करदे। उसमें हमको एक साल के लिये और अधिकार है कि १ साल से २ साल कर दे। वैसे हमको १ साल से अधिक घोषित करने का अधिकार नहीं है लेकिन १ साल से ज्यादा भी कर सकते हैं। अब इसमें दिक्कत यह है कि अगर मियाद नहीं रखते हैं तो एक तरीके से लैंड लार्ड के राइट को हम ले लेते हैं। अगर हम इस प्रतिबन्ध को निकाल देते हैं तो अगर किसी का मकान गिर गया वह मुद्दत तक पड़ा रह सकता है। इसका मतलब यह है कि लैंड लार्ड का राइट हम ले लेते हैं बिना उसको कम्पन्सेशन दिये हुये। इस ऐक्ट के जरिये से उनका राइट नहीं लिया जा रहा है। वह उसके मालिक हैं। यदि उस मालिकाना राइट को हम लेते हैं तो फिर कांस्टीट्यूशन के अनुसार उनको कम्पेन्सेशन देना होगा तभी मकान वाले को यह राइट दिया जा सकता है। हम जो करना चाहते हैं वह कांस्टीट्यूशन के मुताबिक ही करना चाहते हैं और उसका लिहाज करके ही आगे चलते हैं। इस वजह से इस तरह का राइट नहीं दिया जा सकता। अब एक साल से ज्यादा इसमें नहीं है। अगर इसमें दिक्कत हुई तो एक साल के बजाय १।। साल किया जा सकता है, वैसे हमारा इरादा नहीं है।

दूसरी दिक्कत यह है कि यदि एक साल की शर्त को निकाल देते हैं यह बिलकुल कांस्टीट्यूशन के खिलाफ हो जाता है।

अब आपकी इजाजत से मैं तीसरी बात यह अर्ज करना चाहता हूं कि मेरे मित्र ने यह कहा कि आज जो रस्म-रिवाज कायम हैं उसमें वह उन जमींदारों की रजामन्दी से बना सकते हैं और अगर यह राइट दिया गया तो फिर बाद को उनके ताल्लुक बिगड़ जायेंगे। अगर उसको साल भर में ताल्लुक बिगड़ने का डर है तो वह तुरन्त कच्चा मकान बना ले और पक्का बनाने के लिये इन्तजार न करे।

दूसरी बात यह है कि क्या मैं यह समझूं कि माननीय गेंदासिंह जी का केस यह है कि आउट राइट ही मकान में रहने वाले को मालिक बना दिया जाय या दोनों के इन्टरेस्ट का खयाल रखा जाय। इसमें दोनों के इन्टरेस्ट अलग-अलग हैं एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। यह उनके हकूक को रेग्यूलेट करता है। दुनिया में ऐसे भी कानून होते हैं कि या तो जीरो या १००, या तो इस पार या उस पार, या तो उसकी मर्जी पर हो या मालिक हो। लेकिन यह बिल तीसरे रास्ते पर आधारित है। हम उस चीज को भी एग्जामिन करा रहे हैं और हम लेसीज को

[श्री चरणसिंह]

बिल्डिंग्स साइट्स का मालिक बना देना चाहते हैं। हम इस पर सन् १९५४–५५ से गौर कर रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय माल मंत्री जी के भाषण को सुनने के बाद यह कठिनाई तो मेरी समझ में आई कि इस प्रतिबन्ध को पूरा निकाल देना उचित नहीं होगा, लेकिन मैं उनकी सेवा में अपना अनुभव पेश करना चाहता हूं कि शहर में मकान बनवाने में क्या-क्या कठिनाइयां आती हैं। मैंने अपने मकान में थोड़ा सा एडीशन कराना चाहा। कई महीने मुझे उसकी स्वीकृति म्युनिसीपैलिटी से मिलने में लग गये और साधारण आदमी के साथ क्या होता है, यह तो मंत्री जी स्वयं जानते होंगे। उनको दूसरे लोगों से यह मालूम हो सकता है। कहीं-कहीं साल भर भी लग जाता है। जब म्युनिसीपैलिटी से स्वीकृति मिल गई तो लोहे, ईंट और सीमेन्ट के परमिट महीनों में मिले। प्रांविशियल स्टील कंट्रोलर के लिये डी० एस० ओ० ने सिफारिश की और उसके बाद कंट्रोलर से आया कि आर० ऐस० ज्वाइस्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो साल भर आसानी से लग ही जाता है। ऐसी हालत में यह १ साल की कैद इनआपरेटिव हो जाती है। इसलिये मेरा मंत्री जी से और सदन से निवेदन है कि यदि ३ साल को भी माननीय मंत्री जी न मानें तो बीच का रास्ता मान लें कि २ साल के लिये बढ़ा दें, या ऐसा करने का हक ले लें, नहीं तो आज कल के कंट्रोलों के जमाने में और म्युनिसीपैलिटीज की हालत में बनवाना सम्भव नहीं है। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं संशोधन पेश कर दूं और माननीय मालमंत्री स्वीकार करें कि १ साल के बजाय २ साल हों।

श्री उपाध्यक्ष—इस स्टेज पर यह संशोधन नहीं आ सकता है, आगे एक संशोधन आनेवाला है, उसमें आ सकता है।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक से माल मंत्री जी का मंशा है कि बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में जिनके मकान गिर गये हैं उनको फिर उसी जमीन पर मकान बनवाने की सुविधा प्रदान की जाय। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत अदब के साथ यह अर्ज करना चाहता हूं कि खण्ड ३ के उपखण्ड २ का यह प्रतिबन्ध जो लाया गया है वह उनकी मंशा को रद्द कर देता है और इस विधेयक के जरिये से जो राहत पहुंचाना चाहते हैं, उन लोगों को जो मकान बनाना चाहते हैं या उनको रिमाडिल करना चाहते हैं, राहत मिलने के बजाय, बहुत मुसीबत उनके ऊपर इस प्रतिबन्ध के द्वारा आ जायगी। जहां तक मरम्मत की बात है वह तो थोड़े से साधनों से और थोड़े से समय में हो सकती है, किसी तरह से मरम्मत तो इस समय में करा सकता है, लेकिन मकान पुनः बनवाने का या रिमाडिल कराने का जहां तक सवाल है, बाढ़पीड़ित क्षेत्र के लोगों के लिये यह असंभव है कि वे ऐसा कर सकें। इसलिये ऐसे मुसीबतजदा लोगों के ऊपर कानून के जरिये से ऐसा बोझा लादना कि जबर्दस्ती वह साल भर के अन्दर मकान को बनवा लें, उचित नहीं है।

माननीय पालीवाल जी ने मकान बनवाने में शहरों के अन्दर जो बाधाएं होती हैं, जो कठिनाइयां होती हैं, उनका तजकिरा कर दिया। वह बात अपनी जगह पर ठीक है। इस प्रतिबन्ध के जरिये से आप जो राहत लोगों को पहुंचाना चाहते हैं वह राहत उनको न पहुंच कर उल्टे उससे लोगों को नुकसान हो जायगा। सालभर में बहुत से लोग मकान नहीं बना पायेंगे। बाढ़पीड़ित क्षेत्रों में लोगों की माली हालत इतनी गिरी हुई है कि लोगों को अपने पेट का इन्तजाम करना मुश्किल हो रहा है। उसका इन्तजाम करके वह इतना रुपया नहीं जुटा सकते कि मकान बना सकें। इसलिये यदि माननीय माल मंत्री जी चाहते हैं कि उनकी मंशा पूरी हो जो कि वे इस विधेयक के जरिये से लोगों को सुविधा पहुंचाना चाहते हैं कि चाहे उनका अधिकार जमीन पर हो या न हो, या पट्टे में चाहे जो कुछ शर्त लिखी हुई हो, वह उसी जमीन पर मकान बना सकेगा, तो आपको बराय मेहरबानी इस प्रतबिन्ध

को हटा देना चाहिये, आपने बताया कि ऐसा करना संविधान के विरुद्ध जाता है। इस सिलसिले में मैं यह अर्ज करूंगा कि इसकी क्या गारंटी है कि लोग आपके इस कानून को संविधान के विरुद्ध न बतायेंगे और अदालत में इसको चैलेंज न करेंगे। इसलिये कांस्टीट्यूशन की शरण लेकर इस प्रतिबन्ध को जोड़ना एक अच्छी चीज नहीं है। मैं समझता हूं कि माननीय माल मंत्री जी इस प्रतिबन्ध को हटा दें तभी उनकी मंशा पूरी हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष---मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे दलीलों को न दुहरायें।

*श्री कुंवरकृष्ण वर्मा---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी मेरे पूर्व के माननीय वक्ता ने जो दलील दी, मैं उससे सहमत नहीं हूं। अगर इस तरह का व्यापक अधिकार फ्लड इफेक्टेड एरिया के अधिवासियों को दिया जाता है तो जो कुछ वे कह रहे हैं वह बहुत ही लाजिमी चीज हो जायगी। जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसके मानने से यह हो जायेगा कि हमेशा के लिये अधिवासियों को यह अधिकार मिल जायगा और अधिवासी एक तरह से भूमि के मालिक हो जायगा और जमीन के मालिक के सारे अधिकार खत्म हो जायंगे। अगर ऐसा संशोधन पास होता है तो उसका अर्थ यही हो जाता है।

इसके अलावा इस विधेयक के जो उद्देश्य और कारण लिखे हुए हैं उनमें साफ लिखा हुआ है कि इसके द्वारा हम मालिकों के अधिकारों को लेने नहीं जा रहे हैं, बल्कि थोड़ी सी रियायत अधिवासियों को देना चाहते हैं। इस उद्देश्य को मानते हुए मैं यह कहूंगा कि यह संशोधन जो उपस्थित किया गया है यह बिल्कुल इसके विपरीत है और यह संशोधन लाया नहीं जा सकता।

दूसरी चीज यह है कि अगर हमको मालिक जमीन के अधिकारों को खत्म करना है, उन रिवाजों और प्रथाओं को भी खत्म करना है जो आज तक रायज हैं तो इसके क्या माने हैं कि जहां पर इत्तफाक से बाढ़ आ गयी वहां के अधिवासियों को तो जमीन पर अधिकार मिल जाय, वह जमीन का मालिक हो जाय और बाकी और जो लोग हैं वे इस अधिकार से वंचित रहें। मेरी समझ में दोनों के बीच में यह भी एक डिस्क्रिमिनेशन हो जायगा। जहां पर बाढ़ नहीं आयी वहां के लोग तो असल में इस अधिकार से वंचित रहेंगे, लेकिन जहां इत्तिफाक से बाढ़ आ जायगी वहां के जमीन की जमींदारी खत्म हो जायगी और वह उसका मालिक हो जायगा, यह मेरी समझ से कुछ न कुछ कानून के विरुद्ध होगा। असल में यह संशोधन पास करने से हम ऐसी स्थिति में आ जायंगे जहां पर लाजिमी है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामला जाय और हमारा जो मकसद है वह किसी तरह से पूरा न हो। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

चौधरी रघुराज सिंह (जिला बुलन्दशहर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री गेंदा सिंह के अमेंडमेंट की ताईद में खड़ा हुआ हूं। इस दफा के बमूजिब सिर्फ एक साल की मियाद दी गयी है। मैं समझता हूं कि सरकार इस बात से नावाकिफ नहीं है कि आजकल मकानात बनाने के लिये, उसके सामान---मसलन सीमेंट और लोहे वगैरह की कितनी दिक्कत है। सीमेंट किस दिक्कत से मिलता है, हम सभी को इस बात का तजुर्बा है। बावजूद इस तरह की दिक्कतों के, कितनी सिफारिशें और कितनी भागदौड़ करनी पड़ती है, और क्या अर्ज करूं कि क्या-क्या खर्च करके भी उनको सामान नहीं मिलता। अगर पक्के मकान बनाने की बात हो तो उसके लिये सीमेंट ही एक बहुत बड़ी रुकावट है।

श्री उपाध्यक्ष---मैं निवेदन कर दूं कि सीमेंट की बात अगर आप कहना चाहते हैं तो इशारे के तौर पर कह दें, पालीवाल जी ने इस पर काफी रोशनी डाली है, उन्हीं दलीलों को दोहराने की इजाजत मैं नहीं दूंगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चौधरी रघुराजसिंह--एक साल की मियाद देने के माने यह हैं कि सिर्फ वे लोग जिनकी जेबों में पैसा है और सिफारिश, मुमकिन है अपने मकान की सिर्फ मरम्मत करा लें, रिमाडलिंग कर लें या कि फिर से तामीर कर लेना मुमकिन है, मुमकिन है दरहकीकत जिनको तकलीफ है, जिनके पास पैसा भी नहीं है वे किसी तरह से भी इस कानून से कोई फायदा नहीं उठा सकेंगे। इस प्राविजो के साफ माने यह हैं--"दरमियाने कारं दरिया, तख्ताबन्दम कर दई, बाजमीं गोई कि दामन, तरमकुन होशियार बाश"।

श्री चरणसिंह--मुकर्रर इरशाद।

चौधरी रघुराजसिंह--वह तो आप खुद समझते हैं, जानते हैं, कोई नयी चीज नहीं है। जो पुरानी बात है उसी पर आप अमल कर रहे हैं, फिर मेरे सरकार की मुकर्रर उकदा कुशाई से न उधर इसलाह और न कोई फायदा। अपनी जिद्द पर कायम रहने की तो आपकी पुरानी मशहूर आदत है, फिर मुझे भी उसे क्यों सिखाते हैं? यह जाहिर है और साफ माने यह हैं कि आप कोई राहत बाढ़-पीड़ितों को देना नहीं चाहते हैं, महज जबानी बातों से सरकार सिर्फ प्रोपेगेंन्डे के खयाल से इस कानून को पास कराना चाहती है। यह कागज की कश्ती वजूद में नहीं आयेगी। आज किसी शख्स की ताकत नहीं है कि आजकल के जमाने में वह एक साल के अन्दर मकान बना ले या उसका रिमाडलिंग कर ले। कुछ कानूनी दिक्कतें बतलायी गयीं जिनकी वजह से मंजूरी तरमीम मुमिकन नहीं? इस प्राविजो के बाद ही जो बात दर्ज है उससे मंत्री जी के बयान की तरदीद हो जाती है। प्राविजो इस प्रकार है--

"(3) Nothing in this Ordinance shall affect the terms and conidtions under which the house site was originally held or occupied except in so far as under the Act the holder or occupier has been given the right to continue to hold or occupy the house site as well as to repair, remodel or reconstruct the house."

जब यह बात आगे मौजूद है तो फिर इस प्राविजो को निकाल दिया जाय तो क्या कानूनी दिक्कत पैदा हो जायगी मेरी नजर में मियाद के मसले पर यह कानून अल्टरा वायरस करार नहीं दिया जा सकता। गैर कानूनी करार देने के लिये मुमकिन है उसमें बहुत सी बातें हों, मैं समझता हूं कि हमारा यह संशोधन बहुत ही इन्नोसेंट है और बहुत ही रीजनेबिल है और यह उन तमाम दिक्कतों को दूर करने वाला है कि जिन के लिये यह कानून बनाया जा रहा है। अगर इस तरमीम को सरकार नहीं मानती है तो इसके साफ माने यह हैं कि वह दरहकीकत उन लोगों को रिलीफ देना नहीं चाहती कि जिन को रिलीफ मिलनी चाहिये। इसके न मंजूर करने से यही बात जाहिर होती है। वैसे प्रोपेगेंडे के लिये बिलकुल ठीक है, लेकिन अमल के लिये गलत है। इसलिये मैं बहुत पुरजोर अल्फाज के साथ इस तरमीम की ताईद करता हूं और सरकार से तवक्को करता हूं कि वह इस तरमीम को जरूर मान लेगी।

श्री रामलखन मिश्र--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, इस खंड ३ के भाग (२) का यह वाक्य जो है कि "ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन जो नियत किये जायं", यह भाग है पूर्ण स्वामित्व के लिये, यह प्रतिबन्ध निकाल दिया जाय तो पूर्ण स्वामित्व हो जायगा और यह कानून बिलकुल अवैध हो जायगा। जैसा कि माननीय पालीवाल जी का विचार है, मैं उनके विचार से सहमत हूं, लेकिन कठिनाई यह है कि २ साल या ३ साल करने से एक आक्रमण का स्वरूप हो जायगा। वैधानिक परिपाटी के अनुसार भी पूर्ण स्वामित्व पर आक्रमण इस अंश तक कर सकता है। २ वर्ष की अवधि या ३ वर्ष रखने से तो एक आक्रमण का स्वरूप हो जायगा जो लीगल फ्रेजोलाजी के अनुसार भी ठीक नहीं है। उन को पूर्ण स्वामित्व नहीं दिया जा सकता। संशोधन के मान लेने पर यह कठिनाई हो सकती है। इस लिए इन शब्दों के साथ मैं संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं जो संशोधन खंड ३ के उपखंड (२) का प्रतिबन्ध निकाल देने के लिये है। जो भूमि सम्बन्धी कानून निवास या जोत के सम्बन्ध में हों और उसके विवाद के सिलसिले में माननीय माल मंत्री जी का कटाक्ष जब मैं सुनता हूं तो ऐसा मालूम होता

है कि सारी अक्ल का ठेका आपने ले लिया है और बाकी लोग कुछ ऐसी ही बेसमझी की बात करते हैं। जहां तक इस बिल का सवाल है अगर हम गहराई से देखें तो ऐसा मालूम होगा कि क्षेत्रपतियों से उन का गहरा गठबन्धन है, क्योंकि गणराज्य में सारा प्रभाव .....

श्री चरणसिंह—प्वाइंट आफ आर्डर, सर। अगर मेरे कान मुझे धोखा नहीं देते हैं तो मैंने अभी उन को कहते हुये यह सुना कि माननीय मंत्री जी का क्षेत्रपतियों से कोई गहरा सम्बन्ध है। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो यह अनपार्लियामेंटरी है और यह उनकी तरफ से नीयत पर हमला है।

श्री उपाध्यक्ष—आपने क्या यह माननीय माल मंत्री जी के लिये कहा था ?

श्री ब्रजनारायण तिवारी—जी हां।

श्री उपाध्यक्ष—अगर ऐसा है तो आप इन अल्फाज को वापस लीजिये।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—नहीं, मेरा मतलब सरकार से था।

श्री उपाध्यक्ष—अभी तो आपने कहा था कि आप का मतलब माननीय माल मंत्री से था। आप एक बात कहें, दो बातें आपने कहीं, इसको मैं नहीं मान सकता। आप इन शब्दों को वापस लें।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—अगर मंत्री जी अपने लिये समझते हैं तो मैं इन शब्दों को वापस लेता हूं। जहां तक बाढ़ क्षेत्र का सम्बन्ध है उसका अर्थ दो तरह से हो सकता है, या तो बाढ़ क्षेत्र में पहले के घर बने हों, या शहरी क्षेत्र का बाढ़ का इलाका हो। जमींदारी अबालिशन के बाद निवासों या आबादी का जो कानून है उसके अन्दर आ जायगा। तो वहां उसकी बेदखली होने वाली नहीं है, क्योंकि गांव सभाओं के निर्माण के बाद तथा जमींदारी अबालिशन के बाद वह उस भूमि का मालिक हो गया। अगर बाढ़ की वजह से वह अपना स्थान छोड़ कर हटे तो वह उस पर आबाद हो सकता है या नहीं, उस सम्पत्ति की मालिक गांव सभा होगी। तो किसी व्यक्तिगत क्षेत्रपति का सवाल नहीं है। अब रहा शहरी क्षेत्र का मामला। उसमें भी अगर वह पहले का आबाद है तो मैं समझता हूं कि उसके लिये किसी प्रतिबन्ध की जरूरत नहीं है। अगर वह किसी पट्टे पर बसता है तो उस पट्टे की अवधि केवल साल भर तक देना इस बात का द्योतक है कि बहुत दिनों से यह भावना रन कर रही है कि धीरे-धीरे किसी न किसी तरह से उसको इस भूमि से कुछ मिलना चाहिए।

जब बाढ़ें आती हैं तो जो लोग पुराने तरीके से आबाद हैं वे स्थान छोड़ कर बाहर बसते हैं। वह नया निवासस्थान इस विधेयक में आयेगा या नहीं यह माननीय मंत्री जी और सरकार जाने, क्यों इस प्रकार की कठिनाई आये दिन हुआ करती है जैसे देवरिया जिले में गंडक की बाढ़ आयी और पुराने लोग जो थे, उनके मकान गिर गये, वह नयी जमीन पर आ कर बस गये। वह किसी की सीर या जमींदारी या क्षेत्रपति के नाम से जमीन थी। अगर उस जमीन पर बाढ़ पीड़ित लोगों के निवास के लिए निश्चय करने की योजना है तो वह बात दूसरी है। मैं समझता हूं कि उस तरह की योजना इस विधेयक से पूर्ण नहीं होती। उस मंशा की पूर्ति इस विधेयक से नहीं होती, क्योंकि शहरी क्षेत्र में भी यही बात हो सकती है कि बाढ़ आने के बाद जिनका घर बाढ़ में बह गया और अगर वह किसी दूसरी जगह किसी की मरजी से बसे हैं, मैं समझता हूं कि इस विधेयक के मुताबिक उस जमीन का मामला इसमें नहीं आता है।

यह बहुत सीधासादा और पवित्र संशोधन है। इसमें यह होना चाहिए कि आज के पहले जो बाढ़ क्षेत्र में आबाद हैं उनको निश्चित अधिकार दे दिया जाय—साल भर तक कब्जा करने के बाद उनकी मिल्कियत मानी जाय नहीं तो क्षेत्रपति का अधिकार है। मैं तो यह चाहूंगा कि जो लोग आबाद हैं उनको निश्चित मालिक मान लिया जाय। साल भर तक प्रतिबन्ध रखने का सवाल नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को मान लें और इसमें उन गरीबों की, जिनकी वह भलाई चाहते हैं, ज्यादा भलाई हो सकती है।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से मंत्री महोदय के सामने एक ऐसी तस्वीर खींचना चाहता हूं जिसको वह जरा गौर से देखनेकी कृपा करें ।

शहरी क्षेत्रों में जो बाढ़-ग्रस्त इलाके हैं, उन शहरी क्षेत्रों में कोई न कोई म्युनिसिपैलिटी या टाउन एरिया या नोटीफाइड एरिया है, किसी न किसी ऐसी संस्था से गवर्न होते हैं । अगर बाढ़ग्रस्त इलाके में किसी नदी के कटाव से, किसी शहर के मकान कट गये तो यह जरूरी है कि मकान मालिक उस जगह पर दोबारा मकान बनवाना चाहता है । सवाल यह है कि म्युनिसिपैलिटी का जो प्रोसीड्योर है उससे साल भर में वह पूरा हो सकता है या नहीं । मैं दस वर्ष तक म्युनिसिपैलिटी का मेम्बर रहा हूं । मैंने जो पद्धति वहां देखी है मुझे पूरा यकीन है कि कभी भी साल भर में वह प्रोसीड्योर पूरा नहीं हो सकता । आज भी म्युनिसिपैलिटियों में दो-दो, तीन-तीन साल से नकशे पड़े हैं और वह पास नहीं हुए हैं । अगर साल भर के अन्दर बिना अनुमति कोई मालिक मकान बना ले तो उसके खिलाफ म्युनिसिपल ऐक्ट की दफा ३०७ की कार्यवाही होती है, चालान हो जाता है, मुकदमा चलता है और एक-एक मुकदमे की दस-दस पेशियां होती हैं । वह तबाह और बरबाद हो जाता है । मैं मंत्री महोदय को आपके द्वारा बताना चाहता हूं कि जब नकशा बनवाकर सायल म्युनिसिपैलिटी में पेश करता है तो उस पर एग्जीक्यूटिव आफिसर का हुक्म होता है कि ओवरसीयर इसकी इनक्वायरी करे और रिपोर्ट करे । तो ओवरसीयर इन्जीनियरिंग प्वाइंट आफ व्यू से मुआयना करता है, रिपोर्ट देता है । २,३ महीने का समय वह ले लेगा । उसके बाद दूसरी रिपोर्ट उस पर हेल्थ डिपार्टमेंट की मांगी जायगी, वह भी २, ३ महीने ले लेती है । तो ६ महीने तो इस तरह से गुजर जाते हैं । उसके बाद जब लौट कर फिर नकशा आता है तो एक और प्रोसीजर होता है कि वह वार्ड मेम्बर के पास वह भेजा जाता है । उसके पास भी सारी मिसिल ६ महीने तक पड़ी रहती है और तब वह अपनी रिपोर्ट लिखता है । उसके बाद वह नकशा चेयरमैन के पास जाता है, उनको जब कभी मौका मिला तो उस पर लिख दिया "ले बिफोर दी बोर्ड" ।

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि म्युनिसिपैलिटी के दफ्तरों में क्या-क्या होता है, इसके बताने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री शिवप्रसाद नागर---श्रीमन्, यही कह रहा हूं कि इस तरह से १ साल गुजर जाता है, इस मियाद के अन्दर कोई भी सायल अपना मकान बनवाने में समर्थ नहीं हो सकता । तो एक साल का वक्त बहुत नाकाफी है, इसको बढ़ाया जाय ।

एक बात और है कि अगर किसी जगह का क्षेत्रपति म्युनिसिपैलिटी का मेम्बर या चेयरमैन हुआ और उसका क्षेत्र बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र हुआ तो ४ साल से पहले तो नकशा पास नहीं होने देगा और वह जमीन से बेदखल हो जायगा । इसलिये मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि जहां पर एक साल की अवधि आपने रखी है वह ऐसी है कि अगर कोई कच्चा मकान भी बनवाने के लिये इरादा करे तो उसे म्युनिसिपैलिटी को इजाजत समय के अन्दर नहीं मिल सकती । इसलिये एक साल के बजाय दो साल या तीन साल की मियाद रखी जाय ।

श्री चरणसिंह---उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत मुख्तसरन अर्ज करना चाहता हूं । जो साहब खड़े होते ही दूसरे की नीयत पर हमला करते हैं उनकी मैं उपेक्षा करना चाहता हूं ।

माननीय पालीवाल जी ने एक बात जरूर कही और वह बहुत मुनासिब थी । जिस वक्त हम एक साल रख रहे थे उस वक्त भी यह बात हमारे निगाह में थी । मैं तो ६ महीने की ही बात सोचता था, लेकिन यह कि म्युनिसिपैलिटी में नक्शा पास कराने में दिक्कत होती है इसलिये साल भर रखा और पावर आफ ऐक्सटेंशन अपने हाथ में रखी । वह बात उनकी बिल्कुल मुनासिब है । अब इसी बात को लेकर जो साहब खड़े हुए वह समझें कि जाने क्या नयी बात उन्होंने निकाली, लेकिन बात वही कही । इसके मुताल्लिक यह अर्ज करना चाहता हूं कि उसमें तो पावर आफ ऐक्सटेंशन हमने ले ही रखी है । अगर कोई माननीय मित्र हमको यह लिख देंगे, जाहिर है कि जब किसी को कोई दिक्कत होगी तो अपने प्रतिनिधि के पास जायगा, इसलिये

अगर वह मुझको लिख देंगे साल भर के अन्दर तो मैं यह समझता हूं कि हमें कोई दिक्कत नहीं होगी उसे एक्सटेंशन देने में। माननीय पद्माकर लाल जी ने कहा कि यह क्या गारन्टी है कि १ साल को जायज मान लिया जाय। गारन्टी किसी चीज की नहीं जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला न हो जाय। अगर नहीं है तो आदमी अपनी अक्ल से अन्दाज लगाता है। १ साल की गारन्टी नहीं है, यह दलील दी जाय तो मैं इसकी बाबत क्या कहूं। १ साल तो रीजनेबिल रिस्ट्रिक्शन में आ सकता है कांस्टीट्यूशन का आर्टिकिल कोई है, उसमें यह है कि ओनर या प्रोप्राइटर के राइट पर रीजनेबिल रेस्ट्रिक्शन रखा जा सकता है। मैं यह समझता हूं कि १ साल का मौका दिया जाना रीजनेबिल रेस्ट्रिक्शन है जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट मान लेगा। ऐसी लीगल ऐडवाइजर्स की और मेरी राय है। १ साल की बाबत शुबहा हो सकता है। लिहाजा १ साल और कर दिया जाय इसका मेरी समझ में मन्तक आया नहीं। १ साल का राइट गवर्नमेंट ने ले रखा है। गवर्नमेंट कांस्टीट्यूशन के मुताबिक इन राइट्स को एक्सरसाइज करेगी, लेकिन २ साल रक्खेंगे तो नियम २ साल का होगा। २ साल रक्खेंगे तो २ साल तक भी वह खाली रख सकता है और उसमें अन्देशा यह है कि वह रीजनेबिल रेस्ट्रिक्शन में नहीं आयेगा। इसलिये नियम में १ साल ही रखना मुनासिब समझा। अगर कहीं अपवाद हो तो १ साल से अधिक हो सकता है।

मैं समझता हूं कि माननीय पालीवाल जी मेरे साथ सहमत होंगे। आखिर यह बिल हम लाये। इरादा है हमारा भी गरीबों की मदद करने का। सब बिला मुआविजा हाउस साइट के मालिक बन जायें तो मुझे क्या एतराज है। ऐसा नहीं है कि हम करना नहीं चाहते, लेकिन संविधान सामने आता है। जब दुनिया में कोई संविधान बनता है तो वह राइट्स को रेगुलेट करता है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। उनको देख कर मजबूरी हो जाती है। इसलिये मुझे अफसोस है कि न तो मैं इसके निकाल देने के प्रस्ताव का समर्थन कर सकता हूं और न २ साल की बात का ही समर्थन कर सकता हूं। मैं अपने मित्रों के भावों की कद्र नहीं करता, ऐसी बात नहीं है, उनकी भावना ठीक है। मैं शत प्रतिशत उनके साथ हूं, लेकिन जो कांस्टिट्यूशनल दिक्कत है उसकी वजह से मजबूर हूं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मैं उनकी इस बात से तो सहमत हूं कि जो एक्सटेंशन का अधिकार है वह मान लिया जाना चाहिये, लेकिन उन्होंने कहा कि वह एक्सेप्शन होगा। लेकिन उस एक्सेप्शन को एक्सरसाइज करने के लिये यह सफिशेंट रीजन या वेलिड रीजन होगा या नहीं अगर म्युनिसिपल सेंक्शन और कंट्रोलों की वजह से मेटीरियल न मिलने से एक्सटेंशन मांगा जाय।

श्री चरणसिंह—माननीय पालीवाल जी केवल फिरोजाबाद की बाबत यह लिखेंगे कि यह दिक्कत है तो मैं सारे जिले में एक्सटेंड करने की बात सोच सकता हूं। यह एक माकूल वजह है और वह हम जस्टीफाई करेंगे और हाईकोर्ट तक मामला जायगा।

***श्री गेंदासिंह**—उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व मंत्री जी की दलीलों से प्रभावित नहीं हुआ। मैं निवेदन कर दूं कि यह बात स्वाभाविक तो नहीं है, लेकिन मेहरबानी करके मेरी बात सुन लें तब वह अंतिम फैसला करें कि मेरी फीलिंग कहां तक सही है।

मैं आप से निवेदन करूं। दो बातें मुझे कहनी हैं। जो खतरा उन्होंने बतलाया है, पहले मैं उसका जवाब दे दूं। उन्होंने कहा कि कांस्टीट्यूशन में बहुत सी रुकावट है जिसके कारण रीजनेबिल रीजन्स देकर यह करना पड़ रहा है। मैं उनको याद दिलाता हूं कि उस समय जमींदारी अबालिश नहीं हुई थी। उससे कई वर्ष पहले विलेज आबादी ऐक्ट पास हुआ था। यह शायद १९४७ या १९४८ में पास हुआ था। उस समय जमींदारियां वर्तमान थीं। यह राजस्व मंत्री जी की देन है और उस समय वह हमारे गहरे मित्र थे। एक बार मुझे सौभाग्य

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

प्राप्त हुआ। मैंने अपनी कठिनाइयां बतलाईं। उस समय श्री बी० एन० झा सेक्रेटरी थे रेवेन्यू के। उन्होंने कहा कि यह ठीक कह रहे हैं और कोई न कोई ऐसा कानून बनाया जाय जिससे गांव के लोगों के झोंपड़े जमींदारों के हाथ में न रहें और १९१५ के कांस्टीट्यूशन में, जब तक नया कांस्टीट्यूशन लागू नहीं हुआ था, जो ज्यादा उदार है, उस समय भी वह कानून बन गया। जिन लोगों के कच्चे मकान या झोंपड़े थे वह पक्के बनवा सकते हैं और इसमें जमींदार को कोई अखतियार नहीं होगा।

आज आपका हिन्दुस्तान आजाद है और आज आपको पहले के मुकाबले ज्यादा अधिकार प्राप्त हैं। उस समय तो यह कानून बन सकता था, लेकिन आज नहीं बन सकता है। आज वे कहते हैं कि चैलेंज हो जायगा, लेकिन उस समय चैलेंज नहीं हुआ आज हो जायगा। यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। अगर जरा ध्यान से देखें तो आज भी शहर के जमींदारों का रुआब ज्यादा है। गांव के जमींदारों से तो अखतियारात लिये जा सकते हैं, लेकिन शहर के जमींदार जो जमीन के मालिक हैं उनसे अधिकार नहीं छीने जा सकते हैं। मकान बाढ़ में बह गये, लोग तबाह हो गये, मुल्क में एक बड़ी भारी मुसीबत आई, लेकिन जमीन के मालिकों से अखतियार नहीं लिये जा सकते हैं। यह बात मेरी सामझ में नहीं आती है। मैं यह चाहता हूं कि जीवन भर वह समझाते रहें और मेरी समझ में न आये तो अच्छा है, मैं नहीं समझूंगा कन्विन्स करने वाली बात तो तब होगी जबकि मुझे वहां बैठना होगा। यह हमारे लिये, आपके लिये, देश के लिये और सब के लिये खराब है। जब आप यहां बैठें तब हम वहां बैठ सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, कोई दलील नहीं, कोई जबाब नहीं, महज जिद है और अगर सीधी-सादी भाषा में कह दिया जाय तो नाराज हो जायं। वह भी समझते हैं कि उनकी नीयत पर हमला करने का इरादा नहीं है। गहरा रिश्ता मालूम होता है। किससे आपका गहरा रिश्ता है और किससे हमारा गहरा रिश्ता है। यह मैं अच्छी तरह जानता हूं। इसमें मुझे कोई गलत-फहमी नहीं है। जो मैं समझता हूं वही वे भी समझते हैं। मैं नहीं समझता हूं कि डेमोक्रेसी में इस बात की गुंजाइश नहीं है, और कम्प्रोमाइज नहीं हुआ करता है। यह हमारी जिन्दगी का मिशन है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समय का खयाल रख रहा हूं और राजस्व मंत्री जी चाहेंगे कि यह आज ही पास हो जाय। मैं सोचता हूं कि इस संशोधन को उन्हें स्वीकार करना चाहिये और अगर नहीं करते हैं तो कम से कम मैं इसके पास करने में हिस्सेदार नहीं बनूंगा। मैं जानता हूं कि इसका क्या दुष्परिणाम होने वाला है। मैं उससे खबरदार हूं और सरकार को भी खबरदार करना चाहता हूं। जहां आपने हमारी बात नहीं मानी है वहां दुष्परिणाम हुए हैं। उनको इस वक्त बता कर मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा।

कम्प्रोमाइज करना तो हमारे माननीय राजस्व मंत्री जी ने कभी सीखा ही नहीं। यह बड़ी भारी गाली दे रहा हूं मैं, ऐसी गाली जिसे सुनकर वे तिलमिला गये होंगे। माननीय पालीवाल जी ने कहा कि भाई, मत मानो तीन वर्ष, दो वर्ष कर दो, लेकिन उस कम्प्रोमाइजिंग फ़ार्मूले की ऐसी दुर्गति की हमारे माल मंत्री जी ने कि पालीवाल जी भी मान गये। एक वर्ष से दो वर्ष नहीं मान सकते।

श्री चरणसिंह--समझदार की मुसीबत है।

श्री गेंदासिंह--मैं अपने को समझदार समझता हूं, मुसीबत तो है ही मेरी। मैं जानता हूं कि मेरा संशोधन नामंजूर होगा, लेकिन अगर भाई चन्द्रजीत जी का संशोधन ही वे स्वीकार कर लें तो कुछ सुधार हो जायगा, लेकिन चन्द्रजीत जी कम्प्रोमाइज न करें।

श्री चरणसिंह--मैं यह कहना चाहता हूं कि सन् १९४७ में जो विलेज आबादी ऐक्ट बना था उसमें १५ अगस्त, सन् १९४७ को जिस आदमी का गांव के अन्दर जिस मकान पर कब्जा था वह माना जायगा कि पुराना मकान बना हुआ है, वह बेदखल नहीं होगा। उसमें प्रिजम्शन कर दिया गया था, एक रूल आफ एविडेन्स हमने ले डाउन कर दिया था, क्योंकि उन दिनों में जमींदार

आम तौर पर जो मकान पुराने बने हुये थे उनके लिये कह दिया करते थे कि दो साल हुये उसने मकान बनाया—अब कच्चे मकान का क्या मालूम पड़ता है कि कब बना, दो साल का भी वैसा ही मालूम होता है जैसा १० साल का—और वह बेदखल हो जाया करता था। तो हमने यह कर दिया कि १५ अगस्त को, और १५ अगस्त इसलिये किया कि उस दिन आजादी मिली थी, जिसके मकान कब्जे में था उसका माना जायगा लेकिन सब्सटैंटिव ला नहीं बदला। ऐग्रीकल्चरल लीजेज के लिये भी यही था कि ऐग्रीकल्चर के लिये ली गयी जमीन में अगर खान खोदने लगे तो बेदखल और उसको दो, तीन साल इस्तेमाल न करे तो बेदखल। लेकिन ऐग्रीकल्चरल लीजेज तो सालाना होती है। इसलिये दो, तीन साल की थीं और हाउस की लीजेज मन्थली होती हैं लिहाजा इसके लिये साल भर काफी है। फिर मैं आप की इजाजत से यह भी अर्ज करुंगा, लेकिन माननीय गेंदा सिंह जी ने तो कसम खा रखी है कि ही विल नाट बी कन्विन्स्ड (he will not be convinced), तो उसका क्या इलाज है। २६ जनवरी, सन् १९५० को कांस्टीट्यूशन नाफिज हुआ है। तो जो ऐक्ट उससे पहले बने हुए थे इस कांस्टीट्यूशन के बाद अनकांस्टीट्यूशनल करार दे दिये गये। मसलन सोशलिस्टों का जो सत्याग्रह हुआ उसके सिलसिले में इमरजेंसी पावर्स ऐक्ट पर हाई कोर्ट में दो जनों ने डिफर किया। मुझे पता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। लेकिन यह जजमेंट हुआ कि २६ जनवरी, १९५० के पहले वह ऐक्ट वैलिड था और इस कांस्टीट्यूशन में यह इनवैलिड है। तो वह ऐक्ट्स और लाज और रूल्स इस कांस्टीट्यूशन के बाद इनवैलिड हो गये। मैं माननीय गेन्दा सिंह जी से हाथ जोड़ कर अर्ज करता हूं कि यदि वे मेरी बात न मानें तो बाहर जाकर किसी पढ़े लिखे आदमी से पूछ लें, लेकिन यदि उन्हें मानना ही नहीं है तो इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। इन शब्दों के साथ में इसका विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (२) का प्रतिबन्ध निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं खंड ३ के उपखंड (२) में यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि प्रतिबन्ध की पंक्ति १ में "एक वर्ष" के स्थान पर "तीन वर्ष" रख दिया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय गेंदा सिंह जी ने पहले संशोधन में इस बात पर जोर दिया था कि इसमें अवधि का कोई बंधन नहीं होना चाहिये तो मैं इस बात को भलीभांति पहले से समझता था कि सरकार उस संशोधन को नहीं मानेगी तो कम से कम हमारे इस संशोधन को तो मान ले। एक वर्ष की अवधि जो बिल्कुल अपर्याप्त है उसको बढ़ाकर तीन वर्ष कर दें। इसी बात को समझकर मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया कि जब किसी भी क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप हो और लोगों के मकान ध्वस्त हो जायं और लोगों की सम्पत्ति नष्ट हो जाय तो ऐसी दशा में यह कभी भी संभव नहीं हो सकता कि वह एक वर्ष के अन्दर ही इस हालत में हों कि वह अपना मकान पुनः बना लें और उसकी मरम्मत करा लें। अगर सचमुच माननीय मंत्री महोदय के दिल में उन बाढ़पीड़ित लोगों के प्रति हमदर्दी है और वह यह चाहते हैं कि सही माने में सरकार उनकी सहायता कर सके और वह अपने घरों से बेदखल नहीं हो सकें तो निश्चयरूप से उनको इतना समय मिलना चाहिये कि बाढ़ के समय जो उनकी क्षति हुई है और जो उनको मुसीबत और परेशानी का सामना करना पड़ा है उससे वह निकल सकें। साल भर का समय इतना अपर्याप्त है कि उनको अपने खाने पीने का और कपड़े का सामान इकट्ठा करने में और उन मुसीबतों से बचने में लग जायगा। ऐसी दशा में यह संभव नहीं हो पायेगा कि वह इतने कम समय में मकान बना सकें। अगर वह मकान नहीं बनाते हैं तो पहले के कानून के मुताबिक उनको बेदखल होना पड़ेगा और इस कानून से मकान के मालिकों को और प्रोत्साहन मिलेगा। उनको प्रेरणा प्राप्त होगी कि ऐसे निरीह निराश्रित व्यक्तियों पर कानून का आश्रय लेकर वह हमला कर सकें। इन बातों को ध्यान में रखकर मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है और आशा

[श्री चन्द्रजीत यादव]

करता हूं कि सरकार इन बातों का ध्यान रखते हुये मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेगी और सदन भी स्वीकार करेगा ताकि सही माने में उनकी सहायता हो सके।

श्री पल्बरराम (जिला गाजीपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं चन्द्रजीत यादव जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। बातें बहुत कुछ सदन के सामने आ चुकी हैं, लेकिन मैं माननीय माल मंत्री जी का ध्यान एक बात की ओर खींचना चाहता हूं। खास तौर से देहाती एरिया के संबंध में जब आप गाजीपुर अपने दौरे के समय गये थे उस समय भी मैंने यह सवाल उठाया था। यहां पर मैं उस चीज को फिर दोहराता हूं। देहात में जहां पर बाढ़ से मकान गिर चुके हैं वहां पर कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहां पर परम्परा के मुताबिक धनहीन या गरीबी के कारण कुछ ऐसे लोग भी बसते हैं जिनकी दशा सुनकर इस सदन को भी आश्चर्य होगा कि वे लोग मकानों की मरम्मत नहीं कर सकते हैं। वे इसलिये नहीं कर पाते हैं कि उनको अपनी कच्ची दीवारों की मरम्मत के लिये मिट्टी नहीं मिल पाती है। मेरे जिले में ऐसे १०,२० गांव हैं कि जिन गांवों में हरिजनों के मकान गिर गये हैं, पिछड़ी हुई जाति के लोगों के मकान गिर गये हैं, लेकिन उनकी मरम्मत के लिये मिट्टी नहीं है जिसको लाकर वह अपने मकानों की मरम्मत कर सकें। मैं आपके द्वारा सदन को बतलाना चाहता हूं कि मिट्टी की चोरी उन इलाकों में होती है। वह रात में अपने घरों से निकलते हैं और खेतों में जाते हैं और वहां से ढेले चुरा कर जमा करते हैं, तब कहीं महीनों में दीवार की मरम्मत कर पाते हैं। तो ऐसी दशा में सालभर बहुत कम है। लोगों के पास रहने के लिये जमीन नहीं है और जमीन एक्वायर नहीं की जाती है और वे खरीद भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। इसलिये सालभर का समय बहुत कम है और सरकार इस संशोधन को स्वीकार करे।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि अब माननीय मंत्री जी इस विषय पर ज्यादा हठधर्मी नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसी उनकी मंशा और नीयत है। संविधान की जिस धारा का उन्होंने जिक्र किया उसे मैंने पढ़ा है। मैंने उनसे यह भी सुना है कि जरूरत पड़ने पर सालभर से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। साल भर से ज्यादा २ साल और ३ साल भी मंत्री जी की मरजी के मुताबिक हो सकता है। इस तरह उनके कथनानुसार रीजनेबिल रेस्ट्रिक्शन होगा। मैं यह समझता हूं कि सालभर को ३ वर्ष कर दें तो भी उनकी परिभाषा के अनुसार रीजनेबिल रेस्ट्रिक्शन होगा। तो यदि ३ साल कर दें तो बहुत बड़ा कल्याण होगा। जैसा नागरजी ने बताया, म्युनिसिपैलिटीज और टाउन एरिया व नोटीफाइड एरियाओं में मकान का नक्शा पास कराने में बहुत समय लगता है। इन बातों को देखते हुए चन्द्रजीत जी के संशोधन का मैं समर्थन करता हूं।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)---मैं यह प्रस्ताव लाना चाहता हूं कि आज जब तक यह विधेयक पास न हो जाय तब तक सदन की बैठक होती रहे। ५,६ हजार रुपया प्रतिदिन व्यय करके हम बैठते हैं। अब केवल २ खंड रह गये हैं, इसलिये मैं चाहता हूं कि हम इस विधेयक के पारित होने तक बैठें।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)---मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। सुबह से अभी तक हम लोग बैठे हैं और क्या जल्दी इस विधेयक को पास करने की है? कल नहीं तो परसों इसे पास कर लेंगे। क्या आसमान टूट रहा है कि आज ही इसे पास किया जाय? अगर हमारे पास आनेवाले दिनों में समय नहीं होता तो ठीक था। इसलिये मैं चाहता हूं कि आज ५ बजे के बाद बैठक न हो।

श्री चरणसिंह--उपाध्यक्ष महोदय, इस छोटे से बिल में केवल एक ही सेंट्रल आइडिया है। २ घंटे कल इस पर लगे और सवा दो बजे से पौने तीन घंटे आज लगे। बात तो ठीक है कि जल्दी नहीं है। यह तो कल और परसों भी दलील दी जा सकती है, लेकिन सोचना यह है कि एक बहुत छोटा सा बिल है, सोचना यह है कि जो ज्यादा समय लगेगा क्या वाकई वह समय का सदुपयोग होगा। लेकिन मैं इस पर कोई जिद नहीं करना चाहता। अगर हाउस समय बढ़ाने के लिये तैयार नहीं है तो बेशक हाउस उठ जाय। कल न सही उसके लिये हम दो रोज और ले लें ।

श्री उपाध्यक्ष--मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान नियम ११ की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें यह लिखा है कि सदन की बैठक ११ बजे से ५ बजे तक होगी। क्योंकि अब ५ बज चुके हैं इसलिये अब कोई कार्यवाही नहीं होगी। अब हम उठते हैं और कल फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
११ दिसम्बर, १९५७।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५० पर)

तालिका

अग्रवाल इन्टर कालेज, आगरा, सहायता प्राप्त विद्यालयों की सूची पर है और १९५६-५७ में इस संस्था को निम्नलिखित अनुदान दिया गया था :—

			आवर्त्तक अनुदान
			रु०
अनुपालन	..	..	१९,६०८
महंगाई ..	..	..	१,६८०
विशेष वेतन-वृद्धि अनुदान	..	..	२६४
इन्टर कक्षाओं में १ रु० प्रतिमास प्रति छात्र शुल्क छूट के घाटे की पूर्ति-हेतु अनुदान	..	..	३,२३६
			अनावर्त्तक अनुदान
भवन निर्माण हेतु अनुदान	..	..	१,०००
सज्जा तथा उपकरण	..	..	१५०

विधान सभा सचिवालय प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५,१६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५२ पर)

जिला आजमगढ़ में १९५४, १९५५, १९५६ व जुलाई, १९५७ तक हुए आतिशजनी के मामलों का विवरण।

	रिपोर्ट हुई	चालान कर अदालत में भेजा	सजा हुई	छूट गये	अदालत में विचाराधीन	पता न चला	जांच नहीं की गई
	१	२	३	४	५	६	७
१९५४ ..	१५	५	१	४	—	१०	—
१९५५ ..	१२	६	४	२	—	६	—
१९५६ ..	२५	१३	२	६	५	१२	—
१९५७ .. (१५ जुलाई तक)	१३	८	—	—	८	५	—

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

'नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५२ पर)

जिला आजमगढ़ में १९५४, १९५५, १९५६, व जुलाई, १९५७ तक चलाये गये १०७/११७ जाब्ता फौजदारी के मामलों का विवरण।

क्रम संख्या	वर्ष	चलाये गये मामलों की संख्या	जिनमें जमानत या मुचलका लिया गया	सुलह हुई	खारिज हुए	विचाराधीन	टिप्पणी
१	२	३	४	५	६	७	८
१	१९५४	९५१	७५	२२३	४६०	१९३	स्तंभ ३ में दी गई संख्याओं में पिछले वर्ष के अन्त में विचाराधीन रहे मामलों की संख्याएं भी सम्मिलित हैं।
२	१९५५	७९१	५८	१८१	३२४	२२८	
३	१९५६	१,४६७	१८७	४५३	७६४	६३	
४	१९५७ (जुलाई तक)	५७०	१२७	१३३	१९३	११७	

विधान सभा दुर्लभ

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३० का उत्तर पीछे पृष्ठ २५७ पर)

जिला विकास प्रदर्शनी रायबरेली में मदवार व्यय का विवरण।

		रु०	आ०	पा०
(१)	सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन में ..	३,७६९	१	०
(२)	अन्य मनोरंजन साधनों (दंगल टूर्नामेंट इत्यादि)में ..	७,७००	०	०
(३)	दूकानों तथा स्टालों का निर्माण	३,४६७	११	३
(४)	विभिन्न विकास विभागों को स्टाल लगाने-हेतु ..	३,९६७	७	६
(५)	अशोक स्तम्भ का निर्माण	८५१	०	०
(६)	रोशनी	३,१४४	३	६
(७)	आतिशबाजी	२००	०	०
(८)	शिशु प्रदर्शनी	२९०	१३	९
(९)	छपाई पोस्टर, पैम्फलेट आदि	५१९	२	०
(१०)	टेलीफोन	९५	०	०
(११)	सफाई पर	२६५	८	०
(१२)	विविध	७२४	२	९
(१३)	पुरस्कार	६७०	०	०
	योग ..	२५,६६४	१	९

अथवा

२५,६६४ रु० १० नये पैसे

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६३ पर)

विद्यार्थियों की संख्या जिनका इस वर्ष हाई स्कूल व इन्टर परीक्षा का परीक्षाफल रोका गया (कारण सहित)

कारण	इंटर	हाईस्कूल
१—अनुचित साधन प्रयोग के मामले	३८३	९६३
२—उत्तर पुस्तकों का खाना	३	१३
३—परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य व्यक्ति द्वारा परीक्षा देना ..	३	४
४—मारपीट तथा अनुशासन-हीनता	४	१७
५—प्रतिबन्धों की पूर्ति न करना व एस०आर०की जांच ..	२४९	१८५
६—उपस्थिति की कमी	२६	७
७—पूर्व अध्ययन आदि तथ्यों को छिपाने के मामले ..	३५	११३
कुल ..	७०३	१३०२

नोट—दिनांक १ दिसम्बर, १९५७ को इंटर के ३९ और हाई स्कूल के १४५ विद्यार्थियों के परीक्षाफल रुके हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६५ पर)

जिला बिजनौर में १-१-५६ से ३०-६-५७ तक होने वाले कत्ल एवं डकैतियों का विवरण।

थाने का नाम	डकैतियों की संख्या	कत्ल की संख्या
१—नहटौर	—	४
२—कोतवाली	२	—
३—अमहेड़ा	—	२
४—नरपुर	२	३
५—मेंडावर	२	३
६—चांदपुर	२	६
७—किरतपुर	१	२
८—बढ़हापुर	३	—
९—नांगल	—	१
१०—नजीबाबाद	२	१
११—रेहड	२	—
१२—शेरकोट	—	१
१३—धामपुर	१	१
१४—नगीना	२	—
१५—स्योहारा	१	३
१६—अफजलगढ़	१	२
	२१	२९

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६५ पर)

जिला देवरिया में सन् १९५२ से १९५६ तक के अपराधों की संख्या

क्रम संख्या	अपराध का नाम	वर्ष तथा अपराधों की संख्या				
		१९५२	१९५३	१९५४	१९५५	१९५६
१	डकती	१२	११	३४	३	४
२	राहजनी	४	८	४	३	३
३	कत्ल	२८	१८	२२	१६	१६
४	नकबजनी	२३३	२४९	२५१	१९३	२५०
५	बलवा	८१	८४	७३	४९	४०
६	पशु-चोरी	६३	५९	६८	४९	४०
७	चोरी	२९४	२७४	२५१	१५६	२१४
८	विभिन्न अपराध	२०५	२३०	२६३	२००	१८५
	कुल जोड़ ..	९२०	९३३	९६६	६६९	७५२

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६८ पर)

क्रम संख्या	नाम थाना		डकैती		हत्या		चोरी	
			रिपोर्टेड	कामयाब	रिपोर्टेड	कामयाब	रिपोर्टेड	कामयाब
१	फर्रुखाबाद	..	२	२	१६	८	१८४	४३
२	फतेहगढ़	..	२	२	७	३	१७८	३०
३	कमालगंज	..	८	२	१२	२	४७	६
४	गुरुसहायगंज	..	४	२	५	२	५१	१५
५	कन्नौज	..	४	२	१०	२	१०८	१६
६	ठठिया	..	५	३	९	२	१४	१
७	इन्दरगढ़	..	३	२	४	१	५२	५
८	सौरिख	..	४	२	५	२	२५	५
९	छिबरामऊ	..	६	३	७	४	५६	१२
१०	शमसाबाद	..	१	०	११	२	२७	५
११	नवाबगंज	..	५	३	१६	४	५१	५
१२	कायमगंज	..	३	१	२०	९	६४	९
१३	कम्पिल	..	१	०	१०	४	२९	३
१४	मुहम्मदाबाद	..	३	१	११	२	५८	६
१५	राजपुर	..	९	४	१३	७	५३	३
	योग	..	६०	२९	१५६	५४	९९७	१६४

संसद सदस्य सूचना

'नत्थी' झ

(देखिये तारांकित प्रश्न ६५, ६६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६९ पर)

हरदोई जिले में थानेदारों और दोयम अफसरों के विरुद्ध चल रहे इस्तगासों का विवरण

नाम जिसके विरुद्ध इस्तगासा चल रहा है	किसने चलाया	इस्तगासों का संक्षिप्त आशय	किस अदालत में है	
			लोअर में	सेशन में
१	२	३	४	५
(१) थानेदार .. (क) श्री ब्रिजेश्वर प्रसाद, एस० ओ० बिलग्राम मय तीन कानिस्टेबिल।	लक्ष्मी नारायण निवासी माधोगंज थाना बिलग्राम।	मुद्दई ने एक इस्तगासा धारा ३४२/३२३/५०४/३३०/३४ ता० हि० दायर किया कि एस० ओ० बिलग्राम ने उसको चौकी माधोगंज पर बुलवाया और उसको पोटाशियम साईनाइड की बोतल जो उसके पास होना कहा गया देने के लिये कहा। उसके इन्कार करने पर कि उसके पास नहीं है पुलिस चौकी पर मारा और उसके बाद उसको दूकान पर ले जाया गया और उसकी दूकान से एक बोतल पोटाशियम साईनाईड की जो उसकी गैरहाजिरी में दूकान पर रखवा दी गई थी बरामद की। उसके बाद उसको गिरफ्तार करके मुंह काला किया गया और चौकी पर ले जाया गया। यह मुकदमा अदालत सेशन में सुपुर्द हो चुका है। यह मुकदमा हस्ब धारा ३४२/३२३/५०४/३३० ता० हि० में सेशन कमिट किया गया है। सेशन में ६-१-५८ ई० शहादत के लिये मुकर्रर है।	..	सेशन में।
(ख) श्री तौकीर हुसेन एस० ओ०, कासिमपुर मय अफसर दोयम व चौकीदार।	मनोहर लाल निवासी गौसगंज, कासिमपुर।	४/५-६-५५ की बीच की रात में करीब ११ बजे रात मौजा गौसगंज, थाना कासिमपुर में श्रीमती सुन्दर देवी स्त्री मनोहर लाल (जिसने इस्तगासा दायर किया) मय तीन और अपराधियों के श्रीमती सुमित्रा को मन्दिर में मारा जहां वे पूजा करने के लिये गयी थीं। चूंकि श्रीमती सुमित्रा चोट खाने के बाद बेहोश हो गयी थीं इस वास्ते धारा ३०८ ता० हि० में थाने में रिपोर्ट लिखी गई। श्रीमती सुन्दर देवी के पति मनोहर लाल ने अपनी औरत को धारा ३०८ ता० हि० के मुकदमें से बचाने के लिये इस्तगासा धारा ५०४ ३४२/३८४/२१७/२२०/२२१/१२० बी० ता० हि० में दायर किया। इस इस्तगासा की जांच जे० ओ० ३ ने की और २१-६-५७ को पुलिस अफसरान को धारा २२०/३८४ ता० हि० और धारा २९ पुलिस ऐक्ट में सेशन सुपुर्द कर दिया।	..	सेशन में।

(ग) श्री गुरदयाल सिंह, एस० ओ०, बेनीगंज मय एक कांस्टेबिल ।	छोटेलाल पुत्र सीताराम, निवासी जेखावा मनरे नेवादा लोचन, थाना बेनीगंज ।	मुद्दई ने इस्तगासा धारा ४६८ / ३३०/ ३४३ ता० हि० में पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध दायर किया और इलजाम लगाया कि पुलिस कर्मचारियों ने उसको झूठ ही एक बन्दूक की चोरी में पकड़ा और उसको मारा और उसको तीन दिन थाने में रक्खा और फिर बन्द कर दिया ।	लोअर में ..
(घ) श्री गुरदयाल सिंह एस० ओ०, बेनीगंज व अफसर दोयम व तीन कांस्टेबिलान ।	रविन्दर नाथ पुत्र रामस्वरूप, निवासी बेनीगंज, थाना बेनीगंज ।	मुद्दई ने इस्तगासा धारा ३४२/ १९३/ १९६/ २१८/ २२०/ ४६६ ता० हि० पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध दायर किया और इल्जाम लगाया कि उसको पुलिस ने एक चोरी के माल बरामदी के मुकदमा में झूठा फंसा दिया है और उसको हिरास्त बेजा हे रक्खा है । और बाद में उसको जमानत पर छोड़ा है । और यह भी कहा कि बेनीगंज पुलिस उसके खिलाफ थी, क्योंकि उसने रामसिंह वर्मा, एस० आई०, के खिलाफ गवाही दी थी ।	लोअर में ..
(ङ) श्री गुरदयाल सिंह, एस० ओ०, बेनीगंज मय एक कांस्टेबिल ।	जगदीश प्रसाद पुत्र उमाशंकर, निवासी जैखावन, थाना बेनीगंज ।	१५–७–५७ को इस्तगासा धारा ३२३/ ३२५ ता० हि० मुद्दई ने पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ अदालत में दायर किया कि उसको सरकारी कर्मचारियों ने मारा, क्योंकि उसने थाना बेनीगंज के एक मुकदमा धारा १०९ जाब्ता फौजदारी में गवाही नहीं दी थी ।	लोअर में
(२) अफसर दोयम (क) श्री निरंजन सिंह, अफसर दोयम, कासिमपुर ।	मोहन लाल	यह अफसर दोयम उस इस्तगासे में मुलजिम है, जो श्री तौकीर हुसेन के खिलाफ चल रहा है । जिसका जिकर ऊपर आ चुका है । वह नं० (१) (ख) में है ।	सेशन में
(ख) श्री बजरंग बहादुर सिंह, अफसर दोयम, थाना बेनीगंज ।	रविन्दर नाथ	यह अफसर दोयम भी उस इस्तगासे में जो श्री गुरदयाल सिंह एस० ओ० के खिलाफ चल रहा है, मुलजिम है । जिसका जिकर ऊपर नं० (१) (घ) में हो चुका है ।	लोअर में ..

नत्थी 'ञ'

(देखिये पीछे पृष्ठ २८५ पर)

उत्तर प्रदेश फर्स्ट अफेन्डर्स प्रोबेशन (संशोधन विधेयक) १९५७

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।)

यू० पी० ऐक्ट सं० ६, १९३८। कुछ प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० फर्स्ट आफेन्डर्स प्रोबेशन ऐक्ट, १९३८ को संशोधित करने का

विधेयक

यू० पी० ऐक्ट सं० ६, १९३८। यह इष्टकर है कि यू० पी० फर्स्ट आफेन्डर्स प्रोबेशन ऐक्ट, १९३८ को एतत्पश्चात् प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के निमित्त संशोधित किया जाय; अतएव, भारतीय गणतंत्र के आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश फर्स्ट आफेन्डर्स प्रोबेशन (संशोधन) ऐक्ट, १९५७, कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

यू० पी० ऐक्ट सं० ६, १९३८ में नयी धारा १२-ए का रखा जाना।

२—यू० पी० फर्स्ट आफेन्डर्स प्रोबेशन ऐक्ट, १९३८ की धारा १२ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा १२-ए के रूप में बढ़ा दिया जाय :

Delegation of powers.

"12-A. The State Government may, by a notification in the official *Gazette*, direct that all or any of the powers exercisable by it under this Act shall, in relation to such matters and subject to such conditions, if any, as may be specified in this behalf, be exercised also by such officer or authority as may be specified.

उद्देश्य तथा कारण

राज्य सरकार ने १९४७ में डिस्चार्ज्ड प्रिजनर्स ऐंड सोसाइटी से, जो एक गैर सरकारी संस्था है, प्रोबेशन सर्विस (परीक्षण-काल-सेवा) को अपने अधिकार में ले लिया था और इसे गृह सचिव की अधीनता में उन्हें इसका विभागाध्यक्ष (departmental head) बना कर रखा। परिणाम यह हुआ कि गृह सचिव को विभागाध्यक्ष तथा सरकार का सचिव दोनों रूपों में काम करना पड़ता था। मई, १९५५ में विभागाध्यक्ष के कर्त्तव्य तथा अधिकार इन्स्पेक्टर जनरल आफ प्रिजन्स, उत्तर प्रदेश को प्रतिनिधानित (delegated) कर दिये गये, क्योंकि ऐसा करना दक्षता में सहायक समझा गया।

अब यह इष्टकर समझा जाता है कि यू० पी० फर्स्ट आफेन्डर्स प्रोबेशन ऐक्ट, १९३८ (ऐक्ट सं० ६, १९३८) के अधीन प्रोबेशन आफिसर नियुक्त करने का अधिकार इन्सपेक्टर जनरल आफ प्रिजन्स में निहित कर दिया जाय, क्योंकि इस ऐक्ट की धारा ९ इन्सपेक्टर जनरल आफ प्रिजन्स को प्रोबेशन आफिसर नियुक्त करने का अधिकार नहीं देती। अतएव यह इष्टकर है कि ऐक्ट में कोई दूसरी धारा बढ़ाई जाय जिससे राज्य सरकार को यह अधिकार मिले कि वह राज्य सरकार द्वारा प्रयोग किये जाने वाले किन्हीं अथवा समस्त अधिकारों को ऐसे अधिकारी अथवा प्राधिकारी को, जो निर्दिष्ट किया जाय, प्रतिनिधानित करे।

तदनुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

मुजफ्फर हसन,
सामाजिक सुरक्षा मंत्री।

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० २१३ एल० ए०—१९५८—७९६